Chandra Shekhar Azad Govt. P.G. Lead College, Sehore (M.P.)

Affiliated to Barkatullah University, Bhopal

NAAC Accredited “B” Grade

Website:- http://csapgcollegesehore.com/, E-mail:- hecsaglcseh@mp.gov.in,

Ph. No.- 07562-224156, 224240

6.4.1:-

Audit Reports

P.K. SHARMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS
148, ZONE-II M.P. NAGAR, BHOPAL - 462011, PH.: 2551105, 2555186

CHANDRA SHEKHAR AZAD GOVT. P.G. NODAL COLLEGE, SEHORE (M.P.)
JAN BHAGIDARI SAMITI

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2018

LIABILITIES		Rs.	ASSETS	Rs.
Income & Expenditure A/c			**Fixed Assets**	
Opening Balance	14372723.55			
Add: Surplus during the year	3980712.03	18353435.58	**Furniture & Fixtures**	1351321.00
Security Deposit (Canteen)		1000.00	**Computers**	1844910.00
Transfer from Fee Collection A/c		2700000.00		
			Building Under Construction	6089825.00
			Water Cooler	83526.00
			Tally Software Purchased	57450.00
			Printer Purchased	18058.00
			Display & Notice Board	76822.00
			Library Books	657465.00
			Cycle	1600.00
			White Board	42187.00
			Grill Fittings	49603.00
			Penasonic Machine	19160.00
			Automated Vending Machine	15523.00
			Fans	10200.00
			Pumps & Tubewell Motors	182967.00
			Battery	29800.00
			Fire Fighting Equipments	10240.00
			Advances	
			Anil Rajput	45000.00
			Jyoti Netram	4500.00
			Hari Kishan Keer	3000.00
			Sarla	10000.00
			Transfer to P.D A/c	94151.00
			Transfer to University A/c	94020.00
			Closing Balances	
			State Bank of India	10263107.58
TOTAL		21054435.58	**TOTAL**	21054435.58

PRINCIPAL

Found in accordance with the Books of Accounts, and vouchers produce before us.

For P.K. Sharma & Co.
Chartered Accountants

Date: 30.01.2019
Place : Bhopal

PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)

P.K. SHARMA & CO. BHOPAL CHARTERED ACCOUNTANTS

(CA Pramod K. Sharma)
Partner

Scanned with CamScanner

P.K. SHARMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS
148, ZONE- II M.P. NAGAR, BHOPAL - 462011, PH.: 2551105, 2555186

CHANDRA SHEKHAR AZAD GOVT. P. G. NODAL COLLEGE , SEHORE (M.P.)

RECEIPTS AND PAYMENTS OF UNIVERSITY ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

RECEIPTS	Rs.	PAYMENTS	Rs.
Opening Balances		Bank Charges	5988.00
SBI Bank A/c	5581231.73	Other Expenses	30286.00
		Examination Fees Refunded	54190.00
Advance Received back		Addmission Fees Refunded	45085.00
R.K. Verma	10964.00	Travelling & DA	151860.00
		Remuneration to Staff	1561066.00
INCOME		Games and Sports Expenses	45100.00
Fees from Students	1157143.49	Stationery & Printings	97315.00
Examination Fees from B.U.	414200.00	Functions & Festivals	7676.00
		Computer & Printer Expenses	35464.00
		Electricity Expenses	40925.00
		Miscellaneous Expenses	1150.00
		Telephone & Internet Expenses	5243.00
		Cloth Expenses	36027.00
		Boxes Purchased	8260.00
		Cleaning Expenses	732.00
		Water Expenses	4350.00
		Expenses on Rashtriya Seva Yogna	16900.00
		Advances to Professors	
		R.K. Verma	30000.00
		H.S. Mandloi	90000.00
		Fixed Assets	
		Cooler Purchased	19124.00
		Closing Balances	
		SBI Bank A/c	4876798.22
TOTAL	7163539.22	**TOTAL**	7163539.22

Found in accordance with the Books of Accounts, and vouchers produce before us.

For P.K. Sharma & Co.
Chartered Accountants

P.K. SHARMA & CO. BHOPAL CHARTERED ACCOUNTANTS

(CA Pramod K. Sharma)
Partner
UDIN:21072910AAAACG2827

Bhopal, Dated 07/07/2021

PRINCIPAL
PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)

Scanned with CamScanner

P.K. SHARMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS
148, ZONE- II M.P. NAGAR, BHOPAL - 462011, PH.: 2551105, 2555186

CHANDRA SHEKHAR AZAD GOVT. P. G. NODAL COLLEGE , SEHORE (M.P.)

RECEIPTS AND PAYMENTS OF UNIVERSITY ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

RECEIPTS	Rs.	PAYMENTS	F
Opening Balances		Bank Charges	5988.
SBI Bank A/c	5581231.73	Other Expenses	30286.
		Examination Fees Refunded	54190.
Advance Received back		Addmission Fees Refunded	45085.
R.K. Verma	10964.00	Travelling & DA	151860.
		Remuneration to Staff	1561066.
INCOME		Games and Sports Expenses	45100.
Fees from Students	1157143.49	Stationery & Printings	97315.
Examination Fees from B.U.	414200.00	Functions & Festivals	7676.
		Computer & Printer Expenses	35464.
		Electricity Expenses	40925.
		Miscellaneous Expenses	1150.
		Telephone & Internet Expenses	5243.
		Cloth Expenses	36027.
		Boxes Purchased	8260.
		Cleaning Expenses	732.0
		Water Expenses	4350.0
		Expenses on Rashtriya Seva Yogna	16900.0
		Advances to Professors	
		R.K. Verma	30000.0
		H.S. Mandloi	90000.0
		Fixed Assets	
		Cooler Purchased	19124.0
		Closing Balances	
		SBI Bank A/c	4876798.2
TOTAL	**7163539.22**	**TOTAL**	7163539.2

Found in accordance with the Books of Accounts, and vouchers produce before us.

For P.K. Sharma & Co.
Chartered Accountants

BHOPAL

(CA Pramod K. Sharma)
Partner
UDIN:21072910AAAACG2827

Bhopal, Datéd 07/07/2021

PRINCIPAL

C. S. A. G. P. G. College
SEHORE

Scanned with CamScanner

P.K. SHARMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS
48, ZONE- II M.P. NAGAR, BHOPAL - 462011, PH.: 2551105, 2555186

CHANDRA SHEKHAR AZAD GOVT. P. G. NODAL COLLEGE , SEHORE (M.P.)

RECEIPTS AND PAYMENTS OF UNIVERSITY ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2020

RECEIPTS	Rs.	PAYMENTS	Rs.
Opening Balances		Bank Charges	4071.00
SBI Bank A/c	4876798.22	Other Expenses	20162.00
		Examination Fees Refunded	835.00
INCOME		Travelling & DA	98040.00
Fees from Students	86532.93	Remuneration to Staff	1768521.00
Examination Fees from B.U.	2788250.00	Stationery & Printings	77131.00
Aids Control Society	4000.00	Functions & Festivals	9853.00
		Computer & Printer Expenses	79432.00
		Electricity Expenses	8650.00
		Telephone & Internet Expenses	3192.00
		Cloth, Sutli & Thread Expenses	64239.00
		Cleaning Expenses	6408.00
		Water Expenses	6220.00
		Advances to Professors	
		Reena Markam	3000.00
		Nibha Jekaw	55000.00
		Fixed Assets	
		Coolers/ Fan Purchased	39090.00
		Almirah/Chair/ Recks Purchased	23718.00
		Closing Balances	
		SBI Bank A/c	5488019.15
TOTAL	7755581.15	**TOTAL**	7755581.15

Found in accordance with the Books of Accounts, and vouchers produce before us.

For P.K. Sharma & Co.
Chartered Accountants

(CA Pramod K. Sharma)
Partner
UDIN: 21072910AAAACF7379

PRINCIPAL

Bhopal, Dated 07/07/2021

Scanned with CamScanner

P.K. SHARMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS
148, ZONE- II M.P. NAGAR, BHOPAL - 462011, PH.: 2551105, 2555186

CHANDRA SHEKHAR AZAD GOVT. P. G. NODAL COLLEGE , SEHORE (M.P.)

RECEIPTS AND PAYMENTS OF UNIVERSITY ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2020

RECEIPTS	Rs.	PAYMENTS	R
		Bank Charges	4071.
Opening Balances		Other Expenses	20162.
SBI Bank A/c	4876798.22	Examination Fees Refunded	835.
		Travelling & DA	98040.
INCOME		Remuneration to Staff	1768521.
Fees from Students	86532.93	Stationery & Printings	77131.
Examination Fees from B.U.	2788250.00	Functions & Festivals	9853.0
Aids Control Society	4000.00	Computer & Printer Expenses	79432.0
		Electricity Expenses	8650.0
		Telephone & Internet Expenses	3192.0
		Cloth, Sutli & Thread Expenses	64239.0
		Cleaning Expenses	6408.0
		Water Expenses	6220.0
		Advances to Professors	
		Reena Markam	3000.0
		Nibha Jekaw	55000.0
		Fixed Assets	
		Coolers/ Fan Purchased	39090.00
		Almirah/Chair/ Recks Purchased	23718.00
		Closing Balances	
		SBI Bank A/c	5488019.15
TOTAL	**7755581.15**	**TOTAL**	**7755581.15**

Found in accordance with the Books of Accounts, and vouchers produce before us.

For P.K. Sharma & Co.
Chartered Accountants

(CA Pramod K. Sharma)
Partner
UDIN: 21072910AAAACF7379

PRINCIPAL

Bhopal, Dated 07/07/2021

Scanned with CamScanner

P.K. SHARMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS
148, ZONE- II M.P. NAGAR, BHOPAL - 462011, PH.: 2551105, 2555186

CHANDRA SHEKHAR AZAD GOVT. P.G. NODAL COLLEGE, SEHORE (M.P.)
JAN BHAGIDARI SAMITI

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2021

LIABILITIES		Rs.
Income & Expenditure A/c		
Opening Balance	18252498.85	
Less: Deficit during the year	129736.50	18122762.35
Security Deposit (Canteen)		1000.00
Transfer from Fees Collection A/c		2700000.00
Govt. College Grant A/c		150000.00
TOTAL		20973762.35

ASSETS		Rs.
Fixed Assets		
Furniture & Fixtures	1351321.00	
Computers	2350700.00	
Building Under Construction	6089825.00	
Water Coolers	353526.00	
Tally Software	57450.00	
Printers	77308.00	
Display & Notice Board	76822.00	
Library Books	657465.00	
Cycle	1600.00	
White Boards	42187.00	
Grill Fittings	49603.00	
Penasonic Machine	19160.00	
Automated Vending Machine	15523.00	
Fans	10200.00	
Pumps & Tubewell Motors	182967.00	
Batteries	29800.00	
Fire Fighting Equipments	10240.00	
Books	28000.00	
Coolers	239943.00	
Boards	77105.00	
Chairs	19380.00	
Water Purifier R.O.	138000.00	
Statue	78400.00	
Equipments	209639.00	12166164.00
Staff Advances		
Hari Kishan Keer	3000.00	
Sarla	10000.00	13000.00
Advances		
RUSA		122000.00
PWD		1340000.00
Transfer to P.D A/c		94151.00
Transfer to University A/c		94020.00
Closing Balances		
State Bank of India SB A/c		7144427.35
TOTAL		20973762.35

Found in accordance with the Books of Accounts and vouchers produce before us.

For P.K. Sharma & Co.
Chartered Accountants

(CA Pramod K. Sharma)
Partner
UDIN: 21072910AAAACD4320

Bhopal, Dated 07/072021

PRINCIPAL
C.S.A. Govt. P.G. College
SEHORE (M.P.)

Scanned with CamScanner

P.K. SHARMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS
148, ZONE- II M.P. NAGAR, BHOPAL - 462011, PH.: 2551105, 2555186

CHANDRA SHEKHAR AZAD GOVT. P.G. NODAL COLLEGE, SEHORE (M.P.)
JAN BHAGIDARI SAMITI

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2021

..ES		Rs.	ASSETS		
Income & Expenditure A/c			**Fixed Assets**		
Opening Balance	18252498.85		Furniture & Fixtures	1351321.00	
Less: Deficit during the year	129736.50	18122762.35	Computers	2350700.00	
			Building Under Construction	6089825.00	
Security Deposit (Canteen)		1000.00	Water Coolers	353526.00	
			Tally Software	57450.00	
Transfer from Fees Collection A/c		2700000.00	Printers	77308.00	
			Display & Notice Board	76822.00	
Govt. College Grant A/c		150000.00	Library Books	657465.00	
			Cycle	1600.00	
			White Boards	42187.00	
			Grill Fittings	49603.00	
			Penasonic Machine	19160.00	
			Automated Vending Machin	15523.00	
			Fans	10200.00	
			Pumps & Tubewell Motors	182967.00	
			Batteries	29800.00	
			Fire Fighting Equipments	10240.00	
			Books	28000.00	
			Coolers	239943.00	
			Boards	77105.00	
			Chairs	19380.00	
			Water Purifier R.O.	138000.00	
			Statue	78400.00	
			Equipments	209639.00	12166164
			Staff Advances		
			Hari Kishan Keer	3000.00	
			Sarla	10000.00	13000
			Advances		
			RUSA		122000
			PWD		1340000
			Transfer to P.D A/c		94151
			Transfer to University A/c		94020
			Closing Balances		
			State Bank of India SB A/c		7144427
TOTAL		20973762.35	**TOTAL**		20973762

Found in accordance with the Books of Accounts and vouchers produce before us.

For P.K. Sharma & Co.
Chartered Accountants

(CA Pramod K. Sharma)
Partner
UDIN: 21072910AAAACD4320

Bhopal, Dated 07/072021

PRINCIPAL

Scanned with CamScanner

P.K. SHARMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS
148, ZONE- II M.P. NAGAR, BHOPAL - 462011, PH.: 2551105, 2555186

CHANDRA SHEKHAR AZAD GOVT. P.G. NODAL COLLEGE, SEHORE (M.P.)
JAN BHAGIDARI SAMITI

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2018

LIABILITIES		Rs.	ASSETS	Rs.
Income & Expenditure A/c			**Fixed Assets**	
Opening Balance	14372723.55			
Add: Surplus during the year	3980712.03	18353435.58	**Furniture & Fixtures**	1351321.00
Security Deposit (Canteen)		1000.00	**Computers**	1844910.00
Transfer from Fee Collection A/c		2700000.00		
			Building Under Construction	6089825.00
			Water Cooler	83526.00
			Tally Software Purchased	57450.00
			Printer Purchased	18058.00
			Display & Notice Board	76822.00
			Library Books	657465.00
			Cycle	1600.00
			White Board	42187.00
			Grill Fittings	49603.00
			Penasonic Machine	19160.00
			Automated Vending Machine	15523.00
			Fans	10200.00
			Pumps & Tubewell Motors	182967.00
			Battery	29800.00
			Fire Fighting Equipments	10240.00
			Advances	
			Anil Rajput	45000.00
			Jyoti Netram	4500.00
			Hari Kishan Keer	3000.00
			Sarla	10000.00
			Transfer to P.D A/c	94151.00
			Transfer to University A/c	94020.00
			Closing Balances	
			State Bank of India	10263107.58
TOTAL		21054435.58	**TOTAL**	21054435.58

PRINCIPAL

Found in accordance with the Books of Accounts, and vouchers produce before us.

For P.K. Sharma & Co.
Chartered Accountants

Date: 30.01.2019
Place : Bhopal

PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)

P.K. SHARMA & CO. BHOPAL CHARTERED ACCOUNTANTS

(CA Pramod K. Sharma)
Partner

Scanned with CamScanner

P.K. SHARMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS
148, ZONE- II M.P. NAGAR, BHOPAL - 462011, PH.: 2551105, 2555186

CHANDRA SHEKHAR AZAD GOVT. P.G. NODAL COLLEGE, SEHORE (M.P.)
JAN BHAGIDARI SAMITI

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2018

LIABILITIES		Rs.	ASSETS	Rs.
Income & Expenditure A/c			**Fixed Assets**	
Opening Balance	14372723.55			
Add: Surplus during the year	3980712.03	18353435.58	**Furniture & Fixtures**	1351321.00
Security Deposit (Canteen)		1000.00	**Computers**	1844910.00
Transfer from Fee Collection A/c		2700000.00		
			Building Under Construction	6089825.00
			Water Cooler	83526.00
			Tally Software Purchased	57450.00
			Printer Purchased	18058.00
			Display & Notice Board	76822.00
			Library Books	657465.00
			Cycle	1600.00
			White Board	42187.00
			Grill Fittings	49603.00
			Penasonic Machine	19160.00
			Automated Vending Machine	15523.00
			Fans	10200.00
			Pumps & Tubewell Motors	182967.00
			Battery	29800.00
			Fire Fighting Equipments	10240.00
			Advances	
			Anil Rajput	45000.00
			Jyoti Netram	4500.00
			Hari Kishan Keer	3000.00
			Sarla	10000.00
			Transfer to P.D A/c	94151.00
			Transfer to University A/c	94020.00
			Closing Balances	
			State Bank of India	10263107.58
TOTAL		21054435.58	**TOTAL**	21054435.58

PRINCIPAL

Found in accordance with the Books of Accounts, and vouchers produce before us.

For P.K. Sharma & Co.
Chartered Accountants

P.K. Sharma
(CA Pramod K. Sharma)
Partner

P.K. SHARMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS BHOPAL

Date: 30.01.2019
Place : Bhopal

PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)

Scanned with CamScanner

P.K. SHARMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS
148, ZONE- II M.P. NAGAR, BHOPAL - 462011, PH.: 2551105, 2555186

CHANDRA SHEKHAR AZAD GOVT. P. G. NODAL COLLEGE , SEHORE (M.P.)

RECEIPTS AND PAYMENTS OF UNIVERSITY ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

RECEIPTS	Rs.	PAYMENTS	Rs.
Opening Balances		Bank Charges	5988.00
SBI Bank A/c	5581231.73	Other Expenses	30286.00
		Examination Fees Refunded	54190.00
Advance Received back		Addmission Fees Refunded	45085.00
R.K. Verma	10964.00	Travelling & DA	151860.00
		Remuneration to Staff	1561066.00
INCOME		Games and Sports Expenses	45100.00
Fees from Students	1157143.49	Stationery & Printings	97315.00
Examination Fees from B.U.	414200.00	Functions & Festivals	7676.00
		Computer & Printer Expenses	35464.00
		Electricity Expenses	40925.00
		Miscellaneous Expenses	1150.00
		Telephone & Internet Expenses	5243.00
		Cloth Expenses	36027.00
		Boxes Purchased	8260.00
		Cleaning Expenses	732.00
		Water Expenses	4350.00
		Expenses on Rashtriya Seva Yogna	16900.00
		Advances to Professors	
		R.K. Verma	30000.00
		H.S. Mandloi	90000.00
		Fixed Assets	
		Cooler Purchased	19124.00
		Closing Balances	
		SBI Bank A/c	4876798.22
TOTAL	7163539.22	**TOTAL**	7163539.22

Found in accordance with the Books of Accounts, and vouchers produce before us.

For P.K. Sharma & Co.
Chartered Accountants

P.K. SHARMA & CO. ★ BHOPAL ★ CHARTERED ACCOUNTANTS

(CA Pramod K. Sharma)
Partner
UDIN:21072910AAAACG2827

Bhopal, Dated 07/07/2021

PRINCIPAL

PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)

Scanned with CamScanner

P.K. SHARMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS
148, ZONE- II M.P. NAGAR, BHOPAL - 462011, PH.: 2551105, 2555186

CHANDRA SHEKHAR AZAD GOVT. P. G. NODAL COLLEGE , SEHORE (M.P.)

RECEIPTS AND PAYMENTS OF UNIVERSITY ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

RECEIPTS	Rs.	PAYMENTS	F
		Bank Charges	5988.
Opening Balances		Other Expenses	30286.
SBI Bank A/c	5581231.73	Examination Fees Refunded	54190.
		Addmission Fees Refunded	45085.
Advance Received back		Travelling & DA	151860.
R.K. Verma	10964.00	Remuneration to Staff	1561066.
		Games and Sports Expenses	45100.
INCOME		Stationery & Printings	97315.
Fees from Students	1157143.49	Functions & Festivals	7676.
Examination Fees from B.U.	414200.00	Computer & Printer Expenses	35464.
		Electricity Expenses	40925.
		Miscellaneous Expenses	1150.
		Telephone & Internet Expenses	5243.
		Cloth Expenses	36027.
		Boxes Purchased	8260.
		Cleaning Expenses	732.
		Water Expenses	4350.0
		Expenses on Rashtriya Seva Yogna	16900.0
		Advances to Professors	
		R.K. Verma	30000.0
		H.S. Mandloi	90000.0
		Fixed Assets	
		Cooler Purchased	19124.0
		Closing Balances	
		SBI Bank A/c	4876798.2
TOTAL	**7163539.22**	**TOTAL**	7163539.2

Found in accordance with the Books of Accounts, and vouchers produce before us.

For P.K. Sharma & Co.
Chartered Accountants

(CA Pramod K. Sharma)
Partner
UDIN:21072910AAAACG2827

Bhopal, Datéd 07/07/2021

PRINCIPAL

Scanned with CamScanner

P.K. SHARMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS
48, ZONE- II M.P. NAGAR, BHOPAL - 462011, PH.: 2551105, 2555186

CHANDRA SHEKHAR AZAD GOVT. P. G. NODAL COLLEGE , SEHORE (M.P.)

RECEIPTS AND PAYMENTS OF UNIVERSITY ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2020

RECEIPTS	Rs.	PAYMENTS	Rs.
		Bank Charges	4071.00
Opening Balances		Other Expenses	20162.00
SBI Bank A/c	4876798.22	Examination Fees Refunded	835.00
		Travelling & DA	98040.00
INCOME		Remuneration to Staff	1768521.00
Fees from Students	86532.93	Stationery & Printings	77131.00
Examination Fees from B.U.	2788250.00	Functions & Festivals	9853.00
Aids Control Society	4000.00	Computer & Printer Expenses	79432.00
		Electricity Expenses	8650.00
		Telephone & Internet Expenses	3192.00
		Cloth, Sutli & Thread Expenses	64239.00
		Cleaning Expenses	6408.00
		Water Expenses	6220.00
		Advances to Professors	
		Reena Markam	3000.00
		Nibha Jekaw	55000.00
		Fixed Assets	
		Coolers/ Fan Purchased	39090.00
		Almirah/Chair/ Recks Purchased	23718.00
		Closing Balances	
		SBI Bank A/c	5488019.15
TOTAL	7755581.15	**TOTAL**	7755581.15

Found in accordance with the Books of Accounts, and vouchers produce before us.

For P.K. Sharma & Co.
Chartered Accountants

(CA Pramod K. Sharma)
Partner
UDIN: 21072910AAAACF7379

PRINCIPAL

Bhopal, Dated 07/07/2021

Scanned with CamScanner

P.K. SHARMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS
148, ZONE- II M.P. NAGAR, BHOPAL - 462011, PH.: 2551105, 2555186

CHANDRA SHEKHAR AZAD GOVT. P. G. NODAL COLLEGE , SEHORE (M.P.)

RECEIPTS AND PAYMENTS OF UNIVERSITY ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2020

RECEIPTS	Rs.	PAYMENTS	R
		Bank Charges	4071.
Opening Balances		Other Expenses	20162.
SBI Bank A/c	4876798.22	Examination Fees Refunded	835.
		Travelling & DA	98040.
INCOME		Remuneration to Staff	1768521.
Fees from Students	86532.93	Stationery & Printings	77131.
Examination Fees from B.U.	2788250.00	Functions & Festivals	9853.0
Aids Control Society	4000.00	Computer & Printer Expenses	79432.0
		Electricity Expenses	8650.0
		Telephone & Internet Expenses	3192.0
		Cloth, Sutli & Thread Expenses	64239.0
		Cleaning Expenses	6408.0
		Water Expenses	6220.0
		Advances to Professors	
		Reena Markam	3000.0
		Nibha Jekaw	55000.0
		Fixed Assets	
		Coolers/ Fan Purchased	39090.00
		Almirah/Chair/ Recks Purchased	23718.00
		Closing Balances	
		SBI Bank A/c	5488019.15
TOTAL	7755581.15	**TOTAL**	7755581.15

Found in accordance with the Books of Accounts, and vouchers produce before us.

For P.K. Sharma & Co.
Chartered Accountants

(CA Pramod K. Sharma)
Partner
UDIN: 21072910AAAACF7379

PRINCIPAL

Bhopal, Dated 07/07/2021

Scanned with CamScanner

P.K. SHARMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS
148, ZONE- II M.P. NAGAR, BHOPAL - 462011, PH.: 2551105, 2555186

CHANDRA SHEKHAR AZAD GOVT. P.G. NODAL COLLEGE, SEHORE (M.P.)
JAN BHAGIDARI SAMITI

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2021

LIABILITIES		Rs.
Income & Expenditure A/c		
Opening Balance	18252498.85	
Less: Deficit during the year	129736.50	18122762.35
Security Deposit (Canteen)		1000.00
Transfer from Fees Collection A/c		2700000.00
Govt. College Grant A/c		150000.00
TOTAL		20973762.35

ASSETS		Rs.
Fixed Assets		
Furniture & Fixtures	1351321.00	
Computers	2350700.00	
Building Under Construction	6089825.00	
Water Coolers	353526.00	
Tally Software	57450.00	
Printers	77308.00	
Display & Notice Board	76822.00	
Library Books	657465.00	
Cycle	1600.00	
White Boards	42187.00	
Grill Fittings	49603.00	
Penasonic Machine	19160.00	
Automated Vending Machine	15523.00	
Fans	10200.00	
Pumps & Tubewell Motors	182967.00	
Batteries	29800.00	
Fire Fighting Equipments	10240.00	
Books	28000.00	
Coolers	239943.00	
Boards	77105.00	
Chairs	19380.00	
Water Purifier R.O.	138000.00	
Statue	78400.00	
Equipments	209639.00	12166164.00
Staff Advances		
Hari Kishan Keer	3000.00	
Sarla	10000.00	13000.00
Advances		
RUSA		122000.00
PWD		1340000.00
Transfer to P.D A/c		94151.00
Transfer to University A/c		94020.00
Closing Balances		
State Bank of India SB A/c		7144427.35
TOTAL		20973762.35

Found in accordance with the Books of Accounts and vouchers produce before us.

For P.K. Sharma & Co.
Chartered Accountants

(CA Pramod K. Sharma)
Partner
UDIN: 21072910AAAACD4320

Bhopal, Dated 07/072021

PRINCIPAL
C.S.A. Govt. P.G. College
SEHORE (M.P.)

Scanned with CamScanner

P.K. SHARMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS
148, ZONE- II M.P. NAGAR, BHOPAL - 462011, PH.: 2551105, 2555186

CHANDRA SHEKHAR AZAD GOVT. P.G. NODAL COLLEGE, SEHORE (M.P.)
JAN BHAGIDARI SAMITI

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2021

..ES		Rs.	ASSETS		
Income & Expenditure A/c			**Fixed Assets**		
Opening Balance	18252498.85		Furniture & Fixtures	1351321.00	
Less: Deficit during the year	129736.50	18122762.35	Computers	2350700.00	
			Building Under Construction	6089825.00	
Security Deposit (Canteen)		1000.00	Water Coolers	353526.00	
			Tally Software	57450.00	
Transfer from Fees Collection A/c		2700000.00	Printers	77308.00	
			Display & Notice Board	76822.00	
Govt. College Grant A/c		150000.00	Library Books	657465.00	
			Cycle	1600.00	
			White Boards	42187.00	
			Grill Fittings	49603.00	
			Penasonic Machine	19160.00	
			Automated Vending Machin	15523.00	
			Fans	10200.00	
			Pumps & Tubewell Motors	182967.00	
			Batteries	29800.00	
			Fire Fighting Equipments	10240.00	
			Books	28000.00	
			Coolers	239943.00	
			Boards	77105.00	
			Chairs	19380.00	
			Water Purifier R.O.	138000.00	
			Statue	78400.00	
			Equipments	209639.00	12166164
			Staff Advances		
			Hari Kishan Keer	3000.00	
			Sarla	10000.00	13000
			Advances		
			RUSA		122000
			PWD		1340000
			Transfer to P.D A/c		94151
			Transfer to University A/c		94020
			Closing Balances		
			State Bank of India SB A/c		7144427
TOTAL		20973762.35	**TOTAL**		20973762

Found in accordance with the Books of Accounts and vouchers produce before us.

For P.K. Sharma & Co.
Chartered Accountants

(CA Pramod K. Sharma)
Partner
UDIN: 21072910AAAACD4320

Bhopal, Dated 07/072021

PRINCIPAL

Scanned with CamScanner

P.K. SHARMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS
148, ZONE- II M.P. NAGAR, BHOPAL - 462011, PH.: 2551105, 2555186

CHANDRA SHEKHAR AZAD GOVT. P.G. NODAL COLLEGE, SEHORE (M.P.)
JAN BHAGIDARI SAMITI

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2018

LIABILITIES		Rs.	ASSETS	Rs.
Income & Expenditure A/c				
Opening Balance	14372723.55		**Fixed Assets**	
Add: Surplus during the year	3980712.03	18353435.58	**Furniture & Fixtures**	1351321.00
Security Deposit (Canteen)		1000.00	**Computers**	1844910.00
Transfer from Fee Collection A/c		2700000.00		
			Building Under Construction	6089825.00
			Water Cooler	83526.00
			Tally Software Purchased	57450.00
			Printer Purchased	18058.00
			Display & Notice Board	76822.00
			Library Books	657465.00
			Cycle	1600.00
			White Board	42187.00
			Grill Fittings	49603.00
			Penasonic Machine	19160.00
			Automated Vending Machine	15523.00
			Fans	10200.00
			Pumps & Tubewell Motors	182967.00
			Battery	29800.00
			Fire Fighting Equipments	10240.00
			Advances	
			Anil Rajput	45000.00
			Jyoti Netram	4500.00
			Hari Kishan Keer	3000.00
			Sarla	10000.00
			Transfer to P.D A/c	94151.00
			Transfer to University A/c	94020.00
			Closing Balances	
			State Bank of India	10263107.58
TOTAL		21054435.58	**TOTAL**	21054435.58

PRINCIPAL

Found in accordance with the Books of Accounts, and vouchers produce before us.

For P.K. Sharma & Co.
Chartered Accountants

Date: 30.01.2019
Place : Bhopal

PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)

P.K. SHARMA & CO. BHOPAL CHARTERED ACCOUNTANTS

(CA Pramod K. Sharma)
Partner

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य, चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर, जिला सीहोर(म0प्र0)

Ph.No. : 07562-224156, 224240, Fax : 07562- 224240
E_mail :- hecsaglcseh@mp.gov.in
Website :- www.mpcolleges.nic.in/sehore

क्र. 3651 /21 सीहोर,दिनांक 5/10/2021

प्रति,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी,
रिपोर्ट (ए.एम.जी-3)
महालेखाकार कार्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :- महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं का प्रेषण।
संदर्भ :- अपर संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा, भोपाल के पत्र कमांक 423/236/आडिट/आउशि/2021 भोपाल दिनांक 17.08.2021

--00--

उपरोक्त विषय में लेख है कि इस महाविद्यालय की महालेखाकार परीक्षा की लंबित कंडिकाओं के प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र मे तैयार कर पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

क्र.	लेखा निरीक्षण की अवधि	लंबित कंडिकाओं का क्रमांक	कुल लंबित कंडिकाओं की संख्या
1	04/2010 से 09/2014 तक	01 एवं 04	02
2	10/2014 से 09/2018 तक	01,02,03,04,05,06,07,08 एवं 09	09

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

5/10/21
(डॉ.सुमन रोहिला)
प्राचार्य
PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)
सीहोर,दिनांक 5/10/2021

पृ.क्र. 3652 /21

प्रतिलिपि -

1- उप संचालक (वित्त), उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)।

5/10/21
(डॉ.सुमन रोहिला)
प्राचार्य
PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)

O/C

H:\ Letter2021

Scanned with CamScanner

कार्यालय,आयुक्त उच्च शिक्षा म0प्र0
सतपुडा भवन भोपाल
Email ID : he.audit@mp.gov.in

क्रमांक 423 / 236 / आडिट / आउशि / 2021 भोपाल, दिनांक 17/8/21

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय चन्द्रशेखर आजाद स्नातक, महाविद्यालय
सिहोर म0प्र0

विषय :— निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि की लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु अपेक्षित जानकारी प्रेषित करने बाबत।

संदर्भ :— वरिष्ठ लेखा अधिकारी रिपोर्ट ए0एम0जी–3 कार्यालय प्रधान महालेखाकार के पृष्ठांकित पत्र क्रमांक ए0एम0जी–3 / रिपोर्ट / लंबित कंडिका डी–43 दिनांक 05–04–21 ।

–0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा वरिष्ठ लेखा अधिकारी कार्यालय महालेखाकार अवगत कराया गया है आपके महाविद्यालय की निम्नांकित निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाए लंबित है:—

स0क्र0	निरीक्षण प्रतिवेदन की अवधि	लंबित कंडिका	योग
1	04 / 2010 से 09 / 2014	1,4	02
2	10 / 2014 से 09 / 2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9	09
		कुल योग	11

अतः आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदनों लंबित कंडिकाओं के उत्तर मय अभिलेखों के महालेखाकार कार्यालय को तत्काल भेजा जाना सुनिश्चित करें एवं प्रेषित उत्तर की एक प्रति इस कार्यालय को भी भेजा जाना सुनिश्चित करें ।

आयुक्त द्वारा आदेशित

संलग्न - प्रपत्र

उप संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा म0प्र0 भोपाल

पृ.क्रमांक 424 / 236 / आडिट / आउशि / 21 भोपाल, दिनांक 17/8/21

प्रतिलिपि :— वरिष्ठ लेखा अधिकारी रिपोर्ट ए0एम0जी–3 कार्यालय प्रधान महालेखाकार ग्वालियर के पृष्ठांकित पत्र क्रमांक ए0एम0जी–3 / रिपोर्ट / लंबित कंडिका डी–43 दिनांक 05–04–21 के संदर्भ में सूचनार्थ।

उप संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा म0प्र0 भोपाल

लेखापाल
आवश्यक कार्यवाही करें
11/09/2021

Seen
16.9.21

9029(2)
11.9.21

Scanned with CamScanner

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय,सीहोर
प्रतिवेदन अवधि 10/14 से 09/2018 तक

<table>
<tr><th>स. क.</th><th>प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक</th><th>कंडिका की नकल</th><th>प्राचार्य का उत्तर</th><th>रिमार्क</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>जनभागीदारी मद में बजट उपलब्ध होने के उपरांन्त भी पी. डी. खाते से स्व वित्तिय पाठ्यक्रमों के कार्यरत कर्मचारियों को अनियमित भुगतान किया जाना राशि रू. 31.11 लाख। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के भाग–एक के अध्याय तीन सेक्सन–। के नियम 536 के अनुसार "No money shall we received for deposit in the public Account unless they are such as why virtue of any statutory provision or of ant general ar special order of the Governement are required or authorized to be held in the custody of the Governement. Further, under rule 553 it is envisaged unless it weotherwise provided by any law rule or order issued by competent authority a deposit repayment order shall remain in force for perod of three months from the date on which is was issued, after which no prepayment can be made for it authority unless it is revalidated."
लेखा परीक्षा द्वारा प्राचार्या शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर की लेखा परीक्षा अवधि में पी.डी. खाते में जमा एवं इससे किये गये भुगतान की नमूना जांच किए जाने पर पाया गया कि कार्यालय द्वारा पी.डी. खाते से प्रमुख रूप से जनभागीदारी मद के स्व वित्तिय पाठ्यक्रमों के Faculties को अनियमित रूप से राशि रु. 31.11 लाख का भुगतान किया गया जबकि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे भुगतान हेतु जन भागीदारी मद में अलग से बजट प्रदाय किया जाता है। इस अवधि में महाविद्यालय को जनभागीदारी मद से भी राशि उपलब्ध कराई गई जिसमें से स्व वित्तिय पाठ्यक्रमों हेतु नियुक्त कर्मचारियों को वेतन भी प्रदान करना था जो कि नहीं किया गया जिससे जनभागीदारी खाते में निम्नानुसार रु. 1.69 करोड़ की राशि अव्ययित रही :
<table>
<tr><th>अवधि</th><th>बैंक का नाम</th><th>खाता क्रमांक</th><th>बैक खाते में अंतिम शेष</th></tr>
<tr><td>31 मार्च 2015</td><td>बैंक ऑफ इंडिया</td><td>901010110009344</td><td>1567251</td></tr>
<tr><td>31 मार्च 2016</td><td>बैंक ऑफ इंडिया</td><td>901010110009344</td><td>2004529</td></tr>
<tr><td>31 मार्च 2017</td><td>स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</td><td>34938153799</td><td>4035456</td></tr>
<tr><td>31 मार्च 2018</td><td>स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</td><td>34938153799</td><td>10354195</td></tr>
<tr><td>अप्रैल 2018 से सितम्बर 2018 तक</td><td>स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</td><td>34938153799</td><td>10691276</td></tr>
</table>
कार्यालय द्वारा पी.डी. खाते से अन्य भुगतान यथा सामग्री क्रय इत्यादी लेन–देन भी किया पी.डी. खाते से बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के इस प्रकार भुगतान किया जाना सर्वथा अनुसूचित एवं अनियमित है।
लेखा परीक्षा द्वारा आपत्ति लिए जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 से स्ववित्तिय मद से आमंत्रित अतिथि विद्वानों को जनभागीदारी मद से भुगतान किया जा रहा है। कार्यालय प्रमुख का उत्तर अमान्य कर लेख है कि पूर्व के वितीय वर्षों में किए गए पी.डी. खाते से भुगतान के कारण जनभागीदारी मद में आवंटित राशि का उपयोग नहीं हो पाया एवं जनभागीदारी मद के बैंक खाते में राशि रुपए 1.07 करोड़ की धन राशि अवरूद्ध रही।
स्थिति उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लायी जाती है।</td><td>महाविद्यालय द्वारा स्ववित्तीय पाठ्यक्रम संचालित किये गये है। उसी समय से संबधित विद्यार्थियों से लिये जाने वाला शुल्क चालान द्वारा पीडी खाते में जमा कराते रहें है, एवं उसी मद यानी पीडी खाते से ही कार्यरत कर्मचारियों को पारिश्रमिक भुगतान किया गया है। सत्र 2017–18 से विद्यार्थियों से लिये जाने वाला शुल्क जनभागीदारी मद में जमा कर कर्मचारियों को भुगतान जनभागीदारी मद से किया जा रहा है।

अतः कण्डिका निर्णितमान्य करने का कष्ट करें।

PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M.P.)</td><td></td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

कार्यालय, प्राचार्य चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय, सीहोर
स्ववित्तीय मद के अंतर्गत भुगतान

/2018 सीहोर,दिनांक :

कार्यालयीन आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार माह अगस्त 2018 का स्ववित्तीय मद से पारिश्रमिक भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

	नाम	माह	कार्य दिवस	कुल राशि	आई.एफ.एस.सी.कोड	खाता क्रमांक
1	कु. अनुभूति देवगड़े	अगस्त 2018	21 Day	10161	SBIN0000477	33248640252
2	श्रीमती दीपिका शर्मा	अगस्त 2018	23 Day	11129	SBIN0030130	63028848281
3	श्री अजय	अगस्त 2018	21 Day	10161	SBIN0010850	31321420261
4	कु. नेहा राठौर	अगस्त 2018	24 Day	11612	SBIN0000477	34283809505
5	श्री आशीष विश्वकर्मा	अगस्त 2018	24 Day	11612	SBIN0000477	34827948181
6	श्री राजकुमार अहिरवार	अगस्त 2018	04 Day	1935	SBIN0030343	20191202293
7	श्रीमती सरिता चौपड़ा	अगस्त 2018	23 Day	11129	SBIN0003927	20210036018
8	कु. [illegible] राठौर	अगस्त 2018	22 Day	10645	SBIN0030231	20128184201
9	कु. रचना बागवान	अगस्त 2018	23 Day	11129	SBIN0000477	30935954611
10	श्री हेमन्त मेवाड़ा	अगस्त 2018	27 Day	8613	SBIN0000477	32704519247
11	कु.रिया [illegible]	अगस्त 2018	24 Day	7656	SBIN0000477	32704484881
12	श्री कमल सिंह परमार	अगस्त 2018	29 Day	7076	SBIN0000477	30577772794
	योग			112858.00		

रु. - (रु.एक लाख बारह हजार आठ सौ अट्ठावन मात्र)

प्राचार्य एवं सदस्य सचिव
जनभागीदारी समिति
शास० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर

/2018 सीहोर दिनांक :

प्रति,

भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा-सीहोर की ओर लेख है कि चैक की राशि रु. 112858=00 उपर्युक्त कर्मचारियों के नाम के सम्मुख अंकित खाते में जमा करें।

चैक नं. 107135
11/9/2018
रु. 112858=00

प्राचार्य एवं सदस्य सचिव
जनभागीदारी समिति
शास० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर

PAID & CANCELLED
For Rs. 112858
Vide Vr. No. 65 Dt. 11.9.18
Entered in C. B. Page No. 35

Accountant D. D. O.

PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M.P.)

Scanned with CamScanner

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय,सीहोर

प्रतिवेदन अवधि 10/14 से 09/2018 तक

स.क.	प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक	कंडिका की नकल	प्राचार्य का उत्तर	रिमार्क
2	2	जनभागीदारी खाते से राशि रू. 20.85 लाख का संदिग्ध भुगतान। कार्यालय प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की लेखा परीक्षा अवधि 10/14 से 9/2018 की अवधि में लेखा परीक्षा के दौरान जनभागीदारी खाता के बैक ऑफ इंडिया स्थित खाता क्रमांक 901010110009344 की नमूना जॉच किये जाने पर पाया कि कार्यालय द्वारा 7/2015 में चैक क्रमांक 1313 एवं 1314 द्वारा क्रमशः राशि रू. 1235877/– एवं रू. 849390/– का भुगतान एक व्यक्तिगत खाते "HIRDESH KUMAR" में किया गया। इस भुगतान से संबंधित अभिलेख मांगे जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणक के रूप में एक विवरण पत्रक उपलब्ध कराया गया जिसमें इस राशि से किये गये व्यय का विवरण दर्ज था। उपरोक्तानुसार किये गये व्यय के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा निम्न बिन्दुओं पर कार्यालय का अभिमत वांछित था : 1. कार्यालय द्वारा व्यक्तिगत खातें मे उक्त राशि का भुगतान किया गया जो कि मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के चैक से भुगतान संबंधी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। 2. लो.नि.वि. को प्रदाय की गई राशि से निर्धारित अवधि में जो कार्य सम्पन्न कराये जाने थे उनके कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं निर्धारित अवधि में किये जाने संबधी कोई अभिलेख कार्यालय द्वारा संधारित नही किये गये। जिससे इस प्रकार किये गये भुगतान के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नही किया जा सकता। लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि लोक निर्माण विभाग से सत्यापन करा लिया जावेगा। स्थिति उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लायी जाती है	निर्माण कार्यो के भुगतान हेतु महाविद्यालय से जारी चैक क्रमांक 1313 एवं 1314 रू. क्रमशः 1235877/- एवं 849390/- दिनांक 23.07.2015 कुल राशि रू.2085267/- मुख्य कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सीहोर को भुगतान किया गया है। जिसकी पावती MPTC-6 की रसीद क्र.72,73 दिनांक 31.07.2015 प्राप्त की गई है। लोक निर्माण विभाग,सीहोर के पत्र क्र. 1311/बजट/2019-20 दिनांक 21.06.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त राशि के चालान श्री हिरदेश कुमार,भृत्य के द्वारा बैक में जमा कराये गये है। अवलोकन हेतु चालान की प्रति एवं पत्र की छायाप्रति संलग्न है। अतः कण्डिका निर्णितमान्य करने का कष्ट करें। PRL C. S. A. G. P. G. College, SEHORE (M. P.)	

Scanned with CamScanner

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग सीहोर

दूरभाष क्रमांकः-07562-222701 फैक्सः-07562-225701
ई-मेलः-eepwdsehore@mp.nic.

क्रमांक 1311 / बजट / 2019-20 दिनांक 21/06/19

प्रति,

प्राचार्य,
चन्द्रशेखर आजाद शासकीय
स्नातकोत्तर महाविधालय सीहोर

विषय :- चैक कंमाक 1313 रूपये 1235877/- एवं चैक कंमाक 1314 रूपये 849390/- दिनांक 23.07.2015 का भुगतान किये जाने के संबंध में।

सदंर्भ :- आपका पत्र कं.1995/19/दिनांक 20.06.19।

-:::0000:::-

उपरोक्त संदर्भित लेख है, कि महाविधालय द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग सीहोर के पक्ष में उपरोक्त राशि के चैक निर्माण कार्यो के भुगतान हेतु जमा करायें गये थे, जिसे विभाग के भृत्य श्री हिरदेश कुमार द्वारा चालान तैयार कर बैंक शाखा में जमा करायें गये है। (चालान की छायाप्रति संलग्न है) एवं महाविधालय को MPTC रसीद कं. 72, 73 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पावती भी भेजी गई है।

अतः सूचनार्थ आपकी ओर प्रेषित है।

सहपत्र :- 0

कार्यपालन यंत्री,
लो.नि.वि. संभाग सीहोर

21.6.19

शासकीय महाविधालय
सीहोर (म० प्र०)
क्र/आ० 1463/19
दिनांक 21/6/19

PRINCIPAL
C.S.A.G.P.G. College
SEHORE (M.P.)

Scanned with CamScanner

XX II
269 Try

CHAIINA No.

FORM M.P.T.C. 7
See Subsidiary Rule 52
Date....................

Chelan of cash paid in to State Bank of India Sehore

To be filled by remitter					To be filled by the Department office of the Treasury officer		
By whom tendered	Name of designation And address of the person on whose be half	Fill particulars of the remittance and of the authority (if any)	Amount Rs.	P.	Head of account	Account office by whom Adjustable	Order of the Bank
Name Shri Shivdatt Kumar	office of the Executive Engineer Sehore	By Remittance to Rs. 12,35,877=00 Vide Cheque No. 001313 Date 23-7-2015 State Bank of India Branch Sehore on A/c of Defance Work of Chandra Shakhar Aazad P.G. College Sehore	12,35,877=	00	8782 Cash remittance & Adjustment between the office Rendering account of the same A.C.P.W.D. Remittance	office of the Executive Engineer P.W.D. Division. Sehore	Correct receive &grant recpt (Sig. & full designation of the ordering the money to be paid in) Date.......
		Total	12,35,877=	00			

7522964 7234

(In words) Rupees Twelve Lakhs Thirty Five Thousand Eight Hundred Seventy seven) Only

To be used only in the case of Remittance to the Bank through Department office of the Treasury officer

PRINCIPAL
C.S.A. G.P.G. College
SEHORE (M.P.)

Received payment(In words) Rupees

Treasurer accountant

Executive Engineer
Executive Engineer
P.W.D. Division Sehore

1) Constn. of C.C. road P.G College Sehore Rs 463644=00 (GO No 15001)
2) Constn of Kentien & Electric P.G. college Rs 189539=00 (GO No 15003)
3) Constn. of Tailet & Electric P.G College Sehore Rs 382000= (GO No 15004)
4) Rooning water arangment P.G. College Sehore Rs 200694= (GO No 15005)

1235877=00

MR No 16302/72 Dt 31/7/15

XX II
269 Try

CHAIINA No.

FORM M.P.T.C
See Subsidiary Rule
Date....................

Chelan of cash paid in to State Bank of India Sehore

To be filled by remitter					To be filled by the Department office of the Treasury officer		
By whom tendered	Name of designation And address of the person on whose be half	Fill particulars of the remittance and of the authority (if any)	Amount Rs.	P.	Head of account	Account office by whom Adjustable	Order of the Bank
Name Shri Hiralal Kumar.	office of the Executive Engineer Sehore	By Remittance to Rs. 8,49,390 =00 Vide Cheque No. 001314 Date 23-7-2015 State Bank of India Branch Sehore on A/c of Deffance Work of Chandra Shakhar Aazad P.G. College Sehore	8,49,390=	00	8782 Cash remittance & Adjustment between the office Rendering account of the same A.C.P.W.D. Remittance	office of the Executive Engineer P.W.D. Division. Sehore	Date........Correct receive &grant recpt (Sig. & full designation of the ordering the money to be paid in)
		Total	8,49,390=	00			

9329647234

(In words) Rupees Eight Lakhs Forty Nine Thousand Three Hundred Ninety) Only

To be used only in the case of Remittance to the Bank through Department office of the Treasury officer

M/R No 16302/73
Dt 31/7/15

PRINCIPAL

Received Treasurer

payment(In words) Rupees accountant

Executive Engineer
P.W.D. Division Sehore

P.R. No 15006	(1) Repair of Roof P.G. college Sehore	Rs 217538=00
P.R. No 15007	(2) Electric work & Partition old Laboratory Showroom P.G. college Sehore	Rs 70918=00
P.R. No 15008	(3) Aluminium Partition Room No 85/13 P.G. College and	Rs 123925=00
P.R. No 15009	(4) Renewal. old Toilet Sewer line Electric line P.G. college Sehore	Rs 437009=00
		849390=00

Scanned with CamScanner

कां/अ/1-2

कार्यालय प्राचार्य, चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर

Ph.No. : 07562-224156, 224240, Fax : 07562- 224240
E_mail :- hecsaglcseh@mp.gov.in
Website :- www.mpcolleges.nic.in/sehore

क्र. 1995 /19 सीहोर,दिनांक : 20/6/19

प्रति,

मुख्य कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
सीहोर।

विषय :- चैक क्र.1313 रू.1235877/- एवं चैक क्र.1314 रू.849390/- दि.23.07.15 का भुगतान हिरदेश कुमार को किये जाने बावत्।

संदर्भ :- महालेखाकार,ग्वालियर का पत्र क्र.OAD/3/नि.प्रति क्र.69/2018-19 दि.03.01.19

--00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय द्वारा मुख्य कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सीहोर के पक्ष में चैक क्र.1313 रू.1235877/- एवं चैक क्र.1314 रू. 849390/- दि.23.07.15 कुल राशि रू.2085000/- का निर्माण कार्यो के भुगतान हेतु MPTC-6 की रसीद क्र.72 एवं 73 दिनांक 31.07.2015 द्वारा जमा कराये गये है।

महालेखाकार ग्वालियर के द्वारा अंकेक्षण के दौरान कंडिका क्र.02 द्वारा आपत्ति ली गई है, की उक्त चैको की राशि का भुगतान हिरदेश कुमार को खाता क्र.10733128707 में किया गया। ऐसा बैंक पासबुक प्रविष्टि में अंकित है।

इस संबध में जानकारी पत्र वाहक को प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि ऑडिट आपत्ति को निराकृत कराये जा सके।

संलग्न :- 1.MPTC-6 की रसीद क्र.72 एवं 73 की छायाप्रति।
2.ऑडिट कंडिका छायाप्रति।

(डॉ.आशा गुप्ता)
प्राचार्य

पृ.क्र. 1996 / 19 सीहोर,दिनांक : 20/6/19

प्रतिलिपि :-

1- प्रंबधक,भारतीय स्टेट बैंक,शाखां-सीहोर की ओर लेख है कि उक्त चैको की राशि के भुगतान के संबध में जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें।
2- महालेखाकार,ग्वालियर।

(डॉ.आशा गुप्ता)
प्राचार्य

O/C

PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)

E:\College data\Letter\Letter3 1019 of 1019

Scanned with CamScanner

Ph.No. : 07562-224150, 224240, ...
E_mail :- hecsaglcseh@mp.gov.in
Website :- www.mpcolleges.nic.in/sehore

41 /15 सीहोर,दिनांक 24/7/15

कार्यपालन यंत्री, (पथ एवं भवन)
लोक निर्माण विभाग,
सीहोर।

विषय- चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु राशि प्रदाय करने बावत्।

संदर्भ- आपका पत्र क. 1892/आय-व्यय/2014-15 दिनांक 20.07.2015

---00---

उपरोक्त विषय में आपके संदर्भित पत्र द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्यो हेतु डिपॉजिट वर्क के रूप में राशि रूपये 12,35,877/- (शब्दों में रूपये बारह लाख पैंतीस हजार आठ सौ सतत्तर मात्र) आपकी ओर चेक कमांक 001313 दिनांक 23.07.2015 द्वारा भेजी जा रही है। कृपया पावती प्रदान करने का कष्ट करें।

1- महाविद्यालय परिसर में सी.सी.रोड़ का निर्माण	4,63,644=00
2- कैन्टीन का निर्माण + विद्युत व्यवस्था	1,89,539=00
3- टायलेट निर्माण + विद्युत व्यवस्था	3,82,000=00
4- रनिंग वाटर की व्यवस्था	2,00,694=00
	12,35,877=00

(कुल योग - बारह लाख पैंतीस हजार आठ सौ सतत्तर मात्र)

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य National Assessment and Accreditation Council के सितम्बर माह में प्रस्तावित निरीक्षण की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर 31 अगस्त, 2015 तक पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्न - चेक कमांक 001313 दिनांक 23.07.2015 राशि रू. 12,35,877/-

PRINCIPAL
C.S.A.G.P.G.College
SEHORE (M.P.)

(डॉ0व्ही.के.शुक्ल)
प्राचार्य

D:\Parvez Ansari\Letters\Letter15.doc
D:\Parvez Ansari\Letters\Letter15.doc

Scanned with CamScanner

XV-OR-99

ORIGINAL

FORM M.P.T.C. 6

(*See* subsidiary Rule 5)

Book No. 16302

Serial No. 72

RECEIPT

Dated 31/7/15 20

Received from Principal Chandra Shekhar Azad College Sehore

with letter No. 2141/15 dated the 24/7/15 Vide cheque

the sum of Rupees No 001313 Dt 23/7/15

in cash / by cheque on account of Difference Work P.G. College, Sehore

in .... payment of

Rs. 12,35,877=00

Executive Engineer
P.W.D. Sehore Dn. Sehore
Signature with Designation

GCPB—1165—DCGCPB—18-11-2005—20,000 Bks.

XV-OR-99

ORIGINAL

FORM M.P.T.C. 6

(*See* subsidiary Rule 5)

Book No. 16302

Serial No. 73

RECEIPT

Dated 31/7/15 20

Received from Principal Chandra Shekhar Azad P.G. College Sehore

with letter No 2142/15 Dt 24/7/15 Vide cheque No 001314

the sum of Rupees Dt 23/7/15

in cash / by cheque on account of Difference Work P.G. College, Sehore

in .... payment of

Rs. 8,49,390=00

Executive Engineer
P.W.D. Sehore Dn. Sehore
Signature with Designation

GCPB—1165—DCGCPB—18-11-2005—20,000 Bks.

PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)

O/C

(डॉ० व्ही.के.शुक्ल)
प्राचार्य

Parvez Ansari\Letters\Letter15.doc

Scanned with CamScanner

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय,सीहोर

प्रतिवेदन अवधि 10/14 से 09/2018 तकप्रतिवेदन अवधि 10/14 से 09/2018 तक

<table>
<tr><th>स.क्र.</th><th>प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक</th><th>कंडिका की नकल</th><th>प्राचार्य का उत्तर</th><th>रिमार्क</th></tr>
<tr><td>3</td><td>3</td><td>
गांव की बेटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015– 16 से 2016– 17 के दौरान छात्रवृत्ति वितरण में अधिक्य अंतर की राशि रु. 5.85 लाख जबकि वित्तीय वर्ष 2017– 18 छात्रवृत्ति वितरण में कमी की राशि 8.20 लाख।

गांव की बेटी योजना के अंतर्गत गांव की छात्राओं को पात्रतानुसार राशी रु. 5000 प्रति छात्रा के मान से छात्रवृत्ति का भुगतान का प्रावधान है। गांव की बेटी योजना/ प्रतिभा किरण योजना/विक्रमादित्य योजना के अंतर्गत वितरित छात्रवृत्ति के संबंध में कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि में प्रदाय की गई जानकारी को कोषालय अभिलेखो से मिलान किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

<table>
<tr><th rowspan="3">वित्तिय वर्ष</th><th colspan="3">कार्यालय अभिलेख के अनुसार</th><th colspan="4">कोषालय अभिलेख के अनुसार</th></tr>
<tr><th rowspan="2">स्वीकृत छात्रवृत्ति</th><th rowspan="2">छात्रवृत्ति मान</th><th rowspan="2">वितरित राशि</th><th rowspan="2">कोषालय के द्वारा गया वास्तविक व्यय</th><th rowspan="2">वास्तविक स्वीकृत छात्रवृत्ति</th><th colspan="2">अंतर</th></tr>
<tr><th>स्वीकृत छात्रवृत्ति</th><th>वितरित राशि</th></tr>
<tr><td>2015-16</td><td>373</td><td>5000</td><td>1865000</td><td>2220000</td><td>444</td><td>71</td><td>355000</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>485</td><td>5000</td><td>2425000</td><td>2655000</td><td>531</td><td>46</td><td>230000</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>858</td><td></td><td>4290000</td><td>4875000</td><td>975</td><td>117</td><td>585000</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>1578</td><td>5000</td><td>7890000</td><td>7070000</td><td>1414</td><td>(-)164</td><td>820000(-)</td></tr>
</table>

लेखा परीक्षा द्वारा समीक्षा किये जाने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में 71 छात्रवृत्तियों का अतिरिक्त भुगतान किया गया जिनके लिये राशि रु. 355000/– का अधिक भुगतान कोषालय द्वारा किया गया।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2016–17 में 46 छात्रवृत्तियों का अतिरिक्त भुगतान किया गया जिनके लिये राशि रू. 230000/– का अधिक भुगतान कोषालय द्वारा किया गया। वित्तिय वर्ष 2017–18 में कार्यालय द्वारा 1578 छात्रवृत्तियों हेतु राशि रु.7890000/– का भुगतान किया बताया गया है जबकि वस्तुतः कोषालय द्वारा रू. 7070000/– का भुगतान किया गया है जिससे 1414 छात्रवृत्तियां स्वीकृत किये जाने की ही पुष्टि हो पाती है।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि कोषालय से अंतर की राशि का कारण अधीनस्थ एवं अशासकीय महाविद्यालयों कि गांव की बेटी योजना का भुगतान किया जाना है।

कार्यालय प्रमुख का उत्तर अमान्य कर लेख है कि प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर ही इस योजना के अंतर्गत भुगतान के आहरण एवं संवितरण अधिकारी है एवं कोषालय से योजना शीर्ष 6916 के अंतर्गत भुगतान की गई राशि में अधीनस्थ संस्थानों की राशि भी शामिल होना चाहिये। साथ ही लेखापरीक्षा का यह भी अभिमत है कि गांव की बेटी योजना छात्रवृत्ति फिक्स है एवं अन्य योजना यथा प्रतिभा किरण एवं विक्रमादित्य योजना में कोषालय एवं कार्यालय के व्यय आंकड़ों में कोई अंतर नहीं है।
स्थिति उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लायी जाती है।
</td><td>
सत्र 2015-16, 2016-17, 2017-18 में गाँव की बेटी योजना अन्तर्गत महाविद्याय द्वारा दी गई लाभान्वितों की संख्या कार्यालय अभिलेखों से मिलान करने पर सही पाये गई है।

अतः कण्डिका निर्णितमान्य करने का कष्ट करें।

PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M.P.)
</td><td></td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय,सीहोर
प्रतिवेदन अवधि 10/14 से 09/2018 तक

स.क्र.	प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक	कंडिका की नकल	प्राचार्य का उत्तर	रिमार्क
4	4	**मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की आरक्षित सामग्री का क्रय निजी फर्मो से किया जाना राशि रु. 5.11 लाख।** मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्र./एफ. /6–14/2012/अ–ग्यारह भोपाल दिनांक 28.07.15 के द्वारा शासन के समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों को म.प्र. भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिये निर्देशित किया गया था जिसके अनुसार शासन के प्रत्येक विभाग द्वारा कार्यालय के उपयोग हेतु कतिपय वस्तुओं का क्रय किसी विशिष्ट उपार्जनकर्ता अभिकरण के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित कर सकेगा। परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' में वर्णित वस्तुओं का क्रय परिशिष्ट में उल्लेखित उपार्जनकर्ता अभीकरणों के माध्यम से किया जायेगा। तथा जो वस्तुएं मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित हैं। उनका क्रय म.प्र. लघु उद्योग निगम से ही किया जाना चाहिये। यदि सामग्री प्रदान करने में म.प्र. लघु उद्योग निगम असमर्थता प्रकट करें तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कोटेशन/निविदा के माध्यम से सामग्री का क्रय किया जायेगा। कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर की लेखापरीक्षा अवधि में RUSA मद हेतु संधारित रोकड़बही एवं व्यय के अभिलेखों तथा प्रमाणकों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि रु. 511043/– की सामग्री यथा फर्नीचर, अलमारी एवं वाटर कूलर इत्यादि मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम 26 के परिषिष्ट–अ में सम्मिलित वस्तुओं का क्रय मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के स्थान पर अन्य फर्मों से किया गया। इस प्रकार राशि रु. 5.11 लाख का अनियमित व्यय किया गया जो कि उपरोक्त नियमों के विरुद्ध है एवं अनियमितता की श्रेणी में आता है। लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिए जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए क्रय किया जावेगा। स्थिति उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाई जाती है।	रूसा मद एवं आयुक्त उच्च शिक्षा,म0प्र0शासन,भोपाल से आंवटित राशि 5.11 लाख के फर्नीचर एवं उपकरण तत्कालीन समय में म0प्र0लघु उद्योग निगम में शासन द्वारा दर निर्धारण न होने के कारण जेम पोर्टल(ई गवर्नेस मार्केटिंग) से छात्र/छात्राओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये अतिआवश्यक सामग्री क्रय की गई है। जेम से क्रय की गई सामग्री के क्रय आदेश एवं नोटशीट की छायाप्रति संलग्न है। अतः कण्डिका निर्णितमान्य करने का कष्ट करें। PRINCIPAL C. S. A. G. P. G. College SEHORE (M. P.)	

Scanned with CamScanner

नस्ती क्रमांक 04

XV-OR-15

विषय:- ऑफिस अलमारी क्रय करने की अनुमति विषयक। दिनांक 18/2/2017

कार्यालय आयुक्त उच्चशिक्षा म.प्र.शासन सतपुडा भवन भोपाल - के पत्र क्रमांक 299/170/आउशि/बजट/16 भोपाल दिनांक 8/02/17 द्वारा सामग्री पूर्ति एवं अन्य हेतु प्राप्त बजट आवंटन राशि रु० 24,000/- शब्दो में चौबीस हजार मात्र में से कार्यालय उपयोग हेतु ऑफिस अलमारी 2 नग क्रय करने की अनुमति प्रदान करना चाहें।

18/2/17
श्रीमती शोभा सिंह
सहा-ग्रेड-3

प्राचार्य

क्रय समिति परीक्षण कर अनुशंसा करें।

18/2/17

वर्तमान मे लघु उद्योग निगम की दर सूची प्रभावशील नही है और बजट चतुर्थ तिमाही मे उपयोग किया जाना है। इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुये भण्डार क्रय नियम 2015 का पालन करते हुये उच्च गुणवत्ता पूर्ण सामग्री युक्त ऑफिस अलमारी - 2 नग खुले बजार से क्रय करने की अनुशंसा की जाती है।

18/2/17
डॉ. सुजीत कुमार गौतम

क्रय समिति की अनुशंसानुसार भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुये आफिस अलमारी - 2 नग खुले बाजार से क्रय करने की अनुमति दी जाती है।

18/2/17

PRINCIPAL
G. B. & G. R. G. College
SENGAR (M.P.)

GCPB ...494...1 8 GCPB ...11 10 13...2,00,000 Form

XV-OR-15

विषय :- पुस्तकालय हेतु ग्लास डोर अलमारी क्रय करने की अनुमति विषयक। दिनांक 1/3/17

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 299/170/आउशि/बजट/16 भोपाल दिनांक 8/02/17 द्वारा सामग्री पूर्ति एवं अन्य हेतु प्राप्त बजट आवंटन राशि रु० 24,000/- शब्दों में -चौबीस हजार मात्र में से शेष राशि रु० 20,320/- से पुस्तकालय हेतु ग्लास डोर अलमारी एक नग क्रय करने की अनुमति प्रदान करना चाहें।

प्राचार्य

प्रभारी
डॉ. सुनील कु. गौतम

श्रीमती शोभा सिंह
सहा - ग्रेड-3

क्रय समिति परीक्षण कर अनुशंसा करें।

1/3/17

आज दिनांक को लघु उद्योग निगम की दर सूची प्रभावशील नहीं है। बजट आवंटन का उपयोग चतुर्थ तिमाही में किया जाना है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये भण्डार क्रय नियम 2015 का पालन करते हुये गुणवत्ता पूर्ण सामग्री युक्त पुस्तकालय हेतु ग्लास डोर अलमारी 1-नग खुले बाजार से क्रय करने की अनुशंसा की जाती है।

डॉ. सुनील कुमार गौतम

भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार ग्लास डोर अलमारी 1-नग क्रय करने की अनुमति क्रय समिति की अनुशंसानुसार दी जाती है।

1/3/17

PRINCIPAL
G. B. G. G. D. G. College
INDORE (M.P.)

GCPB—494—IR GLPB—11-10-13—2,00,000 Form

Scanned with CamScanner

Invoice

raders Bhopal
r Colony In Front Of Jain Mandir Lalghati
l, Bhopal, Madhya Pradesh, Pin: 462032
tact no : 7389606089
STIN: 23AQKPJ4756C1Z0
Bank Account No.: 3298201000251
IFSC : CNRB0003298

GEM100548-233310-INV-1

Order No: GEMC123723-16
Order Date: 11-Jan-2018

Bill To:
Anil Rajput
Bhopal Naka Sehore , Sehore , Madhya Pradesh ,
466001
Contact: 9425013306
GSTIN: N/A

Shipping To:
Anil Rajput
Bhopal Naka Sehore, Sehore, Madhya Pradesh,
466001
Contact: 9425013306

[illegible]	Invoice Date	Dispatch Mode	Dispatch Date	Expected Delivery Date
35	21-Jan-2018	Manual	21-Jan-2018	26-Jan-2018

Qty	Description	HSN Code(GST)	Supplied Qty	Unit Price	Total Price (inclusive all Taxes (in INR))
25 Nos	computer table	9403	25	8892.00	Rs. 222,300.00
				IGST	Rs. 00
				CGST	Rs. 16955.084
				SGST/UTGST	Rs. 16955.084
				Cess	Rs. 00

Scanned with CamScanner

[illegible]18 22 02 52

[illegible]etails		Buyer Details	
	State Government	GEM Unique ID	GEM/2017/GO/123537/1
[illegible]epartment	Higher Education Department Madhya Pradesh	Name	Anil Rajput
[illegible]ion Name	Barkatullah University Bhopal	Contact No	9425013306
		Email ID	dranilrajput@gmail com
		GSTIN	N/A
		Address	Bhopal Naka Sehore , Sehore Madhya Pradesh - 466001

Seller Details

GEM Unique ID	GEM/2017/S/PS/22889
Company Name	sarovar traders bhopal
Contact No	7389606089
Email ID	anuragjain2308@gmail com
Address	Jain Nagar Colony In Front Of Jain Mandir Lalghati Bhopal Bhopal Madhya Pradesh 462032

Consignee Detail

S.No.	Consignee	Quantity	Expected Delivery Date
[illegible]	Anil Rajput [illegible] [illegible]	25	26-01-2018

Accounting Details

Designation of official providing administration approval	HOD	Designation of official providing financial approval	HOD
IFD Diary No	00	IFD Diary Date	05-12-2017

Product Details

#	Item Description	Model	Is PAC buying?	Ordered Quantity	Unit	Price per Unit [illegible]
[illegible]	computer table [illegible]	st78	NA	25	NOS	8 892 00
						222.300.00
Total Order Value (in INR)						

Specification	Value	Unit
Table Type	Computer Table	
Overall Length Of Table	900MM	Mm
Overall Width Of Table	600MM	Mm
Height Of Table	750MM	Mm
Material Of Table Top	Laminated MDF Board With Balancing Lamination On Back Side	
Type Of Wood	NA	
Thickness Of Table Top	18MM	Mm
Hole For The Cable In The Top	NO	
Material Of Frame Structure	CRCA PIPE	
Section Size Of Frame Structure	25 X25 MM	MmXmm
Thickness Of Frame Structure Material	1 29 MM	Mm
Material Of Modesty Panel	NA	
Thickness Of Modesty Pannel	NA MM	Mm
Length Of Modesty Pannel	NA MM	Mm
Width Of Modesty Pannel	NA MM	Mm
Material Of Side Panels	NA	
Thickness Of Side Pannels	NA MM	Mm
Width Of Side Pannels	NA MM	Mm
Key Board Tray Provided	YES	
Material Of Key Board Tray	MDF BOARD	

PRINCIPAL
G. S. A. G. R. G. College
SEHORE (M.P.)

1454

T.S. letter

Scanned with CamScanner

	YES	
	Fixed	
...s In The Pedestal Unit	1 NOS	Nos
...ters In The Pedestal Unit	NA NOS	Nos
...edstal Unit	NA	
...s Of Pedestal Unit Material	NA MM	Mm
...stal Unit Height	NA MM	Mm
...destal Unit Width	NA MM	Mm
Pedestal Unit Depth	NA MM	Mm
Locking System Of Pedestal Unit	NA	
Bottom Shelf For Placing CPU And Other Peripherals Provided	YES	
Material Of Bottom Shelf	MDF BOARD	
Thickness Of Bottom Shelf	NA MM	Mm
Length Of Bottom Shelf	NA MM	Mm
Width Of Bottom Shelf	NA MM	Mm
Distance Between Table Top And Bottom Shelf	NA MM	Mm
Footrest Provided	NO	
Material Of Footrest	NA	
Thickness Of Material Of Footrest	NA MM	Mm
Width Of Footrest	NA MM	Mm
Colour Of Laminates	AS PER BUYER	
All M.S Structure Finish	Enamel Paint	
Paint Colour	BLACK	
Wooden Structure Finish	NA	
Delivery Condition Of The Table	Fixed	
Product Code Available On Web	YES	
Product Code No	ST 78	
Drawing Available On Web	NO	
Drawing No	NA	

Terms & Conditions

1. This Contract is for the supply of the stores detailed in the schedule below in accordance with the General Terms and Conditions of Sale / Purchase in Government e Marketplace (GeM) General Terms and Conditions for enrolment of Seller on GeM (Government e-Marketplace) and (if applicable) Special Terms and Conditions for Reverse Auction on GeM or Special Terms and Conditions for e bidding on GeM shall operate to create a specific contract between the Seller on one part and the Purchaser on the other part
2. **Terms of delivery**: Free Delivery at Site including loading/unloading. In respect of items requiring installation and / or commissioning (as indicated in technical details of the item) the charges for the same are also included in the contract price
3. This Delivery Period/Time shall be essence of the Contract and delivery must be completed not later than such date(s)
4. **Performance Security (if any)**: There shall be no Performance security / PBG requirement for contracts placed under Direct Purchase Option on GeM. For procurement through reverse Auction/e bidding Security Deposit / Performance Bank Guarantee (PBG) @2% of contract value shall be applicable in respect of contracts valuing above Rs. 25 Lakh as per special terms and conditions applicable for e bidding / RA. Such Performance Bank Guarantee from a scheduled commercial bank must be submitted by seller to the Buyer within 15 days of award of contract and shall be in the format provided on GeM. Payments against such contract shall not be released till acceptable Performance Bank Guarantee is furnished by the seller
5. **Taxes and Duties**:
   - Prices shall be all inclusive basis i.e. including all taxes. Statutory variation, if any, shall be to the seller's account
   - The Bill Form shall be on line provided to the seller by the Buyer which may inter alia include the following confirmations from the Seller
     - Certified that the Goods and Services Tax (GST) charged on this Bill is not more than what is payable under the provision of the relevant Act or the Rules made there under
     - Certified that the goods on which GST has been charged have not been exempted under the GST Act or the rules made there under and the charges on account of GST on these goods are correct under the provisions of that Act or the Rules made there under
     - Certified that the Seller is registered with above indicated GSTIN as dealer in the State where in their Billing address is located for the purpose of GST
6. **Octroi Duty and/or other local taxes**: The Seller shall have discretion to offer Goods/Services for the select consignee location(s) in the country and they are expected to account for all local taxes (such as levy of town duty, Octroi Duty, Terminal Tax and other levies of local bodies etc.) also while quoting the price for the listed Goods/Services and as such no reimbursement over and above the contract price(s) shall be allowed to Seller towards payment of such taxes
7. **Resolution of disputes**: In the event of any question, dispute or difference arising under the terms and conditions of the GeM, the jurisdiction of the same shall be at the place from where contract has been placed by the purchaser and may be referred to the arbitration for which the arbitrator(s) for adjudication of the matter shall be nominated by the Purchaser while awarding the Contract itself. The arbitration in the matters related to GeM shall be governed as per prevailing Indian Arbitration and Conciliation Act 1996 and would be binding upon the Seller and Purchaser/Buyer. In all such cases in the GeM, the dispute would not be referred or entertained by Facilitation Council, Consumer Forum or any other adjudication forum and GeM SPV would not be a party to any such dispute/matter
8. **Liquidated Damages**: If the Seller fails to deliver any or all of the Goods/Services within the original/re-fixed Delivery/Time period(s) specified in the Contract, the Purchaser will be entitled to deduct/recover the Liquidated Damages for the delay (unless covered under Force Majeure conditions prescribed on GeM) @ 0.5% per week or part of the week of delayed period as pre-estimated damages not exceeding 5% of the contract value without any controversy/dispute of any sort whatsoever
9. **FINANCIAL CERTIFICATE**
   - The expenditure involved for this purpose has received the sanction of the competent financial authority
   - The funds are available under the proper head in the sanction budget allotment for the concerned financial year

PRINCIPAL
G.S.L.O.B.G. GOVT
SENIOR (M.P.)

TF letter

Scanned with CamScanner

...en fully authorized by the Department to sign the supply order and incur the liability of the Goods being ordered

...onal Terms and Conditions for Procurement under Proprietary Article Certificate (PAC) Buying:

- In case a Govt buyer on GeM wants to make procurement on proprietary basis on the GeM Portal after obtaining the requisite approvals/PAC certificate from their competent authority as per Rule 166 of GFR-2017, the Buyer can use PAC filter provided on GeM for selecting a specific model/ make available from a particular GeM Seller
- The Indentor must arrange for and provide Road Permit/s as necessary for entry of goods into the State where the consignee is located. The indentor / consignee should also furnish the firm with necessary Octroi exemption certificate along with the order to avoid payment of town duty. Octroi. Road Toll Tax, Entry Tax and / or any other Local Taxes and Duties such as Octroi / Sales Tax if paid by the firm will be reimbursed by the paying authority (Deputy Controller of Accounts. Mumbai) against production of relevant payment receipt/s
- The Seller s prices on the Portal is just their offer prices and the proper discovery of price generally happens through bidding/RA. Moreover in PAC procurement irrespective of multiple listing by authorised sellers the important issue of price control remaining with the OEM cannot be overlooked. Therefore in case of all the PAC procurements, the Buyers will have to carry out extra due diligence in establishing the reasonableness of prices before placement of contract as per para (vii) of Rule -149 of GFR-2017
- Except for direct buying up to Rs 50,000/- subject to establishing the reasonableness of price the bidding will be mandatory for procurements above Rs 50,000/- As result of bidding, the response could be as under
    - Only OEM is available or only single authorised seller is available
    - OEM as well as multiple authorised Seller are available
    - Multiple authorised Sellers of the OEM are available

Purchase made on

GeM

Note: This is system generated file. No signature is required. Print out of this document is not valid for payment/ transaction purpose

[redacted]
C.S.A.G.R.G. College
SEHORE (M.P.)

Scanned with CamScanner

Invoice

...rovar Traders Bhopal
...ain Nagar Colony In Front Of Jain Mandir Lalghati
Bhopal, Bhopal, Madhya Pradesh, Pin: 462032
Contact no : 7389606089
GSTIN: 23AQKPJ4756C1Z0
Bank Account No.: 3298201000251
IFSC: CNRB0003298

GEM100548-233309-INV-1

Order No: GEMC123723 17
Order Date: 11-Jan-2018

Bill To:
Anil Rajput
Bhopal Naka Sehore , Sehore , Madhya Pradesh ,
466001
Contact: 9425013306
GSTIN: N/A

Shipping To:
Anil Rajput
Bhopal Naka Sehore, Sehore, Madhya Pradesh,
466001
Contact: 9425013306

34	21 Jan 2018	Manual	21 Jan 2018	25 Feb 2018

Qty	Description	HSN Code(GST)	Supplied Qty	Unit Price	Total Price
25 Nos	steel table for teachers ,office staff etc	9403	25	7695.00	Rs. 192,375.00

IGST	Rs. 00
CGST	Rs. 14672.669
SGST/UTGST	Rs. 14672.669
Cess	Rs. 00

PRINCIPAL
C. S. A. G. D. C. College
SEHORE (M. P.)

1454

T.S. letter

Scanned with CamScanner

State Government Higher Education Department Madhya Pradesh Barkatullah University Bhopal	**Buyer Details** GEM Unique ID: GEM/2017/GO/123537/1 Name: Anil Rajput Contact No: 9425013306 Email ID: dranilrajput@gmail com GSTIN: N/A Address: Bhopal Naka Sehore Sehore Madhya Pradesh - 466001

etails

ique ID	GEM/2017/S/PS/22889
y Name	sarovar traders bhopal
No	7389606089
	anuragjain2308@gmail com
	Jain Nagar Colony In Front Of Jain Mandir Lalghati Bhopal Bhopal Madhya Pradesh 462032

e Detail

Consignee	Quantity	Expected Delivery Date
Anil Rajput [illegible]@gmail com Bhopal Naka Sehore Sehore Madhya Pradesh 466001	25	25-02-2018

ting Details

tion of official providing ration approval	HOD	Designation of official providing financial approval	HOD
y No	00	IFD Diary Date	05-12-2017

Details

em Description	Model	Is PAC buying?	Ordered Quantity	Unit	Price per Unit
table for teachers office staff	st22	-NA-	25	NOS	7 695 00
					192,375.00

e Value (in INR)

ation	Value	Unit
ty To Indian Standard IS 8126 Latest	NO	
d	No	
Unit	Single Storage	
ice No	NO	
p Length	1220 MM	Mm
p Width	610 MM	Mm
ight	710 Mm	
Storage Unit	NA MM	Mm
Storage Unit	NA MM	Mm
Storage Unit	NA MM	Mm
p	20 Mm Thick MDF Board Of Grade SBG II Conforming To IS 12406 Laminated With Minimum 0 6 Mm Thick On Top Side Of Type S, P Or F Having Index 3 2 3 Conforming To IS 2046 And Minimum 0 5 Mm Thick Balancing Laminate On The Other Side	
s Of PVC Tape On Edges Of Table Top Banded Help Of Hot Melt Glue	1 5	Mm
f Lamination	AS PER CHOICE	
(Under Structure)	Mild Steel Square Section Of Outside Side Minimum 25 Mm And Wall Thickness Minimum 1 2 Mm	
g Provided	YES	
g Material	Mild Steel Square Section Of Size 25x25 Mm And Wall	

PRINCIPAL
[illegible] College
SEHORE (M.P.)

Scanned with CamScanner

	0.63 Minimum M S Sheet	
able	Provided	
	Corrosion Resistance Metal	
	Plastic	
	Powder Coated	
	AS PER CHOICE	
Available On Web	YES	
ode No	ST22	
g Available On Web	NO	
wing No	NA	
pe Of Storage Unit	Fig 1A Of IS 8126	
le Table Fitted With The Table	NO	
sition Of The Side Table	NA	
le Table Is Detachable	NA	
le Table Top Length	NA MM	Mm
le Table Top Width	NA MM	Mm
le Table Height	NA MM	Mm
le Table Top	20 Mm Thick MDF Board Of Grade SBG II Conforming To IS 12406 Laminated With Minimum 0.6 Mm Thick On Top Side Of Type S, P Or F Having Index 3 2 3 Conforming To IS 2046 And Minimum 0 5 Mm Thick Balancing Laminate On The Other Side	
ckness Of PVC Tape On Edges Of Side Table Top ased With The Help Of Hot Melt Glue	1 5	Mm
destal (Under Structure) For And Side Table	Mild Steel Square Section Of Outside Side Minimum 25 Mm And Wall Thickness Minimum 1 2 Mm	
pboard Fitted On The Left Hand Side Having One Shelf king Two Compartments In Side Table	NA	Mm
pth Of Cupboard Unit In Side Table	NA MM	Mm
dth Of Cupboard Unit In Side Table	NA MM	Mm
ght Of Cupboard Unit In Side Table	NA MM	Mm
terial Of Cupboard In Side Table	0 8 Mm Thick Mild Steel Sheet	

ns & Conditions

1 This Contract is for the supply of the stores detailed in the schedule below in accordance with the General Terms and Conditions of Sale / Purchase in Government e Marketplace (GeM) General Terms and Conditions for enrolment of Seller on GeM (Government e-Marketplace) and (if applicable) Special Terms and Conditions for Reverse Auction on GeM or Special Terms and Conditions for e bidding on GeM shall operate to create a specific contract between the Seller on one part and the Purchaser on the other part

2 **Terms of delivery** Free Delivery at Site including loading/unloading In respect of items requiring installation and / or commissioning (as indicated in technical details of the item) the charges for the same are also included in the contract price

3 This Delivery Period/Time shall be essence of the Contract and delivery must be completed not later than such date(s)

4 **Performance Security (if any)** There shall be no Performance security / PBG requirement for contracts placed under Direct Purchase Option on GeM For procurement through reverse Auction/e-bidding Security Deposit / Performance Bank Guarantee (PBG) @2% of contract value, shall be applicable in respect of contracts valuing above Rs 25 Lakh as per special terms and conditions applicable for e bidding / RA Such Performance Bank Guarantee from a scheduled commercial bank must be submitted by seller to the Buyer within 15 days of award of contract and shall be in the format provided on GeM Payments against such contract shall not be released till acceptable Performance Bank Guarantee is furnished by the seller

5 **Taxes and Duties:**

- Prices shall be all inclusive basis i.e including all taxes Statutory variation, if any, shall be to the seller's account
- The Bill Form shall be on line provided to the seller by the Buyer which may inter alia include the following confirmations from the Seller
  - Certified that the Goods and Services Tax (GST) charged on this Bill is not more than what is payable under the provision of the relevant Act or the Rules made there under
  - Certified that the goods on which GST has been charged have not been exempted under the GST Act or the rules made there under and the charges on account of GST on these goods are correct under the provisions of that Act or the Rules made there under
  - Certified that the Seller is registered with above indicated GSTIN as dealer in the State where in their Billing address is located for the purpose of GST

6 **Octroi Duty and/or other local taxes** The Seller shall have discretion to offer Goods/Services for the select consignee location(s) in the country and they are expected to account for all local taxes (such as levy of town duty Octroi Duty Terminal Tax and other levies of local bodies etc) also while quoting the price for the listed Goods/Services and as such no reimbursement over and above the contract price(s) shall be allowed to Seller towards payment of such taxes

7 **Resolution of disputes** In the event of any question dispute or difference arising under the terms and conditions of the GeM the jurisdiction of the same shall be at the place from where contract has been placed by the purchaser and may be referred to the arbitration for which the arbitrator(s) for adjudication of the matter shall be nominated by the Purchaser while awarding the Contract itself The arbitration in the matters related to GeM shall be governed as per prevailing Indian Arbitration and Conciliation Act 1996 and would be binding upon the Seller and Purchaser/Buyer In all such cases in the GeM the dispute would not be referred or entertained by Facilitation Council Consumer Forum or any other adjudication forum and GeM SPV would not be a party to any such dispute/matter

8 **Liquidated Damages:** If the Seller fails to deliver any or all of the Goods/Services within the original/re fixed Delivery/Time period(s) specified in the Contract the Purchaser will be entitled to deduct/recover the Liquidated Damages for the delay (unless covered under Force Majeure conditions prescribed on GeM) @ 0.5% per week or part of the week of delayed period as pre-estimated damages not exceeding 5% of the contract value without any controversy/dispute of any sort whatsoever

FINANCIAL CERTIFICATE

- The expenditure involved for this purpose has received the sanction of the competent financial authority
- The funds are available under the proper head in the sanction budget allotment for the concerned financial year
- I have been fully authorized by the Department to sign the supply order and incur the liability of the Goods being ordered

PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)

Scanned with CamScanner

...d Conditions for Procurement under Proprietary Article Certificate (PAC) Buying:

...ase a Govt buyer on GeM, wants to make procurement on proprietary basis on the GeM Portal after obtaining the requisite ...pprovals/PAC certificate from their competent authority as per Rule 166 of GFR-2017, the Buyer can use PAC filter provided on GeM for selecting a specific model/ make available from a particular GeM Seller

- The Indentor must arrange for and provide Road Permit/s as necessary for entry of goods into the State where the consignee is located. The indentor / consignee should also furnish the firm with necessary Octroi exemption certificate along with the order to avoid payment of town duty, Octroi Road Toll Tax, Entry Tax and / or any other Local Taxes and Duties such as Octroi / Sales Tax if paid by the firm will be reimbursed by the paying authority (Deputy Controller of Accounts, Mumbai) against production of relevant payment receipt/s
- The Seller's prices on the Portal is just their offer prices and the proper discovery of price generally happens through bidding/RA. Moreover in PAC procurement irrespective of multiple listing by authorised sellers, the important issue of price control remaining with the OEM cannot be overlooked. Therefore, in case of all the PAC procurements, the Buyers will have to carry out extra due diligence in establishing the reasonableness of prices before placement of contract as per para (vii) of Rule -149 of GFR-2017
- Except for direct buying up to Rs 50,000/- subject to establishing the reasonableness of price, the bidding will be mandatory for procurements above Rs 50 000/-. As result of bidding, the response could be as under
  - Only OEM is available or only single authorised seller is available
  - OEM as well as multiple authorised Seller are available
  - Multiple authorised Sellers of the OEM are available

Purchase made on G: M

Note This is system generated file No signature is required Print out of this document is not valid for payment/ transaction purpose

PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)

Scanned with CamScanner

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय,सीहोर

प्रतिवेदन अवधि 10/14 से 09/2018 तक

स.क्र.	प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक	कंडिका की नकल	प्राचार्य का उत्तर	रिमार्क
5	5	कॉशनमनी की राजसात किये जाने योग्य राशि शासकीय कोष में जमा न किया जाना राशि रू. 2.31 लाख। म0प्र0 कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 562 तथा प्राचार्य मार्गदर्शिका के पृष्ठ क्रमांक 609 पैरा 22(3) के अनुसार यदि छात्र ने अंतिम रूप से विद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष बाद अपनी कॉशनमनी वापस नहीं ली है तो ऐसी कॉशनमनी शासकीय खाते में शासकीय नियमानुसार राजसात किया जाना चाहिये तथा कॉशनमनी लेजर में छात्रों के नाम के सामने राशियॉं राजसात की गई लिखा जाकर टीप अंकित किया जाना चाहियें। कार्यालय प्राचार्य, चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय, सीहोर द्वारा संधारित कॉशन मनी पंजी तथा कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अवलोकन में पाया गया कि संलग्न विवरण पत्रक के अनुसार कॉशन मनी की राशि रु. 230700/– राजसात कर शासन के खाते में जमा किया जाना थी जो जमा नहीं की गयी। लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिए जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि जांच कर कॉशन मनी की राजसात किये जाने योग्य राशि राजसात कर शासन के खाते में जमा करा दी जावेगी। स्थिति वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लायी जाती है।	वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 की कॉशनमनी रू. 230700/– चालान क्र.0049 दिनांक 17.10.2019 द्वारा राजसात कर ली गई है। चालान की प्रति संलग्न है। अतः कण्डिका निर्णितमान्य करने का कष्ट करें। PRINCIPAL C. S. A. G. P. G. College SEHORE (M.P.)	

Scanned with CamScanner

मनोज स्टेशनरी मार्ट, सीहोर
फोन : 225777

Form P.T.C.7 Code No. 3303/0200/...
(See Subsidiary Rule 69)
घालान फार्म
CHALLAN NO. SEH. HED 004 5/8

Orignal/Duplicate
Triplicate/fourth

खजाना/उप खजाना/स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में पैसे जमा करने का घालान

at ....

To be filled in bu Remitter .... 7-11 ETC .... To be filled in the Departmental Office
जमा करने वाले ने लिखना चाहिये .... विभागीय या खजाना अधिकारी ने लिखना चाहिये

By whome concerd कौन लाया	Name of Desination & address of the person on whose behalf more is paid उसका नाम (या ओहदा) और पता जिसकी और से पैसा जमा किया जा रहा है।	Full Particulars of the remittence and/or the athority किस बाबत पैसा जमा किया जा रहा है उसका पूरा विवरण	Amount रकम	Head of account संख्या कार्य	Accounts Officer by whome adjustable लेखा अधिकारी जिसमें समायोजन किया	Oder to बैंक को आदेश
Name नाम	... G. College SEHORE (M. P.)	[handwritten Hindi remittance particulars, partly illegible]	2,30,700/-			Correct. Received and grant receipt (Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in)
Sign. हस्ता.		Total-	2,30,700/-			Date

Date 14/10/2019

Received payment of Rupees (In Figures) Rs. 2,30700/-

(in words) Rupees दो लाख तीस हजार सात सौ मात्र

To be used only in the case of remitance to the Bank through departmental officer or the treasury officer.

Treasurer Accountant Date Treasurer officer manager

REGISTRAR
For, Principal
Govt. P. G. College, Sehore

PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)

Scanned with CamScanner

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय,सीहोर

प्रतिवेदन अवधि 10/14 से 09/2018 तक

<table>
<tr><th>स.क.</th><th>प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक</th><th>कंडिका की नकल</th><th>प्राचार्य का उत्तर</th><th>रिमार्क</th></tr>
<tr><td>6</td><td>6</td><td>
सावधि जमा राशि एवं उससे प्राप्त ब्याज की राशियो को रोकड़ बही में दर्ज नही किया जाना (शासकीय लेखे से बाहर) राशि 10.10 लाख।

म0प्र0 कोषालय संहिता भाग एक के नियम 53(1) के अनुसार एम.पी.टी.सी.–5 फॉर्म में कार्यालय में रोकड़ बही का संधारण किया जाना चाहिये तथा नियम 53(2) के अनुसार समस्त लेन–देनों की प्रविष्टि जैसे ही वे घटित होते हैं। रोकड बही में की जानी चाहिये। कोई भी राशि रोकड बही से बाहर नहीं रखी जानी चाहिये। माह के अंत में दर्शाए गये शेष का वर्गीकरण अंकित किया जाना चाहिये जैसे प्रदाय किए गए अग्रिमों का विवरण बैंक में शेष राशि का विवरण एवं सावधि जमा के रूप में दर्शायी गई राशियों का विवरण जिससे एकजाई रूप मे यह पाता लगाया जा सके कि कार्यालय के पास बैंक में जमा कुल राशियां या सावधि जमा के रूप मे जमा राशियां कितनी है।

कार्यालय प्रचार्य, चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की नमूना जांच तथा कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अवलोकन में पाया गया कि कार्यालय द्वारा निम्नानुसार एफ.डी. बनवाई गयी है :–

<table>
<tr><th>एफ.डी. जारी करने का दिनाक</th><th>राशि</th></tr>
<tr><td>05.08.10</td><td>130292</td></tr>
<tr><td>26.02.10</td><td>13550</td></tr>
<tr><td>30.09.09</td><td>55817</td></tr>
<tr><td>29.06.10</td><td>59674</td></tr>
<tr><td>02.07.10</td><td>61898</td></tr>
<tr><td>30.06.10</td><td>83113</td></tr>
<tr><td>30.06.10</td><td>53000</td></tr>
<tr><td>26.02.10</td><td>13550</td></tr>
<tr><td>29.06.12</td><td>49000</td></tr>
<tr><td>01.07.13</td><td>24000</td></tr>
<tr><td>22.12.09</td><td>46062</td></tr>
<tr><td>23.06.09</td><td>98442</td></tr>
<tr><td>30.06.09</td><td>84000</td></tr>
<tr><td>30.06.15</td><td>80000</td></tr>
<tr><td>29.06.11</td><td>78000</td></tr>
<tr><td>01.07.14</td><td>80000</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>1010398</td></tr>
</table>
परंतु सावधि जमा से प्राप्त ब्याज की राशि को रोकड बही में नही दर्शाया गया एवं न ही माह के अंत में अंतिम शेष बनाया जाकर सावधि जमा की राशियो को दर्शाया गया। इस प्रकार सावधि जमा की मूल तथा ब्याज की राशियों को शासकीय लेखे से बाहर रखा गया। रोकड़ बही से शेष न बनाये जाने से सावधि जमा की राशियों व अन्य राशियों की निरंतर निगरानी नहीं रखी जा सकती।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि सावधि जमा राशि की प्रविष्टि रोकड बही मे करा दी जावेगी।

स्थिति वरिष्ठ अधिकारियो के ध्यान मे लायी जाती है।
</td><td>
सावधि जमा की राशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में की जाकर आगामी लेखा परीक्षा को प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अतः कण्डिका निर्णितमान्य करने का कष्ट करें।
</td><td></td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

Govt P.G. Nodal College
Sehore (M.P.)

Cash Book

Receipt जमा

MONTH & DATE माह व दिनांक	RECEIPT No. वाउचर नं.	PARTICULARS विवरण	FOLIO	AMOUNT रकम रु.	पै.	AMOUNT
		[illegible] Reci.				
		(FDR) [illegible]				
		[illegible]				
क्र.	FDR No.	दि.	[illegible]			
(1)	5528	5.8.15	121986=00			
(2)	5526	26.2.16	20227=00			
(3)	5531	30.6.16	25344=00			
(4)	5534	29.6.16	25052=00			
(5)	5529	10.3.16	97245=00			
(6)	5530	30.6.16	132320=00			
(7)	16886654300000	30.6.16	83339=00			
(8)	5527	26.2.16	20227=00			
(9)	—	26.6.16	69158=00			
(10)	—	1.7.15	28606=00			
(11)	5536	22.12.15	69812=00			
(12)	5535	23.6.15	155734=00			
(13)	528	30.6.15	132889=00			
(14)	—	29.6.15	108411=00			
(15)	—	1.7.2016	95586=00			
(16)	—	30.6.17	94193=00			
		योग	1105357=00			
						12534600=15
						12534600=15

[illegible]
3.8.2017 / 31.8.2017

Principal, Govt. P.G. Nodal College, SEHORE (M.P.)

Scanned with CamScanner

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय,सीहोर
प्रतिवेदन अवधि 10/14 से 09/2018 तक

<table>
<tr><th>स.क.</th><th>प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक</th><th>कंडिका की नकल</th><th>प्राचार्य का उत्तर</th><th>रिमार्क</th></tr>
<tr><td>7</td><td>7</td><td>
आवास सहायता योजना के अंतर्गत जारी राशि की उपयोगिता सुनिश्चित न होना राशि रु. 264.51 लाख।

म0प्र0 अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र./एफ/23–4/2013/25–5 दिनांक 11.09.13 द्वारा म0प्र0 राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा निरंतर रखने के लिए आवास सहायता योजना 2013–14 से प्रारंभ की गई है। जिसमें संभाग स्तर पर 2000/–, जिला मुख्यालय स्तर पर 1250/– एवं तहसील विकासखंड स्तर पर राशि रु. 1000/– प्रति विद्यार्थी प्रति माह की दर से आवास सहायता राशि स्वीकृत करता है।
योजना के नियम :– 1. विद्यार्थियों को शपथ पत्र एवं मकान मालिक के सहमति पत्र के आधार पर स्वीकृति के अधिकार शासकीय संस्थाओं के प्राचार्य को होगा।
2. छात्र द्वारा अन्य किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ, वो आवास सहायता के पात्र होंगे।
3. अनुत्तीर्ण होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र होंगे।
4. लाभार्थी छात्र–छात्रा मकान मालिक को किराये का भुगतान अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से करेंगे।
5. निर्धारित आय सीमा, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक, के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे।
6. योजना के परिणामों एवं प्रयासों की तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) मूल्यांकन करने का प्रावधान है।
7. एक वर्ष बाद परिणामों के आधार पर योजना का पुर्नवलोकन किया जावेगा।
चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीहोर द्वारा आवास सहायता योजनांतर्गत निम्नानुसार वर्षों में एस.सी./एस.टी. को राशि स्वीकृत कर वितरित की गई।
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>वर्ष</th><th>छात्र संख्या</th><th>वितरित राशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2014-15</td><td>175</td><td>2625000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2015-16</td><td>593</td><td>8895000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2016-17</td><td>405</td><td>6075000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2017-18</td><td>669</td><td>8856250</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>1842</td><td>26451250</td></tr>
</table>
कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की नमूना जांच तथा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2014–15 से 2017–18 तक कुल 1842 विद्यार्थियों को राशि रु. 26451250/– वितरित की गई। लाभार्थी छात्र–छात्राओं द्वारा मकान मालिक को किराये का भुगतान किया जाना था, लेकिन अभिलेखों में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जिस प्रयोजन (मकान किराया) के लिये छात्र–छात्राओं को राशि प्रदान की गई है वह उसी पर व्यय की गई क्योंकि न तो मकान मालिक द्वारा किराये की रसीद प्राप्त हुई और न ही प्रथम किश्त के भुगतान के साथ–साथ किराये के आवासों के स्थल सत्यापन कराया जाना पाया गया। तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) मूल्यांकन प्रतिवेदन भी अभिलेखों में नहीं पाया गया, अतः स्पष्ट है कि लाभार्थी छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त राशि की उपयोगिता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिए जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

स्थिति वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लाई जाती है।
</td><td>
म0प्र0शासन आदिम जाति तथा अनूसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल के आदेश क्र. एफ2-06/2013/25-2/1860 दिनांक 23.12.2016 के बिन्दु क्र.06 एवं 07 का पालन किया गया है। अवलोकनार्थ पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

अतः कण्डिका निर्णितमान्य करने का कष्ट करें।

C. S. A. G. P. G. College
</td><td></td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

0352

कार्यालय कलेक्टर(आदिम जाति कल्याण विभाग) सीहोर

क्र0/ 2351/ आदिम/आवास भत्ता /2017 सीहोर दिनांक 17.8.17

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय ....
महाविद्यालय ....तहसील..............जिला सीहोर

विषयः– अनुसूचित जाति /जनजाति आवास भत्ते के सम्बंध में।

सन्दर्भ:– इस कार्यालय का पूर्व पत्र क्रमांक 3377/आदिम /आवास भत्ता2017–18 सीहोर,दिनांक 29.12.2016

–00–

उपरोक्त विषयांकित सन्दर्भित पत्र द्वारा आवास सहायता भत्ते योजना के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार संशोधित नियम आपकी ओर भेजे जा रहे है

(संलग्न):–

(01)– वर्ष 2017–18 में योजना का संचालन विभागीय स्कालरशिप पोर्टल 2.0 के साथ ऑनलाईन कि जावेगा।

(02)– केन्द्र राज्य शासन द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय यदि क्रमांक (2) में उल्लेखित मुख्यालय से अन्यत्र ग्राम / कस्बें में हो तो ऐसे ग्राम/ कस्बे में निवासरत विद्यार्थी का विकास खण्ड मुख्यालय स्तर की पात्रता होगी।

(3)– आवास भत्तो के आवेदको की सूची आवेदन प्राप्त होने के कम से तैयार कर विद्यार्थी को पहले पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में प्रवेश दिया जावें, प्रवेश न लेने पर आवास भत्ते की पात्रता नही रहेगी, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में सीट पूर्ण होने के बाद शेष आवेदको को ही आवास भत्ते की पात्रता रहेगी।

(4)– विद्यार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि एंव किराये भवन लेने की तिथि(जो भी बाद में हो)से किराये की अवधि की पात्रता की जावेगी।

(5)–आवास भत्ते की स्वीकृति के अधिकार शासकीय संस्थाओं के प्राचार्यो एवं अशासकीय संस्था हेतु सम्बंद्व शासकीय संस्थाओं के नोडल प्राचार्य को होगें ।

जिला संयोजक
आदिम जाति कल्याण सीहोर
निरन्तर...............

Dr. Ahirwar
Dr. Negi
Dr. F. Rizvi
13.11.17

शासकीय महाविद्यालय
आ० क्र० 2602
दिनांक 13/11/17

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(02)

पृ०क्र० / 2237 आदिम / आवास भत्ता / 2017 सीहोर दिनांक 17.8.17

प्रतिलिपि:-

समस्त अशासकीय ....तहसील ....जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ अपनी संस्था के आवास भत्ते की प्रपोजल तैयार कर नोडल प्राचार्य से स्वीकृति कराकर समयावधि में इस कार्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध करायें ।

जिला संयोजक
आदिम जाति कल्याण सीहोर

PRINCIPAL
C. S. & G. R. C. College
SEHORE (M.P.)

Scanned with CamScanner

दूरभाष : 07562-227766 (O)
07562-226811 (R)
07562-226855 (F)
E-mail-dmsehore@nic.in
mpseh@nic.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला सीहोर (म.प्र.)

पत्र कमांक 3538 / आदिम / आ०सहा०यो० / 2017 सीहोर, दिनांक 17/01/2017

प्रति,

समस्त नोडल प्राचार्य

विषय:– आवास सहायता योजना के संशोधित नियम।

उक्त विषयांतर्गत आपको मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय के आदेश कमांक एफ 12–06 / 2013 / 25–2 / 1860 भोपाल दिनांक 23/12/2016 के पत्र की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है तदानुसार नियमों का अवलोकन नवीन निर्देश अनुसार इस वर्ष आवास भत्ते की स्वीकृतियाँ स्कालरशिप पोर्टल 2.0 के अनुसार जारी करे।

संलग्न:– नवीन निर्देश की छायाप्रति।

कलेक्टर,
जिला–सीहोर

पृ०कमांक 3539 / आदिम / आ०सहा०यो० / 2017 सीहोर, दिनांक 17/01/2017

प्रतिलिपि:–

01. अशासकीय महाविद्यालयों की ओर सुचनार्थ / पालनार्थ।

कलेक्टर,
जिला–सीहोर

PRINCIPAL
G. B. G. College
... (M.P.)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 12–06/2013/25–2 | 1860 भोपाल दिनांक 23/12/2016

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर की शिक्षा निरंतर रखने के लिए आदेश क्रमांक–एफ–12–06/2013/25–2/2039 एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक–एफ–23–04/2013/25–5 दिनांक 11/09/2013 से आवास सहायता योजना नियम वर्ष 2013 जारी किया गया था। उक्त योजना के संचालन हेतु शासन द्वारा समय–समय पर जारी संशोधित आदेशों को समाहित करते हुए आवास सहायता योजना नवीन नियम वर्ष 2016 एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं।

2/ यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति बालक/बालिका आवास सहायता योजना नवीन नियम 2016

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ:–

(1) ये नियम अनुसूचित जाति तथा जनजाति बालक/बालिका आवास सहायता योजना नवीन नियम 2016 कहलायेंगे।
(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में रहेगा।
(3) राज्य शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक से नवीन नियम प्रभावशील होंगे।

2. योजना का उद्देश्य :– अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के बालक/बालिकाओं का उच्च शिक्षा में प्रवेश अन्य वर्ग की तुलना में कम है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के बालक/बालिकाओं का गुणात्मक रूप से अन्य वर्ग के समतुल्य प्रवेश सुनिश्चित करने एवं आर्थिक अवरोधों से मुक्त होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

3. योजना का स्वरूप एवं क्रियान्वयन :–

(1) वर्ष 2013–14 से महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर पर अध्यनरत् अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालक/बालिकाओं के हितार्थ योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित की गई है। वर्ष 2016–17 से इस योजना का संचालन विभागीय स्कालरशिप पोर्टल 2.0 के साथ ऑन लाईन किया जावेगा।

PRINCIPAL
G. G. & G. P. G. College
SEHORE (M.P.)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(2) योजना भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन संभागीय मुख्यालय, अन्य समस्त जिला मुख्यालय एवं समस्त तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय स्तर तक लागू होगी।

(3) केन्द्र/राज्य शासन द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय यदि क्रमांक (2) में उल्लेखित मुख्यालय से अन्यत्र ग्राम/कस्बे में हो तो ऐसे ग्राम/कस्बे में निवासरत विद्यार्थी को विकासखण्ड मुख्यालय स्तर की पात्रता होगी।

4. पात्रता :–

(1) ऐसे विद्यार्थी, जो कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/अन्य संस्थाओं के स्नातक/स्नातकोत्तर/समस्त उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेशित है तथा जिनका किसी भी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ हो, ऐसे विद्यार्थी आवास सहायता के पात्र होंगे।

(2) विद्यार्थी को आवास सहायता की पात्रता अध्ययनरत संस्था के मुख्यालय के आधार पर न होकर, किराये पर निवास के मुख्यालय के आधार पर होगी।

(3). समस्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में चयन प्रक्रिया से प्रवेशित अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं को नियमित छात्रावास का संचालन प्रारंभ होने तक इस योजना अन्तर्गत आवास सहायता राशि कण्डिका–4 (4) अनुसार प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(4) भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन संभागीय मुख्यालयों में रूपये 2000/–, अन्य जिला मुख्यालयों में रूपये 1250/– तथा तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय में रूपये 1000/– प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिए आवास सहायता की राशि देय होगी।

(5) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे।

(6) एक ही स्थानीय निकाय (नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालयीन संस्था या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित न होने पर ही योजना की पात्रता होगी। अन्य दूरी का कोई बन्धन नहीं होगा। A

(7) निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि विद्यार्थियों को स्वयं वहन करना होगी। आवास सहायता के अतिरिक्त विभाग द्वारा आवास हेतु अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगी।

(8) अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा परिणाम स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र होंगे।

(9) एक ही माता/पिता की सभी संतानों को पृथक हितग्राही माना जायेगा।

PRINCIPAL
G. G. & G. R. G. College
SEHORE (M. P.)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

5. आवेदन की प्रक्रिया :-

(1) विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि पश्चात विभागीय स्कालरशिप पोर्टल 2.0 पर उपलब्ध आवास सहायता योजना के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करेंगे।

(2) ऑन-लाईन आवेदन करते समय पूर्व कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची, शपथपत्र एवं मकान मालिक का सहमति पत्र/किरायानामा अपलोड करेंगे।

(3) विद्यार्थी आवेदन पत्र को लॉक करने के पूर्व समस्त जानकारियों का परीक्षण कर लें अन्यथा त्रुटिपूर्ण/भ्रामक जानकारी होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

6. स्वीकृति की प्रक्रिया एवं अधिकार :-

(1) स्वीकृति के अधिकार शासकीय संस्थाओं के प्राचार्यो एवं अशासकीय संस्थाओं हेतु सम्बद्ध शासकीय संस्थाओं के नोडल प्राचार्य को होंगे। छात्र द्वारा ऑन-लाईन भरे गये आवेदन पत्र, समग्र आई.डी. से प्राप्त विवरण एवं अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों के सत्यापन का उत्तरदायित्व स्वीकृतकर्ता प्राचार्यों का होगा।

(2) विद्यार्थी द्वारा ऑन-लाईन किये गये आवेदन पत्र एवं अपलोड किये गये अभिलेखों को पृथक से हार्ड कॉपी में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में अध्ययनरत् बालिकाओं को आवास सहायता स्वीकृति के अधिकार उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र को होंगे।

7. भुगतान की प्रक्रिया :-

(1) आवास सहायता की स्वीकृत राशि का परीक्षण कर जिला संयोजक, आदिवासी विकास अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा विद्यार्थी के बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जायेगा तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को सूचित किया जायेगा। यह संबंधित जिला संयोजक, आदिवासी विकास अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करें कि उसके जिले में संचालित महाविद्यालयीन छात्रावासों में स्वीकृत सारी सीटें भरी हुई हों । इसके पश्चात आवास सहायता की राशि जारी की जाए ।

(2) विद्यार्थियों को आवास सहायता निर्धारित पाठ्यक्रम की कालावधि के लिए एक बार ही देय होगी। किराये की गणना महाविद्यालयीन संस्था में प्रवेश लेने की तिथि/किराये से भवन लेने की तिथि (जो भी बाद में हो) से की जायेगी।

PRINCIPAL ... College ... (M.P.)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(3) स्वीकृत राशि 6-6 माह के अन्तराल से ~~दो किस्तों~~ में देय होगी। प्रथम किश्त जुलाई माह मे 6 माह का अग्रिम तथा द्वितीय किश्त जनवरी माह में देय होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुषमा शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग,

पृ० क्रमांक एफ 12-08/2013/25-2/1861 भोपाल दिनांक 23/12/2016

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण/उच्च शिक्षा/तकनीकि शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. ✓ आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश को यू.ओ. टीप क्रमांक 23124 दिनांक 27/10/2016 के सन्दर्भ में प्रेषित।
5. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
6. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाऐं, भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त संभागीय उप आयुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास म.प्र.।
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
11. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।
12. समस्त जिला संयोजक, आदिवासी जाति विकास मध्यप्रदेश।
13. कम्प्यूटर प्रभारी, कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास भोपाल की ओर उक्त आदेश आदिवासी विकास सर्वर में दर्ज करें।
14. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(Stamp: G. B. & G. B. G. College, SEHORE (M.P.))

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय
भोपाल

Scanned with CamScanner

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय,सीहोर
प्रतिवेदन अवधि 10/14 से 09/2018 तक

स.क्र.	प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक	कंडिका की नकल	प्राचार्य का उत्तर	रिमार्क
8	8	**अभिलेख प्रस्तुत नही किया जाना।** निम्नलिखित अभिलेख लेखा परीक्षा को नही प्रस्तुत किये गयेः 1. डी.पी.एफ. लेजर 2. परीक्षा रोकडबक बही एवं इससे संबंधित अन्य अभिलेख 3. अस्थाई अग्रिम पंजी 4. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक तथा स्टेशनरी वितरण से संबंधित अभिलेख 5. पुस्तकालय से संबंधित अभिलेख 6. फीस कलेक्शन रजिस्टर	महाविद्यालय द्वारा अभिलेखों को आगामी परीक्षा दल को प्रस्तुत कर दिये जावेगें। अतः कण्डिका निर्णितमान्य करने का कष्ट करें। Principal C. S. A. G. P. G. College SEHORE (M.P.)	

Scanned with CamScanner

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय,सीहोर
प्रतिवेदन अवधि 10/14 से 09/2018 तक

स.क.	प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक	कंडिका की नकल	प्राचार्य का उत्तर	रिमार्क
9	9	निरंक	महालेखाकार ग्वालियर के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/2014 से 09/2018 तक कार्यवाही करने के संबंध में पत्र क्र./ओ.ए.डी–3/नि.प्रति.क. 69/2018–19/286 दिनांक 03.01.19 कि द्वारा प्रदत्त कण्डिकाओं के क्रमांक में कण्डिका क्रमांक अंकित नही है। (उक्त कार्यवाही विवरण की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।) कंण्डिका को विलोपित किया जाना मान्य हो। PRINCIPAL C. S. A. G. P. G. College SEHORE (M. P.)	

Scanned with CamScanner

भाग–2 : लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(क) गम्भीर वित्तीय अनियमितताऐं

—निरंक—

(ख) वित्तीय अनियमिततायें

कंडिका कमांक 1 :–जनभागीदारी मद में बजट उपलब्ध होने के उपरांत भी पी.डी खाते से स्व वित्तीय पाठ्यकमों के कार्यरत कर्मचारियों को अनियमित भुंगतान किया जाना राशि रू. 31.11 लाख।

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के भाग–एक के अध्याय तीन सेक्शन–। के नियम 536 के अनुसार " No money shall be received for deposit in the public Account, unless they are such as by virtue of any statutory provision or of ant general or special orders of the Governement are required or authorized to be held in the custody of the Governement. Further, under rule 553 it is envisaged, Unless it be otherwise provided by any law or rule or order issued by competent authority, a deposit repayment order shall remain in force for perod of three months from the date on which is was issued, after which no prepayment can be made on its authority unless it is revalidated."

लेखा परीक्षा द्वारा प्राचार्या, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर की लेखा परीक्षा अवधि में पी.डी. खातें में जमा एवं इससे किये गये गये भुगतान की नमूना जॉच किये जाने पर पाया गया कि कार्यालय द्वारा पी.डी. खाते से प्रमुख रूप से जनभागीदारी मद के स्व वित्तीय पाठ्यकमों के Faculties को अनियमित रूप से राशि रू 31.11 लाख का भुगतान किया गया जबकि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे भुगतान हेतु जन भागीदारी मद में अलग से बजट प्रदाय किया जाता है । इस अवधि में महाविद्यालय को जनभागीदारी मद से भी राशि उपलब्ध करायी गयी जिसमें से स्व वित्तीय पाठ्यकमों हेतु नियुंक्त कर्मचारियों को वेतन भी प्रदान करना था जो कि नहीं किया गया जिससे जनभागीदारी खाते में निम्नानुसार रू.1.69 करोड की राशि अव्ययित रही :

अवधि	बैंक का नाम	खाता कमांक	बैंक खाते में अंतिम शेष
31 मार्च 2015	बैंक ऑफ इंडिया	901010110009344	1567251
31 मार्च 2016	बैंक ऑफ इंडिया	901010110009344	2004529
31 मार्च 2017	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	34938153799	4035456
31 मार्च 2018	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	34938153799	10354195
अप्रैल 2018 से सितम्बर 2018 तक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	34938153799	10691276

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्याकार्यालय द्वारा पी.डी. खाते से अन्य भुगतान यथा सामग्री कय इत्यादि लेन देन भी किया। पी.डी. खाते से बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के इस प्रकार भुगतान किया जाना सर्वथा अनुचित एवं अनियमित है।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 से स्ववित्तीय मद से आमंत्रित अतिथि विद्वानों को जन भागीदारी मद से भुगतान किया जारहा है। कार्यालय प्रमुख का उत्तर अमान्य कर लेख है कि पूर्व के वित्तीय वर्षों में किये गये पीडी खाते से भुगतान के कारण जन भागीदारी मद में आवंटित राशि का उपयोग नहीं हो पाया एवं जनभागीदारी मद के बैंक खाते में राशि रू.1.07 करोड की धन राशि अवरूद्ध रहीं ।

स्थिति उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लायी जाती है।

कडिका कमांक 2 :–जन भागीदारी खाते से राशि रू. 20.85 लाख का संदिग्ध भुगतान ।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की लेखा परीक्षा अवधि 10/14 से 9/2018 की अवधि में लेखापरीक्षा के दौरान जनभागीदारी खाता के बैंक ऑफ इंडिया स्थित खाता कमांक 901010110009344 की नमूना जॉच किये जाने पर पाया कि कार्यालय द्वारा 7/2015 में चैक कमांक1313. एवं 1314 द्वारा कमशः राशि रू. 1235877/– एवं रू.849390/– का भुगतान एक व्यक्तिगत खाते "HIRDESH KUMAR" में किया गया । इस भुंगतान से संबंधित अभिलेख मांगे जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणक के रूप में एक विवरण पत्रक उपलब्ध कराया गया जिसमें इस राशि से किये गये व्यय का विवरण दर्ज था ।

उपरोक्तानुसार किये गये व्यय के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा निम्न बिंदुओं पर कार्यालय का अभिमत वांछित था :

1. कार्यालय द्वारा व्यक्तिगत खाते में उक्त राशि का भुंगतान किया गया जो कि मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के चैक से भुगतान संबंधी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है ।
2. लो.नि.वि. को प्रदाय की गयी राशि से निर्धारित अवधि में जो कार्य सम्पन्न कराये जाने थे उनके कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं निर्धारित अवधि में किये जाने संबंधी कोई अभिलेख कार्यालय द्वारा संधारित नहीं किये गये जिससे इस प्रकार किये गये भुगतान के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग से सत्यापन करा लिया जावेगा ।

स्थिति उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लायी जाती है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कंडिका कमांक 5– गॉव की बेटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 के दौरान छात्रवृति वितरण में आधिक्य अंतर की राशि रू. 5.85 लाख जबकि वित्तीय वर्ष 2017–18 में छात्रवृति वितरण में कमी की राशि रू.8.20 लाख।

गॉव की बेटी योजना के अंतर्गत गॉव की छात्राओं को पात्रतानुसार राशि रू. 5000 प्रति छात्रा के मान से छात्रवृति का भुंगतान का प्रावधान है । गॉव की बेटी योजना/प्रतिभा किरण योजना/विक्रमादित्य योजना के अंतर्गत वितरित छात्रवृति के संबंध में कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि में प्रदाय की गयी जानकारी को कोषालय अभिलेखों के मिलान किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	कार्यालय अभिलेख के अनुसार			कोषालय अभिलेख के अनुसार			
						अंतर	
	स्वीकृत छात्रवृति	छात्रवृति मान	वितरित राशि	कोषालय के द्वारा गया वास्तविक व्यय	वास्तविक स्वीकृत छात्रवृति	स्वीकृत छात्रवृति	वितरित राशि
2015–16	373	5000	1865000	2220000	444	71	355000
2016–17	485	5000	2425000	2655000	531	46	230000
योग	858		4290000	4875000	975	117	585000
2017–18	1578	5000	7890000	7070000	1414	(-)164	820000(-)

लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किये जाने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में 71 छात्रवृतियों का अतिरिक्त भुगतान किया गया जिनके लिये राशि रू. 355000/– का अधिक भुगतान कोषालय द्वारा किया गया

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2016–17 में 46 छात्रवृतियों का अतिरिक्त भुगतान किया गया जिनके लिये राशि रू. 230000/– का अधिक भुगतान कोषालय द्वारा किया गया । वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यालय द्वारा 1578 छात्रवृतियों हेतुं राशि रू. 7890000/– का भुगतान किया बताया गया है जबकि वस्तुतः कोषालय द्वारा रू.7070000/– का भुगतान किया गया है जिससे 1414 छात्रवृतियॉं स्वीकृत किये जाने की ही पुष्टि हो पाती है।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि कोषालय से अंतर की राशि का कारण अधीनस्थ एवं अशासकीय महाविद्यालयों की गॉंव की बेटी योजना का भुगतान किया जाना है।

कार्यालय प्रमुख का उत्तर अमान्य कर लेख है कि प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिहोर ही इस योजना के अंतर्गत भुगतान के आहरण एवं संवितरण अधिकारी है एवं कोषालय से योजना शीर्ष 6916 के अंतर्गत भुंगतान की गयी राशि में अधीनस्थ संस्थानों की राशि भी शामिल होना चाहिये । साथ ही लेखा परीक्षा का यह भी अभिमत है कि गॉंव की बेटी योजना छात्रवृति फिक्स है एवं अन्य योजना यथा प्रतिभा किरण एवं विक्रमादित्य योजना में कोषालय एवं कार्यालय के व्यय ऑकडों में कोई अन्तर नहीं है।

स्थिति उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लायी जाती है ।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कंडिका क्रमांक 14–म.प्र.लघु उद्योग निगम की आरक्षित सामग्री का क्रय निजी फर्मों से किया जाना राशि रु 5.11 लाख।

मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्र/एफ. 6–14/2012/अ–ग्यारह भोपाल दिनांक 20.07.15 के द्वारा शासन के समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों को म.प्र. भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिये निर्देशित किया गया था जिसके अनुसार शासन के प्रत्येक विभाग द्वारा कार्यालय के उपयोग हेतु कतिपय वस्तुओं का क्रय किसी विशिष्ट उपार्जनकर्ता अभिकरण के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित कर सकेगा। परिशिष्ट 'अ' एवं 'च' में वर्णित वस्तुओं का क्रय परिशिष्ट में उल्लिखित उपार्जनकर्ता अभिकरणों के माध्यम से किया जायेगा। तथा जो वस्तुयें म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित हैं। उनका क्रय म.प्र. लघु उद्योग निगम से ही किया जाना चाहिये। यदि सामग्री प्रदान करने में म.प्र. लघु उद्योग निगम असमर्थता प्रकट करे तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कुटेशन/निविदा के माध्यम से सामग्री का क्रय किया जायेगा।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर की लेखापरीक्षा अवधि में RUSA मद हेतु संधारित रोकडवही एवं व्यय के अभिलेखों तथा प्रमाणकों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि रु 511043/– की सामग्री यथा फर्नीचर, अलमारी एवं वाटर कूलर इत्यादि मध्य प्रदेष भण्डार कय नियम 26 के परिषिष्ट–अ में सम्मिलित वस्तुओं का कय मध्य प्रदेषलघु उद्योग निगम के स्थान पर अन्य फर्मो से किया गया। इस प्रकार राशि रु 5.11 लाख का अनियमित व्यय किया गया जो कि उपरोक्त नियमों के विरूद्ध है एवं अनियमितता की श्रेणी में आता है।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में वताया गया कि भविष्य में म.प्र. भंडार कय नियमों का पालन करते हुये कय किया जावेगा।

स्थिति उच्च अधिकारियों के ध्यान में लायी जाती है।

कंडिका कमांक 15–कॉशनमनी की राजसात किये जाने योग्य राशि शासकीय कोष में जमा न किया जाना राशि रू 2.31 लाख।

म0प्र0 कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 562 तथा प्राचार्य मार्गदर्शिका के पृष्ठ कमांक 609 पैरा 22 (3) के अनुसार यदि छात्र ने अन्तिम रूप से विद्यालय छोडने के तीन वर्ष बाद अपनी कॉशन मनी वापस नही ली है तो ऐसी कॉशन मनी शासकीय खाते में शासकीय नियमानुसार राजसात किया जाना चाहिये तथा कॉशन मनी लेजर में छात्रों के नाम के सामने राशियॉ राजसात की गयी लिखा जाकर टीप अंकित किया जाना चाहियें।

कार्यालय प्राचार्य चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर द्वारा संधारित कॉशन मनी पंजी तथा कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अवलोकन में पाया गया कि संलग्न विवरण पत्रक के अनुसार कॉशन मनी की राशि रू. 230700/–राजसात कर शासन के खाते में जमा किया जाना थी जो जमा नही की गयी ।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में वताया गया कि जॉच कर कॉशन मनी की राजसात किये जाने योग्य राशि राजसात कर शासन के खाते में जमा करा दी जावेगी ।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ति वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लायी जाती है।

कंडिका कमांक 6:– सावधि जमा राशि एवं उससे प्राप्त ब्याज की राशियों को रोकड वही में दर्ज नही किया जाना (शासकीय लेखे से बाहर) राशि 10.10 लाख।

म0प्र0 कोषालय संहिता भाग–एक के नियम 53(1) के अनुसार एम.पी.टी.सी.–5 फॉर्म में कार्यालय में रोकड वही का संधारण किया जाना चाहिये तथा नियम 53(2) के अनुसार समस्त लेन देनों की प्रविष्टि ,जैसे ही वे घटित होते है। रोकड वही में की जानी चाहिये । कोई भी राषि रोकड वही से वाहर नही रखी जानी चाहियें । माह के अंत में दर्षाये गये शेष का वगीकरण अंकित किया जाना चाहियें जैसे प्रदाय किये गये अग्रिमों का विवरण बैंक में शेंष राषि का विवरण एवं सावधि जमा के रूप में दर्षायी गयी राषियों का विवरण जिससे एकजाई रूप में यह पता लगाया जा सकें कि कार्यालय के पास बैंक में जमा कुल राषियां या सावधि जमा के रूप में जमा राषियॉं कितनी हैं

कार्यालय प्राचार्य चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की नमूना जॉच तथा कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अवलोकन में पाया गया कि कार्यालय द्वारा निम्नानुसार एफ.डी.बनवाई गयी है:–

एफ.डी.जारी करने का दिनांक	राशि
05.08.10	130292
26.02.10	13550
30.09.09	55817
29.06.10	59674
02.07.10	61898
30.06.10	83113
30.06.10	53000
26.02.10	13550
29.06.12	49000
01.07.13	24000
22.12.09	46062
23.06.09	98442
30.06.09	84000
30.06.15	80000
29.06.11	78000
01.07.14	80000
योग	1010398

परन्तु सावधि जमा से प्राप्त ब्याज की राषि को रोकड वही में नही दर्षाया गया एवं न ही माह के अंत में अंतिम शेष वनाया जाकर सावधि जमा की राषियों को दर्षाया गया। इस प्रकार सावधि जमा की मूल तथा ब्याज की राषियों को शासकीय लेखे से वाहर रखा गया।रोकड वही शेष न बनाये जाने से सावधि जमा की राषियो व अन्य राषियों की निरन्तर निगरानी नही रखी जा सकती ।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि सावधि जमा राशि की प्रविष्टि रोकड वही में करा दी जावेगी ।

स्थिति वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लायी जाती है ।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कंडिका क्रमांक 9- आवास सहायता योजना के अंतर्गत जारी राशि की उपयोगिता सुनिश्चित न होना राशि रू. 264.51 लाख।

म०प्र० शासन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. एफ/23-4/2013/25-5 दिनांक 11.09.13 द्वारा म०प्र० राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा निरन्तर रखने के लिए आवास सहायता योजना 2013-14 से प्रारंभ की गई है। जिसमें संभाग स्तर पर 2000/-, जिला मुख्यालय स्तर पर 1250/- एवं तहसील विकास खंड स्तर पर राशि रू. 1000/- प्रति विद्यार्थी प्रति माह की दर से आवास सहायता राशि स्वीकृत करता है।

योजना के नियम – 1 विद्यार्थियों को शपथ पत्र एवं मकान मालिक के सहमति पत्र के आधार पर स्वीकृति के अधिकार शासकीय संस्थाओं के प्राचार्य को होगा।

2 छात्र द्वारा अन्य किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ, तो आवास सहायता के पात्र होंगे।
3 अनुत्तीर्ण होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र होंगे।
4 लाभार्थी छात्र-छात्रा मकान मालिक को किराये का भुगतान एकाउंट पेयी चैक के माध्यम से करेंगे।
5 निर्धारित आय सीमा, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक, के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे।
6 योजना के परिणामों एवं प्रभावों की तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) मूल्यांकन कराने का प्रावधान है।
7 एक वर्ष बाद परिणामों के आधार पर योजना का पुनर्विलोकन किया जावेगा।

कार्यालय चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर द्वारा आवास सहायता योजनांतर्गत निम्नानुसार वर्षों में एस.सी./एस.टी. को राशि स्वीकृत कर वितरित की गई।

क्र.	वर्ष	छात्र संख्या	वितरित राशि
1.	2014-15	175	2625000/-
2.	2015-16	593	8895000/-
3.	2016-17	405	6075000/-
4.	2017-18	669	8856250/-
	Total	1842	26451250/-

कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की नमूना जाँच तथा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक कुल 1842 विद्यार्थियों को राशि रू. 26451250/- वितरित की गई। लाभार्थी छात्र-छात्राओं द्वारा मकान मालिक को किराये का भुगतान किया जाना था, लेकिन अभिलेखों में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जिस प्रयोजन (मकान किराया) के लिये छात्र-छात्राओं को राशि प्रदान की गई है वह उसी पर व्यय की गई क्योंकि न तो मकान मालिक द्वारा किराये की रसीद प्राप्त हुई और न ही प्रथम किश्त के भुगतान के साथ-साथ किराये के आवासों के स्थल सत्यापन कराया जाना पाया गया। तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) मूल्यांकन प्रतिवेदन भी अभिलेखों में नहीं पाया गया, अतः स्पष्ट है कि लाभार्थी छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त राशि की उपयोगिता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

स्थिति वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लायी जाती है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कंडिका क्रमांक 8 :- अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना।

निम्न लिखित अभिलेख लेखा परीक्षा को नहीं प्रस्तुत किये गये :

1. डी.पी.एफ. लेजर
2. परीक्षा शुल्क पंजी एवं इससे संबंधित अन्य अभिलेख
3. अस्थायी अग्रिम पंजी
4. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक तथा स्टेशनरी वितरण से संबंधित अभिलेख
5. पुस्तकालय से संबंधित अभिलेख
6. फीस कलेक्शन रजिस्टर

भाग– तीन

पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदनों के लंबित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही

पूर्व लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कण्डिकाओं की स्थितिः–

(i)लेखापरीक्षा प्रारंभ करते समय पूर्व लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्न प्रकार थीः–

1. प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला सीहोर

स. क्रं.	ले.प.निरी.प्रति.अवधि	लंबित कण्डिकाओं की संख्या	कण्डिका क्रमांक
1	4/10 से 9/14	04	01,02,03,04

कृपया लम्बित कंडिका की स्थिति मुख्यालय पर पी.आर. रजिस्टर से मिलान करनें का कष्ट करें।

(ii)वर्तमान लेखापरीक्षा समीक्षा के उपरान्त पूर्व लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों और लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्न प्रकार रहीः–

1. प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला सीहोर

क्र.	ले.प.निरी.प्रति.अवधि	निर्णित कंडिका	सम्मिलित की गई कंडिकाएं		शेष लंबित कंडिकाएं
			वर्तमान निरी.प्रति.में	वर्तमान नमूना जांच टिप्पणी में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	4/10 से 9/14	03,02	–	–	4,1

लम्बित कंडिकाओं का विवरण परिशिष्ट क में दर्शाया गया है

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(iii) बार–बार होने वाली अनियमितताऐं

स. क्र.	कंडिका का संक्षिप्त विवरण (यहाँ पर अद्यतन (Update) की गई कंडिकाओं को दर्शाना है)	लेखापरीक्षा अवधि (जब कंडिका प्रथम बार ली गई)
1	निरंक	

भाग–चार
सर्वोत्तम प्रथायें

----------------निरंक----------------

भाग–पाँच
आभार अभिव्यक्ति

लेखापरीक्षा के अन्त में आयोजित समापन बैठक में लेखापरीक्षा दल की ओर से इकाई द्वारा लेखापरीक्षा में किये गये सहयोग के लिये धन्यवाद दिया गया । इकाई में कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा हेतु वांछित अभिलेख एवं हाफ मार्जिन्स के उत्तर समय में प्रस्तुत किये जाने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया।लेखापरीक्षित इकाई में नेतृत्व स्तर धारण करने वाले अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

स. क्रं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.		
2.		

कार्यालय प्रमुख द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रथम उत्तर निर्धारित समय अवधि में प्रेषित कर दिये जाने का आश्वासन दिया गया ।

3/1/19

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ओ.ए.डी.–3

Scanned with CamScanner

पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन की लंबित कंडिकाओं का संक्षिप्त विवरण दर्शाने वाला अनुलग्नक – क

क्र.	ले.प.नि.प्र. की अवधि	कंडिका क्र.	आपत्ति का विवरण
1	4/2010 से 9/2014	01	बैंक ब्याज पर आयकर का अनियमित भुगतान राशि रू. 7800/–
		04	महाविद्यालय द्वारा सावधि जमा के रूप में राशि रू.9.30 लाख रोकडवही से बाहर रखना तथा ब्याज की हानि

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
ले.प.द.14

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय,सीहोर

लेखा परीक्षा अवधि 04.2010 से 09/2014 तक की लंबित कंण्डिकाओं का विवरण

स.क्र.	प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक	कंडिका की नकल	प्राचार्य का उत्तर	रिमार्क
02	04 कण्डिका अवधि 04.2010 से 09/2014	**महाविद्यालय द्वारा सावधि जमा के रूप में राशि रू.9.30 लाख रोकड़ बही से बाहर रखना तथा ब्याज की हानि।** मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग 53 के अनुसार सभी लेनदेन जैसे ही हो उनकी प्रविष्टि रोकड़ बही मे की जाना चाहियें, तथा कोई भी रोकड़ बही से बाहर नही रखी जानी चाहिये। लेखा परीक्षा के दौरान कार्यालय द्वारा प्रस्तुत एफडीआर पंजी एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि महाविद्यालय द्वारा राशि 930398/- की कुल 15 एफ.डी.आर बनवाई गयी, किन्तु उनकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नही की गई है, जिससे रोकड़ बही की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नही होती। 09 एफ.डी.आर की परिपक्वता तिथि व्यतीत हो जाने की बावजूद नवीनीकरण नही कराया गया है। जिससे शासन को साधारण ब्याज की दर 4 प्रतिशत से राशि रू. 9853/- की ब्याज को हानि की संभावना से भी इंकार नही किया जा सकता है विवरण संलग्न अनुलग्नक ख में दर्शाया गया है। आपत्ति इंगित किये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा लेख किया गया एफ.डी.आर की प्रविष्टि रोकड़ बही में की जावेगी। प्रकरण विभागाध्यक्ष के ध्यान में लाया जाता है।	सावधि जमा के रूप में राशि रोकड़ बही में जोड़ ली गई है, एवं एफ.डी.आर की परिपक्वता तिथि का नवीनीकरण करा लिया गया है। यदि महाविद्यालय द्वारा नवीनीकरण का आवेदन नही दिया जाता है,तो भी बैंक द्वारा एफ.डी.आर का स्वतः नवीनीकरण कर दिया जाता है, जिससे ब्याज की हानि नही होती है। PRINCIPAL C. S. A. G. P. G. College SEHORE (M.P.)	

Scanned with CamScanner

Cash Book

Receipt जमा

MONTH & DATE माह व दिनांक	RECEIPT No. वाउचर नं.	PARTICULARS विवरण	FOLIO	AMOUNT रुपये	AMOUNT रुपये

[illegible] Reci.

(FDR.) [illegible]

[illegible]

[illegible]	FDR. N.	[illegible]	[illegible]
(1)	5528	5.8.15	191986=00
(2)	5526	26.2.16	20227=00
(3)	5531	30.6.16	95344=00
(4)	5534	29.6.16	95055=00
(5)	5529	10.3.16	97245=00
(6)	5530	30.6.16	132390=00
(7)	168864543000000	30.6.16	83339=00
(8)	5527	26.2.16	20227=00
(9)	—	26.6.16	69158=00
(10)	—	1.7.15	28606=00
(11)	5536	22.12.15	69819=00
(12)	5535	23.6.15	155734=00
(13)	528	30.6.15	132889=00
(14)	—	29.6.15	108411=00
(15)	—	1.7.2016	95586=00
(16)	—	30.6.17	941293=00
	[illegible]		1105357=00

[illegible]

[illegible] 21/8/2017

Govt. [illegible] College SEHORE (M.P.)

1853940=15

1853940=15

01	01 कण्डिका अवधि 04.2010 से 09/2014	**बैंक ब्याज पर आयकर का अनियमित भुगतान राशि रू.7800/-** आयकर अधिनियम 1961 क सेक्शन 10(23C)(iiiab) के प्रावधान के अनुसार जो शिक्षण संस्था नो प्रोफिट पर कार्य कर रही है, तथा शासन पर निर्धारित है वह आयकर से मुक्त है बशर्ते कि Commisionar of Income Tax से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें कार्यालय द्वारा प्रस्तुत जनभागीदारी रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक (Bank of India Acct. No. 301010110009344) की जांच के दौरान पाया गया कि बैंक द्वारा जमा राशि पर प्राप्त ब्याज से टीडीएस का कटोत्रा किया गया है। लेखा परीक्षा अवधि में राशि रू.7800/- का कटोत्रा टीडीएस के रूप में किया गया। विवरण संलग्न अनुलग्नक "क" में दर्शाया गया है। यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा आयुक्त आयकर विभाग से आयकर मुक्त का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया होता तथा इसकी सूचना बैंक को दी गई होती, तो टीडीएस(आयकर) की राशि को बचाया जा सकता था। आपत्ति इंगित किये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा लेख किया गया कि चार्टड एकाउन्टेट से मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही की जावेगी।	बैंक द्वारा दिनांक 17.02.2014 तक रू.7800/- टी.डी.एस चार्ज काटा गया था। उक्त राशि दि.02.04.2014 को वापस कर दी गई। प्रमाण हेतु बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न है।

Scanned with CamScanner

सत्र 2011-12

अनुलग्नक - क

निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र. 1 के

काटे गये टी.डी.एस. ~~एवं अन्य बैंक~~ चार्ज का सूचा

क्र.	दिनांक	राशि
1	03.09.2013	10=00
2	06.09.2013	50=00
3	16.09.2013	10=00
4	16.09.2013	20=00
5	16.09.2013	10=00
6	16.09.2013	20=00
7	16.09.2013	20=00
8	16.09.2013	10=00
9	18.09.2013	10=00
10	25.09.2013	500=00
11	25.09.2013	150=00
12	08.10.2013	20=00
13	08.10.2013	100=00
14	09.10.2013	40=00
15	09.10.2013	130=00
16	10.10.2013	50=00
17	23.10.2013	10=00
18	25.10.2013	40=00
19	28.10.2013	10=00
20	26.12.2013	40=00
21	28.12.2013	70=00
22	30.12.2013	790=00
23	31.12.2013	380=00
24	07.01.2014	350=00
25	11.01.2014	320=00
26	13.01.2014	270=00
27	13.01.2014	120=00
28	15.01.2014	40=00
29	16.01.2014	200=00
30	18.01.2014	320=00
31	20.01.2014	230=00
32	20.01.2014	440=00
33	21.01.2014	40=00
34	22.01.2014	120=00
35	25.01.2014	510=00
36	27.01.2014	240=00
37	27.01.2014	720=00
38	28.01.2014	770=00
39	05.02.2014	600=00
40	13.02.2014	10=00
41	17.02.2014	10=00
	कुल योग -	7800=00

PRINCIPAL
C.S.A. G.P.G. College
SEHORE (M.P.)

28/

विवरण Particulars	चेक क्रमांक Cheque No.	निकासी राशि Amt. Withdrawn	जमा राशि Amt. Deposited	शेष Balance
B/F Bal Ac.No. 901010110009344				3,791.70Cr
Sweep Trf From: 901058110003510			22,000.00	25,791.70
Interest For 901058110003215]			372.27	26,163.97
Interest For 901058110003510]			248.18	26,412.15
SAINATH	216973	2,400.00		24,012.15
BY CASH			15,000.00	39,012.15
901058110003616 : Autosweep to		10,000.00		29,012.15
PRACHI SHARMA & ASSO	216972	1,000.00		28,012.15
BY CASH			30.00	28,042.15
TDS Refund for ^[901058110003511]^			22,720.00	50,762.15
BCI SB Plus balance as on 02-04-2014				45.03,000.00Cr
901058110003621 : Autosweep to		25,000.00		25.762.15
BY CASH			60.00	25.822.15
TO CTS CLEARING.	216974	1.500.00		24.322.15

-2014	Sweep Trf From: 901058110003621			1,000.00	25,322.15
-2014	BY CASH			50.00	25,372.15
-2014	REFUND OF TDS			40.00	25,412.15
-2014	TDS Refund for ^[901058110003186]^			4,340.00	29,752.15
-2014	AS PER LIST	216976	64,502.00		34,749.85Dr
-2014	REFUND OF TDS			350.00	34,399.85Dr
4-2014	Sweep Trf From: 901058110003621			24,000.00	10,399.85Dr
4-2014	Sweep Trf From: 901058110003616			10,000.00	399.85Dr
4-2014	Sweep Trf From: 901058110003510			26,000.00	25,600.15
4-2014	Interest For 901058110003510]			322.15	25,922.30
	By Bal C/F				25922.30Cr

PRINCIPAL
G. S. & G. R. G. Col
SEHORE (M.P.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर

क्रमांक/ओ.ए.डी.–3/नि.प्रति.क. 69/2018–19/ 286 दिनांक 3-1-19

प्रति

प्राचार्य,
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जिला सीहोर (म.प्र.)

विषयः निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/14 से 9/2018 तक पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आपके कार्यालय के लेखाओं की विषयांकित अवधि की लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2007 के नियम–197 के सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन का उत्तर चार सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें । यदि इस समय–सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदन की सभी आपत्तियों का अन्तिम उत्तर देना व्यवहारिक नहीं है तो अन्तरिम उत्तर भेजा जाऐ और उसमें उस दिनांक का उल्लेख अनिवार्यतः किया जाए जब तक अन्तिम उत्तर भेजा दिया जाऐगा।

2. लेखापरीक्षा के दौरान आपके कार्यालय द्वारा जो जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे उसी के आधार पर यह निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार की गई है । यह कार्यालय किसी भी निरंक/गलत सूचना एवं जानकारी के लिये उत्तरदायी नहीं है ।

3. पिछले निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति वर्तमान निरीक्षण प्रतिवेदन के भाग–1 (ख) में दर्शाई गई है । लम्बित कण्डिकाओं का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक–"क" में दर्शाया गया है इनके निराकरण को प्राथमिकता प्रदान करें । निरीक्षण प्रतिवेदन एवं नमूना जाँच टिप्पणी में सम्मलित हानि/गबन, धोखाधडी, अधिक भुगतान अस्थाई अग्रिम एवं वसूली से सम्मबन्धित कण्डिकाओं के निराकरण को वरीयता प्रदान करें ।

4. वसूली/समायोजन की स्थिति में एम.पी.टी.सी.–6 एवं चालान की प्रति, अपलेखन की स्वीकृति और व्यय के व्हाउचर आदि की प्रमाणित जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करने पर ही कण्डिकाओं का निराकरण मान्य किया जाएगा ।

5. निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी भेजी जा रही है।

निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

3/1/19
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ओ.ए.डी–3

अनुलग्नक – क

क्रमांक/ओ.ए.डी–3/नि.प्रति.क. 69/2018–19/ 287 दिनांक

प्रतिलिपिः निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि निरीक्षण की कण्डिकाओं का उत्तर इस कार्यालय को निर्धारित समय–सीमा में भिजवाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा मंत्रालय, वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल। – 2,4,7
2. आयुक्त/संचालक उच्च शिक्षा विभाग सतपुडा भवन मध्यप्रदेश, भोपाल । – 1 से 7
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/डी.पी.सेल (स्थानीय) । निरंक

हस्ता०
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ ओ.ए.डी–3

110/19
14/1/19

Scanned with CamScanner

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला–सीहोर म.प्र के लेखाओं/अभिलेखों की लेखा परीक्षा अवधि 10/2014 से 09/2018 तक की लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

भाग–1

(क) प्रस्तावना

(1) सामान्य

कार्यालय प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर म.प्र के लेखाओं/अभिलेखों की अवधि 10/2014 से 09/2018 तक की नमूना लेखापरीक्षां कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्यप्रदेश, ग्वालियर के स्थानीय लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 30.10.18 से 16.11.18 तक की गई । यह लेखापरीक्षा सी. एण्ड ए. जी. (डी.पी.सी.) एक्ट 1971 की धारा 13 के प्रावधान के अधीन सम्पन्न की गई । लेखापरीक्षित इकाई (सिविल/निर्माण/स्वायत निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम आदि) की श्रेणी में आते है व इकाई शिक्षा विभाग/लोक शिक्षण संचालनालय प्रशासनिक विभाग से सम्बन्धित है।

इसके पूर्व लेखापरीक्षा अवधि 4/10 से 9/14.. तक की नमूना लेखापरीक्षा कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्यप्रदेश, ग्वालियर के स्थानीय लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 14.10.14 से 17.10.14 तक की गई थी।

लेखापरीक्षा आवृत अवधि में जिन अधिकारियों ने कार्यालय प्रमुख और आहरण एवं संवितरण अधिकारी का कार्यभार संभाला उसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1.(अ) कार्यालय प्रमुख

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पदस्थापना की अवधि
1	डा.जी.डी सिंह	प्राचार्य	1.10.14 से 7.11.14
2	डा.शील चंद्र गुप्ता	प्रभारी प्राचार्य	8.11.14 से 17.11.14
3	डा. पुष्पा दुबे	प्रभारी प्राचार्य	18.11.14 से 11.3.15
4	डा.व्ही.के.शुक्ला	प्राचार्य	12.3.15 से 30.9.16
5	डा. पुष्पा दुबे	प्रभारी प्राचार्य	1.10.16 से निरंतर

Scanned with CamScanner

1. (ब) आहरण एवं संवितरण अधिकारी

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पदस्थापना की अवधि
1	श्री बी.एल.बकौरिया	रजिस्ट्रार	1.10.14 से निरंतर

1 (स) विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक कार्यालय/खंड से सम्बन्ध खंडीय लेखाकार/लेखा अधिकारी कार्यरत हैं।

क.	नम	पद	अवधि/ कार्यालय
1			

(2) सामान्य ढॉचा/कियाकलाप/कार्यालय स्थापना का उदेश्य–
शिक्षा एवं मूलभूत अंधोसरचना मुहैया करना

(3) आंतरिक जांच एवं पर्यवेक्षण/प्रकियाओं का अनुपालन/रिकार्डो की सामान्य स्थिति।

(अ) मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 291 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक माह में एक बार कार्यालयीन लेखा एवं अभिलेखो का विस्तृत निरीक्षण करना चाहिए तथा पाई गई अनियमितताओं और उनके निराकरण हेतु की गई कार्यवाही का त्रैमासिक प्रतिवेदन, नियंत्रण अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीकिया जा रहा है ।

(ब) मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 293 के अनुसार नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के कार्यालयीन अभिलेखों का वर्ष में एक वार निरीक्षण किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीकिया जा रहा है ।

(स) लेखापरीक्षा आवृत्त अवधि में संचालक कोष एवं लेखा द्वारा कार्यालयीन लेखाओं/अभिलेखों का निरीक्षण नही किया गया।

(4) बजट आवंटन एवं व्यय :–
कार्यालय के विगत वर्षो के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार थी:–

(राशिः लाख ₹ में)

म्द	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
वेतन भत्ता,	755.43	755.43	412.86	412.86	565.40	565.40
आकस्मिक व्यय	0.50	0.50	0.58	0.58	0.67	0.67
कार्यालयीन व्यय	1.68	1.68	2.06	2.06	3.51	3.51
यात्रा भत्ता	0.24	0.24	.	.	0.19	0.19
चिकित्सा भत्ता	..	..	0.36	0.36	..	..
मजदूरी	..	..	..	..	10.52	10.52
योजना एवं अन्य व्यय	21.84	21.84	27.54	27.54	82.50	82.50
केन्द्रीय सहायता/बाह्य सहायता	—	—	—	—	—	—

Scanned with CamScanner

(5) विगत तीन वर्षो में अर्जित राजस्व एवं व्यय

वर्ष	प्राप्ति की मदें	शीर्ष	प्राप्त धनराषि	प्रेषण/व्यय धनराषि
2015–16	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2016–17	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2017–18	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(6)स्वीकृत एवं कार्यरत पद :–

कार्यालय हेतु स्वीकृत एवं कार्यरत पद की पदवार स्थिति निम्नानुसार थी :–

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त संख्या	आधिक्य

नोटः– स्वीकृत एवं कार्यरत पद की जानकारी ज्ञापन–2 मे साथ संलग्न है।

(7) खण्ड द्वारा कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) म. प्र. ग्वालियर को प्रपत्र–51 प्रेषित किये जा रहे है ,। **लागू नही**

(8) पर्यावरण से सम्बन्धित निम्न मदों में वातावरण प्रभावित होने की जानकारी कार्यालय में निरंक है ।

क्रम सं.	मदों के नाम जिससे पर्यावरण प्रभावित होता हैं	वातावरण कितना प्रभावित हुआ (इकाई/प्रतिशत)	टिप्पणी
1	वायु	लागू नही	निरंक
2	ज्ल		
3	ज्मीन		
4	ध्वनि		
5	बैटरीज		
6	प्लास्टिक		
7	जैव–चिकित्सा अपशिष्ट		
8	जोखिम वाले अपशिष्ट (रेडियोधर्मिता–ऐसे चिकित्सालयों में कोबाल्ट मशीने प्रयोग में लायी जाती हैं।)		
9	परमाणु चिकित्सा–रेडियोधर्मी		

(9). सूचना प्रौद्योगिकी की लेखा परीक्षा (आई.टी. लेखापरीक्षा)– कार्यालय में निम्न से संबंधित जानकारी संधारित .... की गयी है ।

ठ	विवरण	मात्रा	मूल्य	टिप्पणी
1	हार्डवेयर			
2	प्रिंटर			
3	नेटवर्किंग			
4	आई.टी. अनुप्रयोगों			
5	आर.डी.बे.एम.एस. डाटाबैंक			
6	लेखा परीक्षा इकाई में कम्प्यूटरीकरण– विभाग में इ. निविदा, यातायात गणना।			

Scanned with CamScanner

भाग–2 : लेखापरीक्षा निष्कर्ष
(क) गम्भीर वित्तीय अनियमितताऐं
—–निरंक—–
(ख) वित्तीय अनियमिततायें

कंडिका कमांक 1 :–जनमागीदारी मद में बजट उपलब्ध होने के उपरांत भी पी.डी खाते से स्व वित्तीय पाठ्यकमों के कार्यरत कर्मचारियों को अनियमित भुंगतान किया जाना राशि रू. 31.11 लाख।

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के भाग–एक के अध्याय तीन सेक्शन–। के नियम 536 के अनुसार " No money shall be received for deposit in the public Account, unless they are such as by virtue of any statutory provision or of ant general or special orders of the Governement are required or authorized to be held in the custody of the Governement. Further, under rule 553 it is envisaged, Unless it be otherwise provided by any law or rule or order issued by competent authority, a deposit repayment order shall remain in force for perod of three months from the date on which is was issued, after which no prepayment can be made on its authority unless it is revalidated."

लेखा परीक्षा द्वारा प्राचार्या, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर की लेखा परीक्षा अवधि में पी.डी. खातें में जमा एवं इससे किये गये गये भुगतान की नमूना जॉच किये जाने पर पाया गया कि कार्यालय द्वारा पी.डी. खाते से प्रमुख रूप से जनभागीदारी मद के स्व वित्तीय पाठ्यकमों के Faculties को अनियमित रूप से राशि रू 31.11 लाख का भुगतान किया गया जबकि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे भुगतान हेतु जन भागीदारी मद में अलग से बजट प्रदाय किया जाता है । इस अवधि में महाविद्यालय को ज़नभागीदारी मद से भी राशि उपलब्ध करायी गयी जिसमें से स्व वित्तीय पाठ्यकमों हेतु नियुंक्त कर्मचारियों को वेतन भी प्रदान करना था जो कि नहीं किया गया जिससे जनभागीदारी खाते में निम्नानुसार रू.1.69 करोड की राशि अव्ययित रही :

अवधि	बैंक का नाम	खाता कमांक	बैंक खाते में अंतिम शेष
31 मार्च 2015	बैंक ऑफ इंडिया	901010110009344	1567251
31 मार्च 2016	बैंक ऑफ इंडिया	901010110009344	2004529
31 मार्च 2017	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	34938153799	4035456
31 मार्च 2018	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	34938153799	10354195
अप्रैल 2018 से सितम्बर 2018 तक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	34938153799	10691276

Scanned with CamScanner

कार्याकार्यालय द्वारा पी.डी. खाते से अन्य भुगतान यथा सामग्री कय इत्यादि लेन देन भी किया। पी.डी. खाते से बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के इस प्रकार भुगतान किया जाना सर्वथा अनुचित एवं अनियमित है।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 से स्ववित्तीय मद से आमंत्रित अतिथि विद्वानों को जन भागीदारी मद से भुगतान किया जारहा है। कार्यालय प्रमुख का उत्तर अमान्य कर लेख है कि पूर्व के वित्तीय वर्षो में किये गये पीडी खाते से भुगतान के कारण जन भागीदारी मद में आवंटित राशि का उपयोग नहीं हो पाया एवं जनभागीदारी मद के बैंक खाते में राशि रू.1.07 करोड की धन राशि अवरूद्ध रहीं ।

स्थिति उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लायी जाती है।

कडिका कमांक 2:–जन भागीदारी खाते से राशि रू. 20.85 लाख का संदिग्ध भुगतान ।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की लेखा परीक्षा अवधि 10/14 से 9/2018 की अवधि में लेखापरीक्षा के दौरान जनभागीदारी खाता के बैंक ऑफ इंडिया स्थित खाता क्रमांक 901010110009344 की नमूना जॉच किये जाने पर पाया कि कार्यालय द्वारा 7/2015 में चैक कमांक1313. एवं 1314 द्वारा कमशः राशि रू. 1235877/– एवं रू.849390/– का भुगतान एक व्यक्तिगत खाते "HIRDESH KUMAR" में किया गया । इस भुंगतान से संबंधित अभिलेख मांगे जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणक के रूप में एक विवरण पत्रक उपलब्ध कराया गया जिसमें इस राशि से किये गये व्यय का विवरण दर्ज था ।

उपरोक्तानुसार किये गये व्यय के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा निम्न बिंदुओं पर कार्यालय का अभिमत वांछित था :

1. कार्यालय द्वारा व्यक्तिगत खाते में उक्त राशि का भुंगतान किया गया जो कि मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के चैक से भुगतान संबंधी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है ।
2. लो.नि.वि. को प्रदाय की गयी राशि से निर्धारित अवधि में जो कार्य सम्पन्न कराये जाने थे उनके कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं निर्धारित अवधि में किये जाने संबंधी कोई अभिलेख कार्यालय द्वारा संधारित नहीं किये गये जिससे इस प्रकार किये गये भुगतान के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग से सत्यापन करा लिया जावेगा ।

स्थिति उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लायी जाती है।

Scanned with CamScanner

कंडिका कमांक 4– गॉव की बेटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 के दौरान छात्रवृत्ति वितरण में आधिक्य अंतर की राशि रू. 5.85 लाख जबकि वित्तीय वर्ष 2017–18 छात्रवृति वितरण में कमी की राशि रू.8.20 लाख।

गॉव की बेटी योजना के अंतर्गत गॉव की छात्राओं को पात्रतानुसार राशि रू. 5000 प्रति छात्रा के मान से छात्रवृति का भुंगतान का प्रावधान है । गॉव की बेटी योजना/प्रतिभा किरण योजना/विकमादित्य योजना के अंतर्गत वितरित छात्रवृति के संबंध में कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि में प्रदाय की गयी जानकारी को कोषालय अभिलेखों के मिलान किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	कार्यालय अभिलेख के अनुसार			कोषालय अभिलेख के अनुसार			
	स्वीकृत छात्रवृति	छात्रवृति मान	वितरित राशि	कोषालय के द्वारा गया वास्तविक व्यय	वास्तविक स्वीकृत छात्रवृति	अंतर	
						स्वीकृत छात्रवृति	वितरित राशि
2015–16	373	5000	1865000	2220000	444	71	355000
2016–17	485	5000	2425000	2655000	531	46	230000
योग	**858**		**4290000**	**4875000**	**975**	**117**	**585000**
2017–18	1578	5000	7890000	7070000	1414	(-)164	820000(-)

लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किये जाने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में 71 छात्रवृतियों का अतिरिक्त भुगतान किया गया जिनके लिये राशि रू. 355000/– का अधिक भुगतान कोषालय द्वारा किया गया

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2016–17 में 46 छात्रवृतियों का अतिरिक्त भुगतान किया गया जिनके लिये राशि रू. 230000/– का अधिक भुगतान कोषालय द्वारा किया गया । वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यालय द्वारा 1578 छात्रवृतियों हेतुं राशि रू. 7890000/– का भुगतान किया बताया गया है जबकि वस्तुतः कोषालय द्वारा रू.7070000/– का भुगतान किया गया है जिससे 1414 छात्रवृतियॉ स्वीकृत किये जाने की ही पुष्टि हो पाती है।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रभुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि कोषालय से अंतर की राशि का कारण अधीनस्थ एवं अशासकीय महाविद्यालयों की गॉव की बेटी योजना का भुगतान किया जाना है।

कार्यालय प्रमुख का उत्तर अमान्य कर लेख है कि प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिहोर ही इस योजना के अंतर्गत भुगतान के आहरण एवं संवितरण अधिकारी है एवं कोषालय से योजना शीर्ष 6916 के अंतर्गत भुंगतान की गयी राशि में अधीनस्थ संस्थानों की राशि भी शामिल होना चाहिये । साथ ही लेखा परीक्षा का यह भी अभिमत है कि गॉव की बेटी योजना छात्रवृति फिक्स है एवं अन्य योजना यथा प्रतिभा किरण एवं विकमादित्य योजना में कोषालय एवं कार्यालय के व्यय ऑकडों में कोई अन्तर नहीं है।

स्थिति उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लायी जाती है ।

Scanned with CamScanner

कंडिका कमांक 5–म.प्र.लघु उद्योग निगम की आरक्षित सामग्री का कय निजी फर्मों से किया जाना राशि रु 5.11 लाख।

मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्र/एफ. 6–14/2012/अ–ग्याह भोपाल दिनांक 28.07.15 के द्वारा शासन के समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों को म.प्र. भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिये निर्देशित किया गया था जिसके अनुसार शासन के प्रत्येक विभाग द्वारा कार्यालय के उपयोग हेतु कतिपय वस्तुओं का क्रय किसी विशिष्ट उपार्जनकर्ता अभिकरण के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित कर सकेगा। परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' में वर्णित वस्तुओं का क्रय परिशिष्ट में उल्लिखित उपार्जनकर्ता अभिकरणों के माध्यम से किया जायेगा। तथा जो वस्तुयें म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित हैं। उनका क्रय म.प्र. लद्यु उद्योग निगम से ही किया जाना चाहिये। यदि सामग्री प्रदान करने में म.प्र. लद्यु उद्योग निगम असमर्थता प्रकट करे तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कुटेशन/निविदा के माध्यम से सामग्री का क्रय किया जायेगा।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर की लेखापरीक्षा अवधि में RUSA मद हेतु संधारित रोकडबही एवं व्यय के अभिलेखों तथा प्रमाणकों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि रु 511043/– की सामग्री यथा फर्नीचर, अलमारी एवं वाटर कूलर इत्यादि मध्य प्रदेष भण्डार कय नियम 26 के परिषिष्ट–अ में सम्मिलित वस्तुओं का कय मध्य प्रदेषलघु उद्योग निगम के स्थान पर अन्य फर्मो से किया गया। इस प्रकार राशि रू 5.11 लाख का अनियमित व्यय किया गया जो कि उपरोक्त नियमों के विरूद्ध है एवं अनियमितता की श्रेणी में आता है।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में म.प्र. भंडार कय नियमों का पालन करते हुये कय किया जावेगा।

स्थिति उच्च अधिकारियों के ध्यान में लायी जाती है।

कंडिका कमांक 6:–कॉशनमनी की राजसात किये जाने योग्य राशि शासकीय कोष में जमा न किया जाना राशि रू 2.31 लाख।

म0प्र0 कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 562 तथा प्राचार्य मार्गदर्शिका के पृष्ठ कमांक 609 पैरा 22 (3) के अनुसार यदि छात्र ने अन्तिम रूप से विद्यालय छोडने के तीन वर्ष बाद अपनी कॉशन मनी वापस नही ली है तो ऐसी कॉशन मनी शासकीय खाते में शासकीय नियमानुसार राजसात किया जाना चाहिये तथा कॉशन मनी लेजर में छात्रों के नाम के सामने राशियॉ राजसात की गयी लिखा जाकर टीप अंकित किया जाना चाहियें। कार्यालय प्राचार्य चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर द्वारा संधारित कॉशन मनी पंजी तथा कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अवलोकन में पाया गया कि संलग्न विवरण पत्रक के अनुसार कॉशन मनी की राशि रू. 230700/–राजसात कर शासन के खाते में जमा किया जाना थी जो जमा नही की गयी ।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि जॉच कर कॉशन मनी की राजसात किये जाने योग्य राशि राजसात कर शासन के खाते में जमा करा दी जावेगी ।

Scanned with CamScanner

स्थिति वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लायी जाती है।

कंडिका कमांक 6– सावधि जमा राशि एवं उससे प्राप्त ब्याज की राशियों को रोकड बही में दर्ज नही किया जाना (शासकीय लेखे से बाहर) राशि 10.10 लाख।

म0प्र0 कोषालये संहिता भाग–एक के नियम 53(1) के अनुसार एम.पी.टी.सी.–5 फॉर्म में कार्यालय में रोकड बही का संधारण किया जाना चाहिये तथा नियम 53(2) के अनुसार समस्त लेन देनों की प्रविष्टि ,जैसे ही वे घटित होते है। रोकड बही में की जानी चाहिये । कोई भी राषि रोकड बही से बाहर नही रखी जानी चाहिये । माह के अंत में दर्षाये गये शेष का वर्गीकरण अंकित किया जाना चाहियें जैसे प्रदाय किये गये अग्रिमों का विवरण बैंक में शेंष राषि का विवरण एवं सावधि जमा के रूप में दर्षायी गयी राषियों का विवरण जिससे एकजाई रूप में यह पता लगाया जा सकें कि कार्यालय के पास बैंक में जमा कुल राषियां या साबधि जमा के रूप में जमा राषियॉं कितनी हैं

कार्यालय प्राचार्य चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की नमूना जॉच तथा कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अवलोकन में पाया गया कि कार्यालय द्वारा निम्नानुसार एफ.डी.बनवाई गयी है:–

एफ.डी.जारी करने का दिनांक	राशि
05.08.10	130292
26.02.10	13550
30.09.09	55817
29.06.10	59674
02.07.10	61898
30.06.10	83113
30.06.10	53000
26.02.10	13550
29.06.12	49000
01.07.13	24000
22.12.09	46062
23.06.09	98442
30.06.09	84000
30.06.15	80000
29.06.11	78000
01.07.14	80000
योग	**1010398**

परन्तु सावधि जमा से प्राप्त ब्याज की राषि को रोकड बही में नही दर्षाया गया एवं न ही माह के अंत में अंतिम शेष बनाया जाकर साबधि जमा की राषियों को दर्षाया गया। इस प्रकार सावधि जमा की मूल तथा ब्याज की राषियों को शासकीय लेखे से बाहर रखा गया।रोकड बही शेष न बनाये जाने से सावधि जमा की राषियो व अन्य राषियों की निरन्तर निगरानी नही रखी जा सकती ।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि सावधि जमा राशि की प्रविष्टिं रोकड बही में करा दी जावेगी ।

स्थिति वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लायी जाती है ।

Scanned with CamScanner

कंडिका कमांक 8:–आवास सहायता योजना के अंतर्गत जारी राशि की उपयोगिता सुनिश्चित न होना राशि रू. 264.51 लाख।

म0प्र0 शासन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेष क्र. एफ/23–4/2013/25–5 दिनांक 11.09.13 द्वारा म0प्र0 राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा निरन्तर रहने के लिए आवास सहायता योजना 2013–14 से प्रारंभ की गई है। जिसमें संभागस्तर पर 2000/–, जिला मुख्यालय स्तर पर 1250/– एवं तहसील विकास खंड स्तर पर राषि रू. 1000/– प्रति विद्यार्थी प्रति माह की दर से आवास सहायता राशि स्वीकृत करता है।

योजना के नियम :– 1. विद्यार्थियों को शपथ पत्र एवं मकान मालिक के सहमति पत्र के आधार पर स्वीकृति के अधिकार शासकीय संस्थाओं के प्राचार्य को होगा।

2. छात्र द्वारा अन्य किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेष नहीं हुआ, वो आवास सहायता के पात्र होंगे।
3. अनुर्तीण होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिये अपात्र होगे।
4. लाभार्थी छात्र–छात्रा मकान मालिक को किराये का भुगतान एकाउंट पेयी चैक के माध्यम से करेंगे।
5. निर्धारित आय सीमा, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक, के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे।
6. योजना के परिणामों एवं प्रयासों की तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) मूल्यांकन कराने का प्रावधान है।
7. एक वर्ष बाद परिणामों के आधार पर योजना का पुर्नवलोकन किया जावेगा।

कार्यालय चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर द्वारा आवास सहायता योजनांतर्गत निम्नानुसार वर्षों में एस.सी./एस.टी. को राषि स्वीकृत कर वितरित की गई।

क.	वर्ष	छात्र संख्या	वितरित राषि
1.	2014–15	175	2625000/–
2.	2015–16	593	8895000/–
3.	2016–17	405	6075000/–
4.	2017–18	669	8856250/–
	Total	**1842**	**26451250/–**

कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की नमूना जॉच तथा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2014–15 से 2017–18 तक कुल 1842 विद्यार्थियों को राषि रू. 26451250/– वितरित की गई। लाभार्थी छात्र–छात्राओं द्वारा मकान मालिक को किराये का भुगतान किया जाना था, लेकिन अभिलेखों में ऍसा कहीं भी देखने को नही मिला जिससे यह सुनिष्चित हो सके कि जिस प्रयोजन (मकान किराया) के लिये छात्र–छात्राओं को राषि प्रदान की गई है वह उसी पर व्यय की गई क्योंकि न तो मकान मालिक द्वारा किराये की रसीद प्राप्त हुई और न ही प्रथम किष्त के भुगतान के साथ–साथ किराये के आवासों के स्थल सत्यापन कराया जाना पाया गया। तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) मूल्यांकन प्रतिवेदन भी अभिलेखों में नही पाया गया, अतः स्पष्ट है कि लाभार्थी छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त राषि की उपयोगिता सुनिष्चित नही हो सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी ।

स्थिति वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लायी जाती है।

Scanned with CamScanner

कंडिका क्रमांक 8 :– अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना।

निम्न लिखित अभिलेख लेखा परीक्षा को नहीं प्रस्तुत किये गये :

1. डी.पी.एफ. लेजर
2. परीक्षा रोकड बही एवं इससे संबंधित अंन्य अभिलेख
3. अस्थायी अग्रिम पंजी
4. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक तथा स्टेषनरी वितरण से संबंधित अभिलेख
5. पुस्तकालय से संबंधित अभिलेख
6. फीस कलेक्षन रजिस्टर

भाग– तीन

पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदनों के लंबित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही

पूर्व लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कण्डिकाओं की स्थितिः–

(i)लेखापरीक्षा प्रारंभ करते समय पूर्व लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्न प्रकार थी:–

1. प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला सीहोर

स. क्रं.	ले.प.निरी.प्रति.अवधि	लंबित कण्डिकाओं की संख्या	कण्ड़िका क्रमांक
1	4/10 से 9/14	04	01,02,03,04

कृपया लम्बित कंडिका की स्थिति मुख्यालय पर पी.आर. रजिस्टर से मिलान करनें का कष्ट करें।

(ii)वर्तमान लेखापरीक्षा मेंसमीक्षा के उपरान्त पूर्व लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों और लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्न प्रकार रहीं:–

1. प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला सीहोर

क्र.	ले.प.निरी.प्रति.अवधि	निर्णित कंडिका	सम्मिलित की गई कंड़िकाएं		शेष लंबित कंडिकाऐं
			वर्तमान निरी.प्रति.में	वर्तमान नमूना जांच टिप्पणी में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	4/10 से 9/14	03,02	–	–	4,1

लम्बित कंडिकाओं का विवरण <u>परिशिष्ट क</u> में दर्षाया गया है

Scanned with CamScanner

(iii) बार–बार होने वाली अनियमितताऐं

स. क्र.	कंड़िका का संक्षिप्त विवरण (यहाँ पर अद्यतन (Update) की गई कंड़िकाओं को दर्शाना है)	लेखापरीक्षा अवधि (जब कंड़िका प्रथम वार ली गई)
1	निरंक	

भाग–चार
सर्वोत्तम प्रथायें

—निरंक—

भाग–पाँच
आभार अभिव्यक्ति

लेखापरीक्षा के अन्त में आयोजित समापन बैठक में लेखापरीक्षा दल की ओर से इकाई द्वारा लेखापरीक्षा में किये गये सहयोग के लिये धन्यवाद दिया गया । इकाई में कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा हेतु वांछित अभिलेख एवं हाफ मार्जिन्स के उत्तर समय में प्रस्तुत किये जाने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया।लेखापरीक्षित इकाई में नेतृत्व स्तर धारण करने वाले अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:–

स. क्रं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.		
2.		

कार्यालय प्रमुख द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रथम उत्तर निर्धारित समय अवधि में प्रेषित कर दिये जाने का आश्वासन दिया गया ।

3/1/19

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ओ.ए.डी.–3

Scanned with CamScanner

पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन की लंबित कंडिकाओं का संक्षिप्त विवरण दर्शाने वाला अनुलग्नक – क

क्र.	ले.प.नि.प्र. की अवधि	कंडिका क्र.	आपत्ति का विवरण
1	4/2010 से 9/2014	01	बैंक ब्याज पर आयकर का अनियमित भुगतान राशि रू. 7800/–
		04	महाविद्यालय द्वारा सावधि जमा के रूप में राशि रू.9.30 लाख रोकड़बही से बाहर रखना तथा ब्याज की हानि

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
ले.प.द.14 OAD-3

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य, चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर
अग्रणी महाविद्यालय सीहोर, जिला सीहोर(म०प्र०)
Ph.No. : 07562-224156, 224240, Fax : 07562- 224240
E_mail :- hecsaglcseh@mp.gov.in
Website :- www.mpcolleges.nic.in/sehore

क. 3651 /21 सीहोर,दिनांक 5/10/2021

प्रति,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी,
रिपोर्ट (ए.एम.जी-3)
महालेखाकार कार्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :- महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं का प्रेषण।
संदर्भ :- अपर संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा, भोपाल के पत्र कमांक 423/236/आडिट/आउशि/2021 भोपाल दिनांक 17.08.2021

--00--

उपरोक्त विषय में लेख है कि इस महाविद्यालय की महालेखाकार परीक्षा की लंबित कंडिकाओं के प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र मे तैयार कर पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

क्र.	लेखा निरीक्षण की अवधि	लंबित कंडिकाओं का क्रमांक	कुल लंबित कंडिकाओं की संख्या
1	04/2010 से 09/2014 तक	01 एवं 04	02
2	10/2014 से 09/2018 तक	01,02,03,04,05,06,07,08 एवं 09	09

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

5/10/21
(डॉ.सुमन रोहिला)
प्राचार्य
PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)
सीहोर,दिनांक 5/10/2021

पृ.क्र. 3652/21
प्रतिलिपि -
1- उप संचालक (वित्त), उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)।

5/10/21
(डॉ.सुमन रोहिला)
प्राचार्य
PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)

O/C

H:\ Letter2021

Scanned with CamScanner

कार्यालय,आयुक्त उच्च शिक्षा म0प्र0
सतपुडा भवन भोपाल
Email ID : he.audit@mp.gov.in

क्रमांक 423/236/आडिट/आउशि/2021 भोपाल, दिनांक 17/8/21

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय चन्द्रशेखर आजाद स्नातक, महाविद्यालय
सिहोर म0प्र0

विषय :– निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि की लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु अपेक्षित जानकारी प्रेषित करने बाबत।

संदर्भ :– वरिष्ठ लेखा अधिकारी रिपोर्ट ए0एम0जी–3 कार्यालय प्रधान महालेखाकार के पृष्ठिांकित पत्र कमांक ए0एम0जी–3 /रिपोर्ट/लंबित कंडिका डी–43 दिनांक 05–04–21 ।

–0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा वरिष्ठ लेखा अधिकारी कार्यालय महालेखाकार अवगत कराया गया है आपके महाविद्यालय की निम्नांकित निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाए लंबित है:–

स0क0	निरीक्षण प्रतिवेदन की अवधि	लंबित कंडिका	योग
1	04/2010 से 09/2014	1,4	02
2	10/2014 से 09/2018	1,2,3,4,5,6,7,8,9	09
		कुल योग	11

अतः आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदनों लंबित कंडिकाओं के उत्तर मय अभिलेखों के महालेखाकार कार्यालय को तत्काल भेजा जाना सुनिश्चित करें एवं प्रेषित उत्तर की एक प्रति इस कार्यालय को भी भेजा जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त द्वारा आदेशित

संलग्न- प्रपत्र

उप संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा म0प्र0 भोपाल

पृ.क्रमांक 424/236/आडिट/आउशि/21 भोपाल, दिनांक 17/8/21

प्रतिलिपि :– वरिष्ठ लेखा अधिकारी रिपोर्ट ए0एम0जी–3 कार्यालय प्रधान महालेखाकार ग्वालियर के पृष्ठिांकित पत्र कमांक ए0एम0जी–3 /रिपोर्ट /लंबित कंडिका डी–43 दिनांक 05–04–21 के संदर्भ में सूचनार्थ।

उप संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा म0प्र0 भोपाल

लेखापाल
आवश्यक कार्यवाही करें
11/09/2021
Seen
16.9.21
2025(2)
11.9.21

Scanned with CamScanner

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय,सीहोर

प्रतिवेदन अवधि 10/14 से 09/2018 तक

<table>
<tr><th>स. क.</th><th>प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक</th><th>कंडिका की नकल</th><th>प्राचार्य का उत्तर</th><th>रिमार्क</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>
जनभागीदारी मद में बजट उपलब्ध होने के उपरांन्त भी पी. डी. खाते से स्व वित्तिय पाठ्यक्रमों के कार्यरत कर्मचारियों को अनियमित भुगतान किया जाना राशि रू. 31.11 लाख। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के भाग–एक के अध्याय तीन सेक्सन–। के नियम 536 के अनुसार "No money shall we received for deposit in the public Account unless they are such as why virtue of any statutory provision or of ant general ar special order of the Governement are required or authorized to be held in the custody of the Governement. Further, under rule 553 it is envisaged unless it weotherwise provided by any law rule or order issued by competent authority a deposit repayment order shall remain in force for perod of three months from the date on which is was issued, after which no prepayment can be made for it authority unless it is revalidated."
लेखा परीक्षा द्वारा प्राचार्या शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर की लेखा परीक्षा अवधि में पी.डी. खाते में जमा एवं इससे किये गये भुगतान की नमूना जांच किए जाने पर पाया गया कि कार्यालय द्वारा पी.डी. खाते से प्रमुख रूप से जनभागीदारी मद के स्व वित्तिय पाठ्यक्रमों के Faculties को अनियमित रूप से राशि रु. 31.11 लाख का भुगतान किया गया जबकि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे भुगतान हेतु जन भागीदारी मद में अलग से बजट प्रदाय किया जाता है। इस अवधि में महाविद्यालय को जनभागीदारी मद से भी राशि उपलब्ध कराई गई जिसमें से स्व वित्तिय पाठ्यक्रमों हेतु नियुक्त कर्मचारियों को वेतन भी प्रदान करना था जो कि नहीं किया गया जिससे जनभागीदारी खाते में निम्नानुसार रु. 1.69 करोड़ की राशि अव्ययित रही :
<table>
<tr><th>अवधि</th><th>बैंक का नाम</th><th>खाता क्रमांक</th><th>बैंक खाते में अंतिम शेष</th></tr>
<tr><td>31 मार्च 2015</td><td>बैंक ऑफ इंडिया</td><td>901010110009344</td><td>1567251</td></tr>
<tr><td>31 मार्च 2016</td><td>बैंक ऑफ इंडिया</td><td>901010110009344</td><td>2004529</td></tr>
<tr><td>31 मार्च 2017</td><td>स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</td><td>34938153799</td><td>4035456</td></tr>
<tr><td>31 मार्च 2018</td><td>स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</td><td>34938153799</td><td>10354195</td></tr>
<tr><td>अप्रैल 2018 से सितम्बर 2018 तक</td><td>स्टेट बैंक ऑफ इंडिया</td><td>34938153799</td><td>10691276</td></tr>
</table>
कार्यालय द्वारा पी.डी. खाते से अन्य भुगतान यथा सामग्री क्रय इत्यादी लेन–देन भी किया पी.डी. खाते से विना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के इस प्रकार भुगतान किया जाना सर्वथा अनुसूचित एवं अनियमित है।
लेखा परीक्षा द्वारा आपत्ति लिए जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 से स्ववित्तिय मद से आमंत्रित अतिथि विद्वानों को जनभागीदारी मद से भुगतान किया जा रहा है। कार्यालय प्रमुख का उत्तर अमान्य कर लेख है कि पूर्व के वितीय वर्षों में किए गए पी.डी. खाते से भुगतान के कारण जनभागीदारी मद में आवंटित राशि का उपयोग नहीं हो पाया एवं जनभागीदारी मद के बैंक खाते में राशि रुपए 1.07 करोड़ की धन राशि अवरूद्ध रही।
स्थिति उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लायी जाती है।
</td><td>
महाविद्यालय द्वारा स्ववित्तीय पाठ्यक्रम संचालित किये गये है। उसी समय से संबधित विद्यार्थियों से लिये जाने वाला शुल्क चालान द्वारा पीडी खाते में जमा कराते रहें है, एवं उसी मद यानी पीडी खाते से ही कार्यरत कर्मचारियों को पारिश्रमिक भुगतान किया गया है। सत्र 2017–18 से विद्यार्थियों से लिये जाने वाला शुल्क जनभागीदारी मद में जमा कर कर्मचारियों को भुगतान जनभागीदारी मद से किया जा रहा है।
अतः कण्डिका निर्णितमान्य करने का कष्ट करें।
PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)
</td><td></td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

कार्यालय, प्राचार्य चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय, सीहोर
स्ववित्तीय मद के अंतर्गत भुगतान

/2018 सीहोर,दिनांक :

कार्यालयीन आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार माह अगस्त 2018 का स्ववित्तीय मद से पारिश्रमिक भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

	नाम	माह	कार्य दिवस	कुल राशि	आई.एफ.एस.सी.कोड	खाता क्रमांक
1	कु अनुभूति देवगडे	अगस्त 2018	21 Day	10161	SBIN0000477	33248640252
2	श्रीमती दीपिका शर्मा	अगस्त 2018	23 Day	11129	SBIN0030130	63028848281
3	श्री अजय	अगस्त 2018	21 Day	10161	SBIN0010850	31321420261
4	कु नेहा राठौर	अगस्त 2018	24 Day	11612	SBIN0000477	34283809505
5	श्री आशीष विश्वकर्मा	अगस्त 2018	24 Day	11612	SBIN0000477	34827948181
6	श्री राजकुमार अहिरवार	अगस्त 2018	04 Day	1935	SBIN0030343	20191202293
7	श्रीमती सरिता चौपड़ा	अगस्त 2018	23 Day	11129	SBIN0003927	20210036018
8	कु देवश्री राठौर	अगस्त 2018	22 Day	10645	SBIN0030231	20128184201
9	कु रचना बागवान	अगस्त 2018	23 Day	11129	SBIN0000477	30935954611
10	श्री हेमन्त मेवाड़ा	अगस्त 2018	27 Day	8613	SBIN0000477	32704519247
11	कु दिव्या भदौरिया	अगस्त 2018	24 Day	7656	SBIN0000477	32704484881
12	श्री कमल सिंह परमार	अगस्त 2018	29 Day	7076	SBIN0000477	30577772794
	योग			112858.00		

शब्दों में - (रु.एक लाख बारह हजार आठ सौ अट्ठावन मात्र)

प्राचार्य एवं सदस्य सचिव
जनभागीदारी समिति
शास० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर
सीहोर दिनांक :

/2018

प्रति,

भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा-सीहोर की ओर लेख है कि चैक की राशि रु. 112858=00 उपर्युक्त कर्मचारियों के नाम के सम्मुख अंकित उनके खाते में जमा करें।

चैक क्रमांक 107135
11/9/2018
रु.112858=00

प्राचार्य एवं सदस्य सचिव
जनभागीदारी समिति
शास० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर

PAID & CANCELLED
For Rs. 112858
Vide Vr. No. 65 Dt. 11.9.18
Entered in C. B. Page No. 35

D. D. O.

Accountant

PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M.P.)

Scanned with CamScanner

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय,सीहोर

प्रतिवेदन अवधि 10/14 से 09/2018 तक

स.क.	प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक	कंडिका की नकल	प्राचार्य का उत्तर	रिमार्क
2	2	जनभागीदारी खाते से राशि रू. 20.85 लाख का संदिग्ध भुगतान। कार्यालय प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की लेखा परीक्षा अवधि 10/14 से 9/2018 की अवधि में लेखा परीक्षा के दौरान जनभागीदारी खाता के बैक ऑफ इंडिया स्थित खाता क्रमांक 901010110009344 की नमूना जॉच किये जाने पर पाया कि कार्यालय द्वारा 7/2015 में चैक क्रमांक 1313 एवं 1314 द्वारा क्रमशः राशि रू. 1235877/- एवं रू. 849390/- का भुगतान एक व्यक्तिगत खाते "HIRDESH KUMAR" में किया गया। इस भुगतान से संबंधित अभिलेख मांगे जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणक के रूप में एक विवरण पत्रक उपलब्ध कराया गया जिसमें इस राशि से किये गये व्यय का विवरण दर्ज था। उपरोक्तानुसार किये गये व्यय के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा निम्न बिन्दुओं पर कार्यालय का अभिमत वांछित था : 1. कार्यालय द्वारा व्यक्तिगत खातें मे उक्त राशि का भुगतान किया गया जो कि मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के चैक से भुगतान संबंधी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। 2. लो.नि.वि. को प्रदाय की गई राशि से निर्धारित अवधि में जो कार्य सम्पन्न कराये जाने थे उनके कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं निर्धारित अवधि में किये जाने संबधी कोई अभिलेख कार्यालय द्वारा संधारित नही किये गये। जिससे इस प्रकार किये गये भुगतान के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नही किया जा सकता। लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि लोक निर्माण विभाग से सत्यापन करा लिया जावेगा। स्थिति उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लायी जाती है	निर्माण कार्यो के भुगतान हेतु महाविद्यालय से जारी चैक क्रमांक 1313 एवं 1314 रू. क्रमशः 1235877/- एवं 849390/- दिनांक 23.07.2015 कुल राशि रू.2085267/- मुख्य कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सीहोर को भुगतान किया गया है। जिसकी पावती MPTC-6 की रसीद क्र.72,73 दिनांक 31.07.2015 प्राप्त की गई है। लोक निर्माण विभाग,सीहोर के पत्र क्र. 1311/बजट/2019-20 दिनांक 21.06.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त राशि के चालान श्री हिरदेश कुमार,भृत्य के द्वारा बैक में जमा कराये गये है। अवलोकन हेतु चालान की प्रति एवं पत्र की छायाप्रति संलग्न है। अतः कण्डिका निर्णितमान्य करने का कष्ट करें। PRL C. S. A. G. P. G. College SEHORE (M. P.)	

Scanned with CamScanner

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग सीहोर

दूरभाष क्र. :मांकः-07562-222701 फेक्सः-07562-225701
ई-मेलः-eepwdsehore@mp.nic.

क्रमांक 1311 / बजट / 2019-20 दिनांक 21/06/19

प्रति,

प्राचार्य,
चन्द्रशेखर आजाद शासकीय
स्नातकोत्तर महाविधालय सीहोर

विषय :- चैक कंमाक 1313 रूपये 1235877/- एवं चैक कंमाक 1314 रूपये 849390/- दिनांक 23.07.2015 का भुगतान किये जाने के संबंध में।

सदंर्भ :- आपका पत्र कं.1995/19/दिनांक 20.06.19।

-:::0000:::-

उपरोक्त संदर्भित लेख है, कि महाविधालय द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग सीहोर के पक्ष में उपरोक्त राशि के चैक निर्माण कार्यो के भुगतान हेतु जमा करायें गये थे, जिसे विभाग के भृत्य श्री हिरदेश कुमार द्वारा चालान तैयार कर बैंक शाखा में जमा करायें गये है। (चालान की छायाप्रति संलग्न है) एवं महाविधालय को MPTC रसीद कं. 72, 73 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पावती भी भेजी गई है।

अतः सूचनार्थ आपकी ओर प्रेषित है।

सहपत्र :- 0

कार्यपालन यंत्री,
लो.नि.वि. संभाग सीहोर

21.6.19

शासकीय महाविधालय
सीहोर (म० प्र०)
क्र/ना० 1463/19
दिनांक 21/6/19

PRINCIPAL
C.S.A.G.P.G. College
SEHORE (M.P.)

D:Arvind/T.S.Sehore 2018

Scanned with CamScanner

XX II
269 Try

CHAllNA No.

FORM M.P.T.C. 7
See Subsidiary Rule 52
Date..................

Chelan of cash paid in to State Bank of India Sehore

To be filled by remitter					To be filled by the Department office of the Treasury officer		
By whom tendered	Name of designation And address of the person on whose be half	Fill particulars of the remittance and of the authority (if any)	Amount Rs.	P.	Head of account	Account office by whom Adjustable	Order of the Bank
Name Shri Jivdan Kumar	office of the Executive Engineer Sehore	By Remittance to Rs. 12,35,877=00 Vide Cheque No. 001313 Date 23-7-2015 State Bank of India Branch Sehore on A/c of Deffance Work of Chandra Shakhar Aazad P.G. College Sehore	12,35,877=	00	8782 Cash remittance & Adjustment between the office Rendering account of the same A.C.P.W.D. Remittance	office of the Executive Engineer P.W.D. Division. Sehore	Date...... Correct receive &grant recept (Sig. & full designation of the ordering the money to be paid in)
		Total	12,35,877=	00			

(In words) Rupees Twelve Lakhs Thirty Five Thousand Eight Hundred Seventy seven) Only

To be used only in the case of Remittance to the Bank through Department office of the Treasury officer

PRINCIPAL
C.S.A. G.P.G. College
SEHORE (M.P.)

Received payment(In words) Rupees

Treasurer accountant

Executive Engineer
Executive Engineer Sehore
P.W.D. Division Sehore

1. Constn. of C.C. road P.G. College Sehore Rs 463644=00 (GO No 15001)
2. Constn of Kentien & Electric P.G. college Rs 189539=00 (GO No 15003)
3. Constn. of Toilet & Electric P.G. College Sehore Rs 382000= (GO No 15004)
4. Running water arrangement P.G. College Sehore Rs 200694= (GO No 15005)

1235877=00

MR No 16302/72 Dt 31/7/15

XX II
269 Try

CHAlINA No.

FORM M.P.T.C
See Subsidiary Rule
Date....................

Chelan of cash paid in to State Bank of India Sehore

To be filled by remitter

To be filled by the Department office of the Treasury officer

By whom tendered	Name of designation And address of the person on whose be half	Fill particulars of the remittance and of the authority (if any)	Amount Rs.	P.	Head of account	Account office by whom Adjustable	Order of the Bank
Name Shri Hirdesh Kumar. 9329647234	office of the Executive Engineer Sehore	By Remittance to Rs. 8,49,390 =00 Vide Cheque No. 001314 Date 23-7-2015 State Bank of India Branch Sehore on A/c of Deffance Work of Chandra Shakhar Aazad P.G. College Sehore	8,49,390=	00	8782 Cash remittance & Adjustment between the office Rendering account of the same A.C.P.W.D. Remittance	office of the Executive Engineer P.W.D. Division. Sehore	Date.........Correct receive &grant recpt (Sig. & full designation of the ordering the money to be paid in) 28 JUL
		Total	8,49,390=	00			

(In words) Rupees Eight Lakhs Forty Nine Thousand Three Hundred Ninety) Only

To be used only in the case of Remittance to the Bank through Department office of the Treasury officer

M/R No 16302/73
Dt 31/7/15

Received Treasurer

payment(In words) Rupees accountant

Executive Engineer
P.W.D. Division Sehore

9.2. No 15006 ① Repair of Roof P.G. college Sehore Rs 217538=00
9.2 No 15007 ② Electric work & Partition old Laboratory Shootm P.G. college Sehore Rs 70918=00
9.2. No 15008 ③ Aluminiyam Partition Room No 85/113 P.G. College 2nd Rs 123925=00
9.2. No 15009 ④ Renewal old Toilet Sewer line Electric work P.G. college Sehore Rs 437009=00
Rs 849390=00

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य, चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर
अग्रणी महाविद्यालय सीहोर
Ph.No. : 07562-224156, 224240, Fax : 07562-224240
E_mail :- hecsaglcseh@mp.gov.in
Website :- www.mpcolleges.nic.in/sehore

क्र. 1995 /19 सीहोर,दिनांक : 20/6/19

प्रति,

मुख्य कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
सीहोर।

विषय :- चैक क्र.1313 रू.1235877/- एवं चैक क्र.1314 रू.849390/- दि.23.07.15 का भुगतान हिरदेश कुमार को किये जाने बावत्।

संदर्भ :- महालेखाकार,ग्वालियर का पत्र क्र.OAD/3/नि.प्रति क्र.69/2018-19 दि.03.01.19

--00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय द्वारा मुख्य कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सीहोर के पक्ष में चैक क्र.1313 रू.1235877/- एवं चैक क्र.1314 रू. 849390/- दि.23.07.15 कुल राशि रू.2085000/- का निर्माण कार्यो के भुगतान हेतु MPTC-6 की रसीद क्र.72 एवं 73 दिनांक 31.07.2015 द्वारा जमा कराये गये है।

महालेखाकार ग्वालियर के द्वारा अंकेक्षण के दौरान कंडिका क्र.02 द्वारा आपत्ति ली गई है, की उक्त चैको की राशि का भुगतान हिरदेश कुमार को खाता क्र.10733128707 में किया गया। ऐसा बैंक पासबुक प्रविष्टि में अंकित है।

इस संबध में जानकारी पत्र वाहक को प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि ऑडिट आपत्ति को निराकृत कराये जा सके।

संलग्न :- 1.MPTC-6 की रसीद क्र.72 एवं 73 की छायाप्रति।
2.ऑडिट कंडिका छायाप्रति।

(डॉ.आशा गुप्ता)
प्राचार्य

पृ.क्र. 1996 / 19 सीहोर,दिनांक : 20/6/19

प्रतिलिपि :-

1- प्रंबधक,भारतीय स्टेट बैंक,शाखा-सीहोर की ओर लेख है कि उक्त चैको की राशि के भुगतान के संबध में जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें।
2- महालेखाकार,ग्वालियर।

(डॉ.आशा गुप्ता)
प्राचार्य

O/C

PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)

E:\College data\Letter\Letter3 1019 of 1019

Scanned with CamScanner

Ph.No. : 07562-224150, 224240, ...
E_mail :- hecsaglcseh@mp.gov.in
Website :- www.mpcolleges.nic.in/sehore

/41/15 सीहोर,दिनांक 24/7/15

कार्यपालन यंत्री, (पथ एवं भवन)
लोक निर्माण विभाग,
सीहोर।

विषय- चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु राशि प्रदाय करने बावत्।

संदर्भ- आपका पत्र क. 1892/आय-व्यय/2014-15 दिनांक 20.07.2015

---00---

उपरोक्त विषय में आपके संदर्भित पत्र द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्यो हेतु डिपोजिट वर्क के रूप में राशि रुपये 12,35,877/- (शब्दों में रूपये बारह लाख पैंतीस हजार आठ सौ सतत्तर मात्र) आपकी ओर चेक कमांक 001313 दिनांक 23.07.2015 द्वारा भेजी जा रही है। कृपया पावती प्रदान करने का कष्ट करें।

1- महाविद्यालय परिसर में सी.सी.रोड़ का निर्माण	4,63,644=00
2- कैन्टीन का निर्माण + विद्युत व्यवस्था	1,89,539=00
3- टायलेट निर्माण + विद्युत व्यवस्था	3,82,000=00
4- रनिंग वाटर की व्यवस्था	2,00,694=00
	12,35,877=00

(कुल योग - बारह लाख पैंतीस हजार आठ सौ सतत्तर मात्र)

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य National Assessment and Accreditation Council के सितम्बर माह में प्रस्तावित निरीक्षण की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर 31 अगस्त, 2015 तक पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्न - चेक कमांक 001313 दिनांक 23.07.2015 राशि रू. 12,35,877/-

PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)

(डॉ0व्ही.के.शुक्ल)
प्राचार्य

D:\Parvez Ansari\Letters\Letter15.doc
D:\Parvez Ansari\Letters\Letter15.doc

Scanned with CamScanner

XV-OR-99 ORIGINAL

FORM M.P.T.C. 6

(*See* subsidiary Rule 5)

Book No. 16302 Serial No. 72

RECEIPT

Dated 31/7/15 20

Received from Principal Chandra Shekhar Azad College Sehore

with letter No. 2141/15 dated the 24/7/15 Vidaha....

the sum of Rupees No 001313 Dt 23/7/15

in cash / by cheque on account of Deference Work P.G. College Gi. Sehore

in .... payment of ....

Rs. 12,35,877=00

Executive Engineer
P.W.D. Sehore Dn. Sehore
Signature with Designation

GCPB—1165—DCGCPB—18-11-2005—20,000 Bks.

XV-OR-99 ORIGINAL

FORM M.P.T.C. 6

(*See* subsidiary Rule 5)

Book No. 16302 Serial No. 73

RECEIPT

Dated 31/7/15 20

Received from Principal Chandra Shekhar Azad P.G. College Sehore

with letter No 2142/15 Dt 24/7/15 ... cheque No 001314

the sum of Rupees Dt 23/7/15

in cash / by cheque on account of Difference Work P.G. College Gi. Sehore

in .... payment of ....

Rs. 8,49,390=00

Executive Engineer
P.W.D. Sehore Dn. Sehore
Signature with Designation

GCPB—1165—DCGCPB—18-11-2005—20,000 Bks.

PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)

O/C

(डॉ0व्ही.के.शुक्ल)
प्राचार्य

...ez Ansari\Letters\Letter15.doc

Scanned with CamScanner

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय,सीहोर

प्रतिवेदन अवधि 10/14 से 09/2018 तकप्रतिवेदन अवधि 10/14 से 09/2018 तक

<table>
<tr><th>स.क.</th><th>प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक</th><th>कंडिका की नकल</th><th>प्राचार्य का उत्तर</th><th>रिमार्क</th></tr>
<tr><td>3</td><td>3</td><td>
गांव की बेटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015– 16 से 2016– 17 के दौरान छात्रवृत्ति वितरण में अधिक्य अंतर की राशि रु. 5.85 लाख जबकि वित्तीय वर्ष 2017– 18 छात्रवृत्ति वितरण में कमी की राशि 8.20 लाख।
गांव की बेटी योजना के अंतर्गत गांव की छात्राओं को पात्रतानुसार राशी रु. 5000 प्रति छात्रा के मान से छात्रवृत्ति का भुगतान का प्रावधान है। गांव की बेटी योजना/ प्रतिभा किरण योजना/विक्रमादित्य योजना के अंतर्गत वितरित छात्रवृत्ति के संबंध में कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि में प्रदाय की गई जानकारी को कोषालय अभिलेखो से मिलान किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><th rowspan="3">वित्तिय वर्ष</th><th colspan="3">कार्यालय अभिलेख के अनुसार</th><th colspan="4">कोषालय अभिलेख के अनुसार</th></tr>
<tr><th rowspan="2">स्वीकृत छात्रवृत्ति</th><th rowspan="2">छात्रवृत्ति मान</th><th rowspan="2">वितरित राशि</th><th rowspan="2">कोषालय के द्वारा गया वास्तविक व्यय</th><th rowspan="2">वास्तविक स्वीकृत छात्रवृत्ति</th><th colspan="2">अंतर</th></tr>
<tr><th>स्वीकृत छात्रवृत्ति</th><th>वितरित राशि</th></tr>
<tr><td>2015-16</td><td>373</td><td>5000</td><td>1865000</td><td>2220000</td><td>444</td><td>71</td><td>355000</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>485</td><td>5000</td><td>2425000</td><td>2655000</td><td>531</td><td>46</td><td>230000</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>858</td><td></td><td>4290000</td><td>4875000</td><td>975</td><td>117</td><td>585000</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>1578</td><td>5000</td><td>7890000</td><td>7070000</td><td>1414</td><td>(-)164</td><td>820000(-)</td></tr>
</table>
लेखा परीक्षा द्वारा समीक्षा किये जाने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में 71 छात्रवृत्तियों का अतिरिक्त भुगतान किया गया जिनके लिये राशि रु. 355000/– का अधिक भुगतान कोषालय द्वारा किया गया।
इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2016–17 में 46 छात्रवृत्तियों का अतिरिक्त भुगतान किया गया जिनके लिये राशि रू. 230000/– का अधिक भुगतान कोषालय द्वारा किया गया। वित्तिय वर्ष 2017–18 में कार्यालय द्वारा 1578 छात्रवृत्तियों हेतु राशि रु.7890000/– का भुगतान किया बताया गया है जबकि वस्तुतः कोषालय द्वारा रू. 7070000/– का भुगतान किया गया है जिससे 1414 छात्रवृत्तियां स्वीकृत किये जाने की ही पुष्टि हो पाती है।
लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि कोषालय से अंतर की राशि का कारण अधीनस्थ एवं अशासकीय महाविद्यालयों कि गांव की बेटी योजना का भुगतान किया जाना है।
कार्यालय प्रमुख का उत्तर अमान्य कर लेख है कि प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर ही इस योजना के अंतर्गत भुगतान के आहरण एवं संवितरण अधिकारी है एवं कोषालय से योजना शीर्ष 6916 के अंतर्गत भुगतान की गई राशि में अधीनस्थ संस्थानों की राशि भी शामिल होना चाहिये। साथ ही लेखापरीक्षा का यह भी अभिमत है कि गांव की बेटी योजना छात्रवृत्ति फिक्स है एवं अन्य योजना यथा प्रतिभा किरण एवं विक्रमादित्य योजना में कोषालय एवं कार्यालय के व्यय आंकड़ों में कोई अंतर नहीं है।
स्थिति उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लायी जाती है।
</td><td>
सत्र 2015-16, 2016-17, 2017-18 में गाँव की बेटी योजना अन्तर्गत महाविद्याय द्वारा दी गई लाभान्वितों की संख्या कार्यालय अभिलेखों से मिलान करने पर सही पाये गई है।
अतः कण्डिका निर्णितमान्य करने का कष्ट करें।
PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M.P.)
</td><td></td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय,सीहोर

प्रतिवेदन अवधि 10/14 से 09/2018 तक

स.क्र.	प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक	कंडिका की नकल	प्राचार्य का उत्तर	रिमार्क
4	4	**मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की आरक्षित सामग्री का क्रय निजी फर्मो से किया जाना राशि रु. 5.11 लाख।** मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्र./एफ./6–14/2012/अ–ग्याह भोपाल दिनांक 28.07.15 के द्वारा शासन के समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों को म.प्र. भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिये निर्देशित किया गया था जिसके अनुसार शासन के प्रत्येक विभाग द्वारा कार्यालय के उपयोग हेतु कतिपय वस्तुओं का क्रय किसी विशिष्ट उपार्जनकर्ता अभिकरण के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित कर सकेगा। परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' में वर्णित वस्तुओं का क्रय परिशिष्ट में उल्लेखित उपार्जनकर्ता अभीकरणों के माध्यम से किया जायेगा। तथा जो वस्तुएं मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित हैं। उनका क्रय म.प्र. लघु उद्योग निगम से ही किया जाना चाहिये। यदि सामग्री प्रदान करने में म.प्र. लघु उद्योग निगम असमर्थता प्रकट करें तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कोटेशन/निविदा के माध्यम से सामग्री का क्रय किया जायेगा। कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर की लेखापरीक्षा अवधि में RUSA मद हेतु संधारित रोकड़बही एवं व्यय के अभिलेखों तथा प्रमाणकों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि रु. 511043/– की सामग्री यथा फर्नीचर, अलमारी एवं वाटर कूलर इत्यादि मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम 26 के परिषिष्ट–अ में सम्मिलित वस्तुओं का क्रय मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के स्थान पर अन्य फर्मों से किया गया। इस प्रकार राशि रु. 5.11 लाख का अनियमित व्यय किया गया जो कि उपरोक्त नियमों के विरुद्ध है एवं अनियमितता की श्रेणी में आता है। लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिए जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए क्रय किया जावेगा। स्थिति उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाई जाती है।	रूसा मद एवं आयुक्त उच्च शिक्षा,म0प्र0शासन,भोपाल से आंवटित राशि 5.11 लाख के फर्नीचर एवं उपकरण तत्कालीन समय में म0प्र0लघु उद्योग निगम में शासन द्वारा दर निर्धारण न होने के कारण जेम पोर्टल(ई गवर्नेंस मार्केटिंग) से छात्र/छात्राओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये अतिआवश्यक सामग्री क्रय की गई है। जेम से क्रय की गई सामग्री के क्रय आदेश एवं नोटशीट की छायाप्रति संलग्न है। अतः कण्डिका निर्णितमान्य करने का कष्ट करें। PRINCIPAL C. S. A. G. P. G. College SEHORE (M. P.)	

Scanned with CamScanner

फाइल क्रमांक 04

XV-OR-15

विषय:- ऑफिस अलमारी क्रय करने की अनुमति विषयक। दिनांक 18/2/17

कार्यालय आयुक्त उच्चशिक्षा म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल - के पत्र क्रमांक 299/170/आउशि/बजट/16 भोपाल दिनांक 8/02/17 द्वारा सामग्री पूर्ति एवं अन्य हेतु प्राप्त बजट आवंटन राशि रू० 24,000/- शब्दो में चौबीस हजार मात्र में से कार्यालय उपयोग हेतु ऑफिस अलमारी 2 नग क्रय करने की अनुमति प्रदान करना चाहें।

18/2/17
श्रीमती शोभा सिंह
सहा-ग्रेड - 3

प्राचार्य

क्रय समिति परीक्षण कर अनुशंसा करें।

18/2/17

वर्तमान मे लघु उद्योग निगम की दर सूची प्रभावशील नही है और बजट चतुर्थ तिमाही मे उपयोग किया जाना है। इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुये भण्डार क्रय नियम 2015 का पालन करते हुये उच्च गुणवत्ता पूर्ण सामग्री युक्त ऑफिस अलमारी - 2 नग खुले बजार से क्रय करने की अनुशंसा की जाती है।

18/2/17
डॉ. सुजीत कुमार गौतम

क्रय समिति की अनुशंसानुसार भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए आफिस अलमारी - 2 नग खुले बाजार से क्रय करने की अनुमति दी जाती है

18/2/17

PRINCIPAL
G. B. & G. P. G. College
SENGAS (M. P.)

GCPB --494--18 GCPB -11 10 15--2,00,000 Form

Scanned with CamScanner

XV-OR-15

विषय :- पुस्तकालय हेतु ग्लास डोर अलमारी क्रय करने की अनुमति विषयक। दिनांक 1/3/17

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 299/170/आउशि/बजट/16 भोपाल दिनांक 8/02/17 द्वारा सामग्री पूर्ति एवं अन्य हेतु प्राप्त बजट आवंटन राशि रु० 24,000/- शब्दों में -चौबीस हजार मात्र में से शेष राशि रु० 10,320/- से पुस्तकालय हेतु एक ग्लास डोर अलमारी एक नग क्रय करने की अनुमति प्रदान करना चाहें।

प्राचार्य

प्रभारी
(हस्ताक्षर)
डॉ. सुनील कु. गौतम

(हस्ताक्षर)
श्रीमती शोभा सिंह
सहा. - ग्रेड-3

क्रय समिति परीक्षण कर अनुशंसा करें।

(हस्ताक्षर)
1/3/17

आज दिनांक को लघु उद्योग निगम की दर सूची प्रभावशील नहीं है। बजट आवंटन का उपयोग चतुर्थ तिमाही में किया जाना है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये भण्डार क्रय नियम 2015 का पालन करते हुये गुणवत्ता पूर्ण सामग्री युक्त पुस्तकालय हेतु ग्लास डोर अलमारी 1-नग खुले बाजार से क्रय करने की अनुशंसा की जाती है।

(हस्ताक्षर)
डॉ. सुनील कुमार गौतम

भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार ग्लास डोर अलमारी 1-नग क्रय करने की अनुमति क्रय समिति की अनुशंसानुसार दी जाती है।

(हस्ताक्षर)
1/3/17

PRINCIPAL
G. G. G. D. G. College
...ORE (M. P.)

GCPB—494—1R GI PB—11-10-13—2,00,000 Form

Scanned with CamScanner

Invoice

raders Bhopal
r Colony In Front Of Jain Mandir Lalghati
l, Bhopal, Madhya Pradesh, Pin: 462032
tact no : 7389606089
STIN: 23AQKPJ4756C1Z0
Bank Account No.: 3298201000251
IFSC : CNRB0003298

GEM100548-233310-INV-1

Order No: GEMC123723-16
Order Date: 11-Jan-2018

Bill To:
Anil Rajput
Bhopal Naka Sehore , Sehore , Madhya Pradesh ,
466001
Contact: 9425013306
GSTIN: N/A

Shipping To:
Anil Rajput
Bhopal Naka Sehore, Sehore, Madhya Pradesh,
466001
Contact: 9425013306

[illegible]	Invoice Date	Dispatch Mode	Dispatch Date	Expected Delivery Date
35	21-Jan-2018	Manual	21-Jan-2018	26-Jan-2018

Qty	Description	HSN Code(GST)	Supplied Qty	Unit Price	Total Price (inclusive all taxes (in INR))
25 Nos	computer table	9403	25	8892.00	Rs 222,300.00
				IGST	Rs. 00
				CGST	Rs. 16955.084
				SGST/UTGST	Rs. 16955.084
				Cess	Rs. 00

Scanned with CamScanner

018 22 02 52

etails		Buyer Details	
	State Government	GEM Unique ID	GEM/2017/GO/123537/1
epartment	Higher Education Department Madhya Pradesh	Name	Anil Rajput
tion Name	Barkatullah University Bhopal	Contact No	9425013306
		Email ID	dranilrajput@gmail com
		GSTIN	N/A
		Address	Bhopal Naka Sehore , Sehore Madhya Pradesh - 466001

Seller Details

GEM Unique ID	GEM/2017/S/PS/22889
Company Name	sarovar traders bhopal
Contact No	7389606089
Email ID	anuragjain2308@gmail com
Address	Jain Nagar Colony In Front Of Jain Mandir Lalghati Bhopal Bhopal Madhya Pradesh 462032

Consignee Detail

S.No	Consignee	Quantity	Expected Delivery Date
1	Anil Rajput [illegible] [illegible]	25	26-01-2018

Accounting Details

Designation of official providing administration approval	HOD	Designation of official providing financial approval	HOD
IFD Diary No	00	IFD Diary Date	05-12-2017

Product Details

#	Item Description	Model	Is PAC buying?	Ordered Quantity	Unit	Price per Unit
1	computer table	st78	NA	25	NOS	8,892.00
Total Order Value (in INR)						222,300.00

Specification	Value	Unit
Table Type	Computer Table	
Overall Length Of Table	900MM	Mm
Overall Width Of Table	600MM	Mm
Height Of Table	750MM	Mm
Material Of Table Top	Laminated MDF Board With Balancing Lamination On Back Side	
Type Of Wood	NA	
Thickness Of Table Top	18MM	Mm
Hole For The Cable In The Top	NO	
Material Of Frame Structure	CRCA PIPE	
Section Size Of Frame Structure	25 X25 MM	MmXmm
Thickness Of Frame Structure Material	1 29 MM	Mm
Material Of Modesty Panel	NA	
Thickness Of Modesty Pannel	NA MM	Mm
Length Of Modesty Pannel	NA MM	Mm
Width Of Modesty Pannel	NA MM	Mm
Material Of Side Panels	NA	
Thickness Of Side Pannels	NA MM	Mm
Width Of Side Pannels	NA MM	Mm
Key Board Tray Provided	YES	
Material Of Key Board Tray	MDF BOARD	

PRINCIPAL
G. S. S. G. R. G. College
SEHORE (M.P.)

1454

T.S. letter

Scanned with CamScanner

	YES	
	Fixed	
...s In The Pedestal Unit	1 NOS	Nos
...ters In The Pedestal Unit	NA NOS	Nos
...edstal Unit	NA	
...s Of Pedestal Unit Material	NA MM	Mm
...stal Unit Height	NA MM	Mm
...destal Unit Width	NA MM	Mm
Pedestal Unit Depth	NA MM	Mm
Locking System Of Pedestal Unit	NA	
Bottom Shelf For Placing CPU And Other Peripherals Provided	YES	
Material Of Bottom Shelf	MDF BOARD	
Thickness Of Bottom Shelf	NA MM	Mm
Length Of Bottom Shelf	NA MM	Mm
Width Of Bottom Shelf	NA MM	Mm
Distance Between Table Top And Bottom Shelf	NA MM	Mm
Footrest Provided	NO	
Material Of Footrest	NA	
Thickness Of Material Of Footrest	NA MM	Mm
Width Of Footrest	NA MM	Mm
Colour Of Laminates	AS PER BUYER	
All M.S Structure Finish	Enamel Paint	
Paint Colour	BLACK	
Wooden Structure Finish	NA	
Delivery Condition Of The Table	Fixed	
Product Code Available On Web	YES	
Product Code No	ST 78	
Drawing Available On Web	NO	
Drawing No	NA	

Terms & Conditions

1. This Contract is for the supply of the stores detailed in the schedule below in accordance with the General Terms and Conditions of Sale / Purchase in Government e Marketplace (GeM) General Terms and Conditions for enrolment of Seller on GeM (Government e-Marketplace) and (if applicable) Special Terms and Conditions for Reverse Auction on GeM or Special Terms and Conditions for e bidding on GeM shall operate to create a specific contract between the Seller on one part and the Purchaser on the other part
2. **Terms of delivery**: Free Delivery at Site including loading/unloading. In respect of items requiring installation and / or commissioning (as indicated in technical details of the item) the charges for the same are also included in the contract price
3. This Delivery Period/Time shall be essence of the Contract and delivery must be completed not later than such date(s)
4. **Performance Security (if any)**: There shall be no Performance security / PBG requirement for contracts placed under Direct Purchase Option on GeM. For procurement through reverse Auction/e bidding, Security Deposit / Performance Bank Guarantee (PBG) @2% of contract value shall be applicable in respect of contracts valuing above Rs. 25 Lakh, as per special terms and conditions applicable for e bidding / RA. Such Performance Bank Guarantee from a scheduled commercial bank must be submitted by seller to the Buyer within 15 days of award of contract and shall be in the format provided on GeM. Payments against such contract shall not be released till acceptable Performance Bank Guarantee is furnished by the seller
5. **Taxes and Duties**:
   - Prices shall be all inclusive basis i.e. including all taxes. Statutory variation, if any, shall be to the seller's account
   - The Bill Form shall be on line provided to the seller by the Buyer which may inter alia include the following confirmations from the Seller
     - Certified that the Goods and Services Tax (GST) charged on this Bill is not more than what is payable under the provision of the relevant Act or the Rules made there under
     - Certified that the goods on which GST has been charged have not been exempted under the GST Act or the rules made there under and the charges on account of GST on these goods are correct under the provisions of that Act or the Rules made there under
     - Certified that the Seller is registered with above indicated GSTIN as dealer in the State where in their Billing address is located for the purpose of GST
6. **Octroi Duty and/or other local taxes**: The Seller shall have discretion to offer Goods/Services for the select consignee location(s) in the country and they are expected to account for all local taxes (such as levy of town duty, Octroi Duty, Terminal Tax and other levies of local bodies etc.) also while quoting the price for the listed Goods/Services and as such no reimbursement over and above the contract price(s) shall be allowed to Seller towards payment of such taxes
7. **Resolution of disputes**: In the event of any question, dispute or difference arising under the terms and conditions of the GeM, the jurisdiction of the same shall be at the place from where contract has been placed by the purchaser and may be referred to the arbitration for which the arbitrator(s) for adjudication of the matter shall be nominated by the Purchaser while awarding the Contract itself. The arbitration in the matters related to GeM shall be governed as per prevailing Indian Arbitration and Conciliation Act 1996 and would be binding upon the Seller and Purchaser/Buyer. In all such cases in the GeM, the dispute would not be referred or entertained by Facilitation Council, Consumer Forum or any other adjudication forum and GeM SPV would not be a party to any such dispute/matter
8. **Liquidated Damages**: If the Seller fails to deliver any or all of the Goods/Services within the original/re-fixed Delivery/Time period(s) specified in the Contract, the Purchaser will be entitled to deduct/recover the Liquidated Damages for the delay (unless covered under Force Majeure conditions prescribed on GeM) @ 0.5% per week or part of the week of delayed period as pre-estimated damages not exceeding 5% of the contract value without any controversy/dispute of any sort whatsoever
9. **FINANCIAL CERTIFICATE**
   - The expenditure involved for this purpose has received the sanction of the competent financial authority
   - The funds are available under the proper head in the sanction budget allotment for the concerned financial year

TC letter

Scanned with CamScanner

en fully authorized by the Department to sign the supply order and incur the liability of the Goods being ordered

onal Terms and Conditions for Procurement under Proprietary Article Certificate (PAC) Buying:

- In case a Govt buyer on GeM wants to make procurement on proprietary basis on the GeM Portal after obtaining the requisite approvals/PAC certificate from their competent authority as per Rule 166 of GFR-2017, the Buyer can use PAC filter provided on GeM for selecting a specific model/ make available from a particular GeM Seller
- The Indentor must arrange for and provide Road Permit/s as necessary for entry of goods into the State where the consignee is located. The indentor / consignee should also furnish the firm with necessary Octroi exemption certificate along with the order to avoid payment of town duty Octroi Road Toll Tax, Entry Tax and / or any other Local Taxes and Duties such as Octroi / Sales Tax if paid by the firm will be reimbursed by the paying authority (Deputy Controller of Accounts Mumbai) against production of relevant payment receipt/s
- The Seller s prices on the Portal is just their offer prices and the proper discovery of price generally happens through bidding/RA. Moreover in PAC procurement irrespective of multiple listing by authorised sellers the important issue of price control remaining with the OEM cannot be overlooked. Therefore in case of all the PAC procurements, the Buyers will have to carry out extra due diligence in establishing the reasonableness of prices before placement of contract as per para (vii) of Rule -149 of GFR-2017
- Except for direct buying up to Rs 50,000/- subject to establishing the reasonableness of price the bidding will be mandatory for procurements above Rs 50,000/- As result of bidding, the response could be as under
  - Only OEM is available or only single authorised seller is available
  - OEM as well as multiple authorised Seller are available
  - Multiple authorised Sellers of the OEM are available

Purchase made on

GeM

Note This is system generated file No signature is required Print out of this document is not valid for payment/ transaction purpose

[redacted]
C.S.A.G.R.G. College
SEHORE (M.P.)

[redacted]

Scanned with CamScanner

[S]rovar Traders Bhopal
[J]ain Nagar Colony In Front Of Jain Mandir Lalghati
Bhopal, Bhopal, Madhya Pradesh, Pin: 462032
Contact no : 7389606089
GSTIN: 23AQKPJ4756C1Z0
Bank Account No. 3298201000251
IFSC CNRB0003298

Invoice

GEM100548-233309-INV-1

Order No: GEMC123723 17
Order Date: 11-Jan-2018

Bill To:
Anil Rajput
Bhopal Naka Sehore , Sehore , Madhya Pradesh ,
466001
Contact 9425013306
GSTIN N/A

Shipping To:
Anil Rajput
Bhopal Naka Sehore, Sehore, Madhya Pradesh
466001
Contact: 9425013306

[illegible]	21 Jan 2018	Manual	21 Jan 2018	25 Feb 2018

Qty	Description	HSN Code(GST)	Supplied Qty	Unit Price	Total Price
25 Nos	steel table for teachers ,office staff etc	9403	25	7695.00	Rs. 192,375.00
				IGST	Rs. 00
				CGST	Rs. 14672.669
				SGST/UTGST	Rs. 14672.669
				Cess	Rs. 00

PRINCIPAL
C. S. A. G. D. G. College
SEHORE (M. P.)

T.S. letter

Scanned with CamScanner

State Government
Higher Education Department Madhya Pradesh
Barkatullah University Bhopal

Buyer Details

GEM Unique ID	GEM/2017/GO/123537/1
Name	Anil Rajput
Contact No	9425013306
Email ID	dranilrajput@gmail com
GSTIN	N/A
Address	Bhopal Naka Sehore Sehore Madhya Pradesh - 466001

etails

ique ID	GEM/2017/S/PS/22889
y Name	sarovar traders bhopal
No	7389606089
	anuragjain2308@gmail com
	Jain Nagar Colony In Front Of Jain Mandir Lalghati Bhopal Bhopal Madhya Pradesh 462032

e Detail

onsignee	Quantity	Expected Delivery Date
Anil Rajput	25	25-02-2018

ting Details

tion of official providing ration approval	HOD	Designation of official providing financial approval	HOD
y No	00	IFD Diary Date	05-12-2017

etails

em Description	Model	Is PAC buying?	Ordered Quantity	Unit	Price per Unit
table for teachers office staff	st22	-NA-	25	NOS	7 695.00
					192,375.00

e Value (in INR)

ation	Value	Unit
ty To Indian Standard IS 8126 Latest	NO	
d	No	
Unit	Single Storage	
ce No	NO	
p Length	1220 MM	Mm
p Width	610 MM	Mm
ght	710 Mm	
Storage Unit	NA MM	Mm
Storage Unit	NA MM	Mm
Storage Unit	NA MM	Mm
p	20 Mm Thick MDF Board Of Grade SBG II Conforming To IS 12406 Laminated With Minimum 0 6 Mm Thick On Top Side Of Type S, P Or F Having Index 3 2 3 Conforming To IS 2046 And Minimum 0 5 Mm Thick Balancing Laminate On The Other Side	
Of PVC Tape On Edges Of Table Top Banded Help Of Hot Melt Glue	1 5	Mm
Lamination	AS PER CHOICE	
(Under Structure)	Mild Steel Square Section Of Outside Side Minimum 25 Mm And Wall Thickness Minimum 1 2 Mm	
Provided	YES	
Material	Mild Steel Square Section Of Size 25x25 Mm And Wall	

PRINCIPAL
S. S. L. A. S. C. College
SEHORE (M.P.)

Scanned with CamScanner

	0.63 Minimum M S Sheet	
able	Provided	
	Corrosion Resistance Metal	
	Plastic	
	Powder Coated	
	AS PER CHOICE	
Available On Web	YES	
ode No	ST22	
g Available On Web	NO	
wing No	NA	
pe Of Storage Unit	Fig 1A Of IS 8126	
le Table Fitted With The Table	NO	
sition Of The Side Table	NA	
le Table Is Detachable	NA	
le Table Top Length	NA MM	Mm
le Table Top Width	NA MM	Mm
le Table Height	NA MM	Mm
le Table Top	20 Mm Thick MDF Board Of Grade SBG II Conforming To IS 12406 Laminated With Minimum 0.6 Mm Thick On Top Side Of Type S, P Or F Having Index 3 2 3 Conforming To IS 2046 And Minimum 0 5 Mm Thick Balancing Laminate On The Other Side	
ickness Of PVC Tape On Edges Of Side Table Top ixed With The Help Of Hot Melt Glue	1 5	Mm
oestal (Under Structure) For And Side Table	Mild Steel Square Section Of Outside Side Minimum 25 Mm And Wall Thickness Minimum 1 2 Mm	
pboard Fitted On The Left Hand Side Having One Shelf iking Two Compartments In Side Table	NA	Mm
pth Of Cupboard Unit In Side Table	NA MM	Mm
dth Of Cupboard Unit In Side Table	NA MM	Mm
ight Of Cupboard Unit In Side Table	NA MM	Mm
terial Of Cupboard In Side Table	0 8 Mm Thick Mild Steel Sheet	

ns & Conditions

1 This Contract is for the supply of the stores detailed in the schedule below in accordance with the General Terms and Conditions of Sale / Purchase in Government e Marketplace (GeM) General Terms and Conditions for enrolment of Seller on GeM (Government e-Marketplace) and (if applicable) Special Terms and Conditions for Reverse Auction on GeM or Special Terms and Conditions for e bidding on GeM shall operate to create a specific contract between the Seller on one part and the Purchaser on the other part

2 **Terms of delivery** Free Delivery at Site including loading/unloading In respect of items requiring installation and / or commissioning (as indicated in technical details of the items the charges for the same are also included in the contract price

3 This Delivery Period/Time shall be essence of the Contract and delivery must be completed not later than such date(s)

4 **Performance Security (if any)** There shall be no Performance security / PBG requirement for contracts placed under Direct Purchase Option on GeM For procurement through reverse Auction/e-bidding Security Deposit / Performance Bank Guarantee (PBG) @2% of contract value, shall be applicable in respect of contracts valuing above Rs 25 Lakh as per special terms and conditions applicable for e bidding / RA Such Performance Bank Guarantee from a scheduled commercial bank must be submitted by seller to the Buyer within 15 days of award of contract and shall be in the format provided on GeM Payments against such contract shall not be released till acceptable Performance Bank Guarantee is furnished by the seller

5 **Taxes and Duties:**

- Prices shall be all inclusive basis i.e including all taxes Statutory variation, if any, shall be to the seller's account
- The Bill Form shall be on line provided to the seller by the Buyer which may inter alia include the following confirmations from the Seller
  - Certified that the Goods and Services Tax (GST) charged on this Bill is not more than what is payable under the provision of the relevant Act or the Rules made there under
  - Certified that the goods on which GST has been charged have not been exempted under the GST Act or the rules made there under and the charges on account of GST on these goods are correct under the provisions of that Act or the Rules made there under
  - Certified that the Seller is registered with above indicated GSTIN as dealer in the State where in their Billing address is located for the purpose of GST

6 **Octroi Duty and/or other local taxes** The Seller shall have discretion to offer Goods/Services for the select consignee location(s) in the country and they are expected to account for all local taxes (such as levy of town duty Octroi Duty Terminal Tax and other levies of local bodies etc) also while quoting the price for the listed Goods/Services and as such no reimbursement over and above the contract price(s) shall be allowed to Seller towards payment of such taxes

7 **Resolution of disputes** In the event of any question dispute or difference arising under the terms and conditions of the GeM the jurisdiction of the same shall be at the place from where contract has been placed by the purchaser and may be referred to the arbitration for which the arbitrator(s) for adjudication of the matter shall be nominated by the Purchaser while awarding the Contract itself The arbitration in the matters related to GeM shall be governed as per prevailing Indian Arbitration and Conciliation Act 1996 and would be binding upon the Seller and Purchaser/Buyer In all such cases in the GeM the dispute would not be referred or entertained by Facilitation Council Consumer Forum or any other adjudication forum and GeM SPV would not be a party to any such dispute/matter

8 **Liquidated Damages:** If the Seller fails to deliver any or all of the Goods/Services within the original/re-fixed Delivery/Time period(s) specified in the Contract the Purchaser will be entitled to deduct/recover the Liquidated Damages for the delay (unless covered under Force Majeure conditions prescribed on GeM) @ 0.5% per week or part of the week of delayed period as pre-estimated damages not exceeding 5% of the contract value without any controversy/dispute of any sort whatsoever

FINANCIAL CERTIFICATE

- The expenditure involved for this purpose has received the sanction of the competent financial authority
- The funds are available under the proper head in the sanction budget allotment for the concerned financial year
- I have been fully authorized by the Department to sign the supply order and incur the liability of the Goods being ordered

PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)

Scanned with CamScanner

...d Conditions for Procurement under Proprietary Article Certificate (PAC) Buying:

- ...ase a Govt buyer on GeM, wants to make procurement on proprietary basis on the GeM Portal after obtaining the requisite ...pprovals/PAC certificate from their competent authority as per Rule 166 of GFR-2017, the Buyer can use PAC filter provided on GeM for selecting a specific model/ make available from a particular GeM Seller
- The Indentor must arrange for and provide Road Permit/s as necessary for entry of goods into the State where the consignee is located. The indentor / consignee should also furnish the firm with necessary Octroi exemption certificate along with the order to avoid payment of town duty, Octroi Road Toll Tax, Entry Tax and / or any other Local Taxes and Duties such as Octroi / Sales Tax if paid by the firm will be reimbursed by the paying authority (Deputy Controller of Accounts, Mumbai) against production of relevant payment receipt/s
- The Seller's prices on the Portal is just their offer prices and the proper discovery of price generally happens through bidding/RA. Moreover in PAC procurement irrespective of multiple listing by authorised sellers, the important issue of price control remaining with the OEM cannot be overlooked. Therefore, in case of all the PAC procurements, the Buyers will have to carry out extra due diligence in establishing the reasonableness of prices before placement of contract as per para (vii) of Rule -149 of GFR-2017
- Except for direct buying up to Rs 50,000/- subject to establishing the reasonableness of price, the bidding will be mandatory for procurements above Rs 50,000/- As result of bidding, the response could be as under
  - Only OEM is available or only single authorised seller is available
  - OEM as well as multiple authorised Seller are available
  - Multiple authorised Sellers of the OEM are available

Purchase made on G: M

Note This is system generated file. No signature is required. Print out of this document is not valid for payment/ transaction purpose

PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)

Scanned with CamScanner

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय,सीहोर
प्रतिवेदन अवधि 10/14 से 09/2018 तक

स.क.	प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक	कंडिका की नकल	प्राचार्य का उत्तर	रिमार्क
5	5	कॉशनमनी की राजसात किये जाने योग्य राशि शासकीय कोष में जमा न किया जाना राशि रू. 2.31 लाख। म0प्र0 कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 562 तथा प्राचार्य मार्गदर्शिका के पृष्ठ क्रमांक 609 पैरा 22(3) के अनुसार यदि छात्र ने अंतिम रूप से विद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष बाद अपनी कॉशनमनी वापस नहीं ली है तो ऐसी कॉशनमनी शासकीय खाते में शासकीय नियमानुसार राजसात किया जाना चाहिये तथा कॉशनमनी लेजर में छात्रों के नाम के सामने राशियॉं राजसात की गई लिखा जाकर टीप अंकित किया जाना चाहियें। कार्यालय प्राचार्य, चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय, सीहोर द्वारा संधारित कॉशन मनी पंजी तथा कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अवलोकन में पाया गया कि संलग्न विवरण पत्रक के अनुसार कॉशन मनी की राशि रु. 230700/— राजसात कर शासन के खाते में जमा किया जाना थी जो जमा नहीं की गयी। लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिए जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि जांच कर कॉशन मनी की राजसात किये जाने योग्य राशि राजसात कर शासन के खाते में जमा करा दी जावेगी। स्थिति वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लायी जाती है।	वर्ष 2009—10 एवं 2010—11 की कॉशनमनी रू. 230700/- चालान क्र.0049 दिनांक 17.10.2019 द्वारा राजसात कर ली गई है। चालान की प्रति संलग्न है। अतः कण्डिका निर्णितमान्य करने का कष्ट करें। PRINCIPAL C. S. A. G. P. G. College SEHORE (M.P.)	

Scanned with CamScanner

मनोज स्टेशनरी मार्ट, सीहोर
फोन : 225777

Form P.T.C.7
(See Subsidiary Rule 69)
चालान फार्म
CHALLAN NO. SEH. HED 005

Orignal/Duplicate
Triplicate/fourth

खजाना/उप खजाना/स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में पैसे जमा करने का चालान

at ....

To be filled in bu Remitter .... To be filled in the Departmental Office
जमा करने वाले ने लिखना चाहिये .... विभागीय या खजाना अधिकारी ने लिखना चाहिये

By whome concerd कौन लाया	Name of Desination & address of the person on whose behalf more is paid उसका नाम (या ओहदा) और पता जिसकी ओर से पैसा जमा किया जा रहा है।	Full Particulars of the remittence and/or the athority किस बाबत पैसा जमा किया जा रहा है उसका पूरा विवरण	Amount रकम	Head of account संख्या कार्य	Accounts Officer by whome adjustable लेखा अधिकारी जिसमें समायोजन किया	Oder to बैंक को आदेश
Name नाम	Govt. P.G. College SEHORE (M.P.)	सत्र 2018-19 में कुल 2 30,700 की राशि ... परीक्षा ... जमा ...	2,30,700			Correct. Received and grant receipt (Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in)
Sign. हस्ता.		Total-	2,30,700			Date

Date 04/10/2019

Received payment of Rupees (In Figures) Rs. 2,30700

(in words) Rupees दो लाख तीस हजार सात सौ मात्र

To be used only in the case of remitance to the Bank through departmental officer or the treasury officer.

Treasurer   Accountant   Date   Treasurer officer manager

REGISTRAR
For, Principal
Govt. P. G. College, Sehore

PRINCIPAL
C. S. A. G. P. G. College
SEHORE (M.P.)

Scanned with CamScanner

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय,सीहोर

प्रतिवेदन अवधि 10/14 से 09/2018 तक

<table>
<tr><th>स.क्र.</th><th>प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक</th><th>कंडिका की नकल</th><th>प्राचार्य का उत्तर</th><th>रिमार्क</th></tr>
<tr><td>6</td><td>6</td><td>

सावधि जमा राशि एवं उससे प्राप्त ब्याज की राशियो को रोकड़ बही में दर्ज नही किया जाना (शासकीय लेखे से बाहर) राशि 10.10 लाख।

म0प्र0 कोषालय संहिता भाग एक के नियम 53(1) के अनुसार एम.पी.टी.सी.-5 फॉर्म में कार्यालय में रोकड़ बही का संधारण किया जाना चाहिये तथा नियम 53(2) के अनुसार समस्त लेन-देनों की प्रविष्टि जैसे ही वे घटित होते हैं। रोकड बही में की जानी चाहिये। कोई भी राशि रोकड बही से बाहर नहीं रखी जानी चाहिये। माह के अंत में दर्शाए गये शेष का वर्गीकरण अंकित किया जाना चाहिये जैसे प्रदाय किए गए अग्रिमों का विवरण बैंक में शेष राशि का विवरण एवं सावधि जमा के रूप में दर्शायी गई राशियों का विवरण जिससे एकजाई रूप मे यह पाता लगाया जा सके कि कार्यालय के पास बैंक में जमा कुल राशियां या सावधि जमा के रूप मे जमा राशियां कितनी है।

कार्यालय प्रचार्य, चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की नमूना जांच तथा कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अवलोकन में पाया गया कि कार्यालय द्वारा निम्नानुसार एफ.डी. बनवाई गयी है :-

<table>
<tr><th>एफ.डी. जारी करने का दिनाक</th><th>राशि</th></tr>
<tr><td>05.08.10</td><td>130292</td></tr>
<tr><td>26.02.10</td><td>13550</td></tr>
<tr><td>30.09.09</td><td>55817</td></tr>
<tr><td>29.06.10</td><td>59674</td></tr>
<tr><td>02.07.10</td><td>61898</td></tr>
<tr><td>30.06.10</td><td>83113</td></tr>
<tr><td>30.06.10</td><td>53000</td></tr>
<tr><td>26.02.10</td><td>13550</td></tr>
<tr><td>29.06.12</td><td>49000</td></tr>
<tr><td>01.07.13</td><td>24000</td></tr>
<tr><td>22.12.09</td><td>46062</td></tr>
<tr><td>23.06.09</td><td>98442</td></tr>
<tr><td>30.06.09</td><td>84000</td></tr>
<tr><td>30.06.15</td><td>80000</td></tr>
<tr><td>29.06.11</td><td>78000</td></tr>
<tr><td>01.07.14</td><td>80000</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>1010398</td></tr>
</table>

परंतु सावधि जमा से प्राप्त ब्याज की राशि को रोकड़ बही में नही दर्शाया गया एवं न ही माह के अंत में अंतिम शेष बनाया जाकर सावधि जमा की राशियों को दर्शाया गया। इस प्रकार सावधि जमा की मूल तथा ब्याज की राशियों को शासकीय लेखे से बाहर रखा गया। रोकड़ बही से शेष न बनाये जाने से सावधि जमा की राशियों व अन्य राशियों की निरंतर निगरानी नहीं रखी जा सकती।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि सावधि जमा राशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में करा दी जावेगी।

स्थिति वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान मे लायी जाती है।

</td><td>

सावधि जमा की राशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में की जाकर आगामी लेखा परीक्षा को प्रस्तुत कर दी जावेगी।

अतः कण्डिका निर्णितमान्य करने का कष्ट करें।

</td><td></td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

Govt P.G. Nodal College
Sehore (M.P.)

Cash Book

Receipt जमा

MONTH & DATE माह व दिनांक	RECEIPT No. वाउचर नं.	PARTICULARS विवरण	FOLIO	AMOUNT रकम ₹	Pa. पैसे	AMOUNT ₹	Pa.
		[illegible] Recd.					
		(FDR.) [illegible]					
		[illegible]					
		[illegible]					
[illegible]	FDR. No.	[illegible]					
(1)	5528	5.8.15 121986=00					
(2)	5526	26.2.16 20227=00					
(3)	5531	30.6.16 25344=00					
(4)	5534	22.6.16 2505[illegible]=00					
(5)	5529	10.3.16 27245=00					
(6)	5530	30.6.16 132390=00					
(7)	168866543000000 -	30.6.16 83339=00					
(8)	5527	26.2.16 20227=00					
(9)	—	26.6.16 69158=00					
(10)	—	1.7.15 28606=00					
(11)	5536	22.12.15 69812=00					
(12)	5535	23.6.15 155734=00					
(13)	528	30.6.15 132883=00					
(14)	—	22.6.15 108411=00					
(15)	—	1.7.2016 25586=00					
(16)	—	30.6.17 24123=00					
		योग 1105357=00					
		[illegible]					
		[illegible] 2/8/2017					
						12534400	15
						12534400	15

Govt. P.G. College SEHORE (M.P.)

PRINCIPAL Govt. P.G. College SEHORE (M.P.)

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय,सीहोर
प्रतिवेदन अवधि 10/14 से 09/2018 तक

<table>
<tr><th>स.क.</th><th>प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक</th><th>कंडिका की नकल</th><th>प्राचार्य का उत्तर</th><th>रिमार्क</th></tr>
<tr><td>7</td><td>7</td><td>
आवास सहायता योजना के अंतर्गत जारी राशि की उपयोगिता सुनिश्चित न होना राशि रु. 264.51 लाख।

म0प्र0 अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र./एफ/23-4/2013/25-5 दिनांक 11.09.13 द्वारा म0प्र0 राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा निरंतर रखने के लिए आवास सहायता योजना 2013-14 से प्रारंभ की गई है। जिसमें संभाग स्तर पर 2000/-, जिला मुख्यालय स्तर पर 1250/- एवं तहसील विकासखंड स्तर पर राशि रु. 1000/- प्रति विद्यार्थी प्रति माह की दर से आवास सहायता राशि स्वीकृत करता है।
योजना के नियम :- 1. विद्यार्थियों को शपथ पत्र एवं मकान मालिक के सहमति पत्र के आधार पर स्वीकृति के अधिकार शासकीय संस्थाओं के प्राचार्य को होगा।
2. छात्र द्वारा अन्य किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ, वो आवास सहायता के पात्र होंगे।
3. अनुत्तीर्ण होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र होंगे।
4. लाभार्थी छात्र-छात्रा मकान मालिक को किराये का भुगतान अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से करेंगे।
5. निर्धारित आय सीमा, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक, के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे।
6. योजना के परिणामों एवं प्रयासों की तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) मूल्यांकन करने का प्रावधान है।
7. एक वर्ष बाद परिणामों के आधार पर योजना का पुर्नवलोकन किया जावेगा।
चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीहोर द्वारा आवास सहायता योजनांतर्गत निम्नानुसार वर्षो में एस.सी./एस.टी. को राशि स्वीकृत कर वितरित की गई।
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>वर्ष</th><th>छात्र संख्या</th><th>वितरित राशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2014-15</td><td>175</td><td>2625000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2015-16</td><td>593</td><td>8895000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2016-17</td><td>405</td><td>6075000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2017-18</td><td>669</td><td>8856250</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>1842</td><td>26451250</td></tr>
</table>
कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की नमूना जाच तथा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक कुल 1842 विद्यार्थियों को राशि रु. 26451250/- वितरित की गई। लाभार्थी छात्र-छात्राओं द्वारा मकान मालिक को किराये का भुगतान किया जाना था, लेकिन अभिलेखों में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जिस प्रयोजन (मकान किराया) के लिये छात्र-छात्राओं को राशि प्रदान की गई है वह उसी पर व्यय की गई क्योंकि न तो मकान मालिक द्वारा किराये की रसीद प्राप्त हुई और न ही प्रथम किस्त के भुगतान के साथ-साथ किराये के आवासों के स्थल सत्यापन कराया जाना पाया गया। तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) मूल्यांकन प्रतिवेदन भी अभिलेखों में नहीं पाया गया, अतः स्पष्ट है कि लाभार्थी छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त राशि की उपयोगिता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिए जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

स्थिति वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लाई जाती है।
</td><td>
म0प्र0शासन आदिम जाति तथा अनूसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल के आदेश क्र. एफ2-06/2013/25-2/1860 दिनांक 23.12.2016 के बिन्दु क्र.06 एवं 07 का पालन किया गया है। अवलोकनार्थ पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

अतः कण्डिका निर्णितमान्य करने का कष्ट करें।

C. S. A. G. P. G. College
</td><td></td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर(आदिम जाति कल्याण विभाग) सीहोर

क्र0/ 2351/ आदिम/आवास भत्ता /2017 सीहोर दिनांक 17.8.17

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय ....
महाविद्यालय ....तहसील..................जिंला सीहोर

विषय:— अनुसूचित जाति /जनजाति आंवास भत्ते के सम्बंध में।

सन्दर्भ:— इस कार्यालय का पूर्व पत्र क्रमांक 3377/आदिम /आवास भत्ता2017—18 सीहोर,दिनांक 29.12.2016

—00—

उपरोक्त विषयाकिंत सन्दर्भित पत्र द्वारा आवास सहायता भत्ते योजना के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार संशोधित नियम आपकी ओर भेजे जा रहे है (संलग्न):—

(01)— वर्ष 2017—18 में योजना का संचालन विभागीय स्कालरशिप पोर्टल 2.0 के साथ ऑनलाईन कि जावेगा।

(02)— केन्द्र राज्य शासन द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय यदि क्रमांक (2) में उल्लेखित मुख्यालय से अन्यत्र ग्राम / कस्बें में हो तो ऐसे ग्राम/ कस्बे में निवासरत विद्यार्थी का विकास खण्ड मुख्यालय स्तर की पात्रता होगी।

(3)— आवास भत्तो के आवेदको की सूची आवेदन प्राप्त होने के कम से तैयार कर विद्यार्थी को पहले पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में प्रवेश दिया जावें, प्रवेश न लेने पर आवास भत्ते की पात्रता नही रहेगी, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में सीट पूर्ण होने के बाद शेष आवेदको को ही आवास भत्ते की पात्रता रहेगी।

(4)— विद्यार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि एंव किराये भवन लेने की तिथि(जो भी बाद में हो)से किराये की अवधि की पात्रता की जावेगी।

(5)—आवास भत्ते की स्वीकृति के अधिकार शासकीय संस्थाओं के प्राचार्यो एवं अशासकीय संस्था हेतु सम्बंद्व शासकीय संस्थाओं के नोडल प्राचार्य को होगें ।

जिला संयोजक
आदिम जाति कल्याण सीहोर

निरन्तर................

Dr. Ahirwar
Dr. Negi
Dr. F. Rizvi
13.11.17

शासकीय महाविद्यालय
सीहोर
क्र. 2642
दिनांक 13/11/17

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(02)

सीहोर दिनांक 17.8.17

पृ०क्र०/ 2237 आदिम/आवास भत्ता /2017

प्रतिलिपि:-

समस्त अशासकीय ....तहसील ....जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ अपनी संस्था के आवास भत्ते की प्रपोजल तैयार कर नोडल प्राचार्य से स्वीकृति कराकर समयावधि में इस कार्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध करायें ।

जिला संयोजक
आदिम जाति कल्याण सीहोर

PRINCIPAL
C. S. A. Q. R. G. College
SEHORE (M. P.)

Scanned with CamScanner

दूरभाष : 07562-227766 (O)
07562-226811 (R)
07562-226855 (F)
E-mail-dmsehore@nic.in
mpseh@nic.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला सीहोर (म.प्र.)

पत्र कमांक 3538 / आदिम / आ0सहा0यो0 / 2017 सीहोर,दिनांक 17/ 01 / 2017

प्रति,

समस्त नोडल प्राचार्य

....

....

विषयः– 'आवास सहायता योजना के संशोधित नियम।

उक्त विषयांतर्गत आपको मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय के आदेश कमांक एफ 12–05 / 2013 / 25–2 / 1860 भोपाल दिनांक 23 / 12 / 2016 के पत्र की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है तदानुसार नियमों का अवलोकन नवीन निर्देश अनुसार इस वर्ष आवास भत्ते की स्वीकृतियाँ स्कालरशिप पोर्टल 2.0 के अनुसार जारी करे।

संलग्नः– नवीन निर्देश की छायाप्रति।

कलेक्टर,
जिला सीहोर

पृष्ठकमांक 3539 / आदिम / आ0सहा0यो0 / 2017 सीहोर,दिनांक 17/ 01 / 2017

प्रतिलिपिः–

01. अशासकीय महाविद्यालयों की ओर सुचनार्थ / पालनार्थ।

कलेक्टर,
जिला सीहोर

PRINCIPAL
G. B. G. College
…ORE (M.P.)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 12–06 / 2013 / 25–2 | 1860 भोपाल दिनांक 23 / 12 / 2016

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के बालक / बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर की शिक्षा निरंतर रखने के लिए आदेश क्रमांक–एफ–12–06 / 2013 / 25–2 / 2039 एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक–एफ–23–04 / 2013 / 25–5 दिनांक 11 / 09 / 2013 से आवास सहायता योजना नियम वर्ष 2013 जारी किया गया था। उक्त योजना के संचालन हेतु शासन द्वारा समय–समय पर जारी संशोधित आदेशों को समाहित करते हुए आवास सहायता योजना नवीन नियम वर्ष 2016 एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं।

2/ यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति बालक / बालिका आवास सहायता योजना नवीन नियम 2016

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ:–

    (1) ये नियम अनुसूचित जाति तथा जनजाति बालक / बालिका आवास सहायता योजना नवीन नियम 2016 कहलायेंगे।
    (2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में रहेगा।
    (3) राज्य शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक से नवीन नियम प्रभावशील होंगे।

2. **योजना का उद्देश्य** :– अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के बालक / बालिकाओं का उच्च शिक्षा में प्रवेश अन्य वर्ग की तुलना में कम है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के बालक / बालिकाओं का गुणात्मक रूप से अन्य वर्ग के समतुल्य प्रवेश सुनिश्चित करने एवं आर्थिक अवरोधों से मुक्त होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

3. **योजना का स्वरूप एवं क्रियान्वयन** :–

    (1) वर्ष 2013–14 से महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर पर अध्यनरत् अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बालक / बालिकाओं के हितार्थ योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित की गई है। वर्ष 2016–17 से इस योजना का संचालन विभागीय स्कालरशिप पोर्टल 2.0 के साथ ऑन लाईन किया जावेगा।

PRINCIPAL
G. G. & G. P. G. College
SEHORE (M.P.)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(2) योजना भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन संभागीय मुख्यालय, अन्य समस्त जिला मुख्यालय एवं समस्त तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय स्तर तक लागू होगी।

(3) केन्द्र/राज्य शासन द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय यदि क्रमांक (2) में उल्लेखित मुख्यालय से अन्यत्र ग्राम/कस्बे में हो तो ऐसे ग्राम/कस्बे में निवासरत विद्यार्थी को विकासखण्ड मुख्यालय स्तर की पात्रता होगी।

4. पात्रता :-

(1) ऐसे विद्यार्थी, जो कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/अन्य संस्थाओं के स्नातक/स्नातकोत्तर/समस्त उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेशित हैं तथा जिनका किसी भी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ हो, ऐसे विद्यार्थी आवास सहायता के पात्र होंगे।

(2) विद्यार्थी को आवास सहायता की पात्रता अध्ययनरत संस्था के मुख्यालय के आधार पर न होकर, किराये पर निवास के मुख्यालय के आधार पर होगी।

(3). समस्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में चयन प्रक्रिया से प्रवेशित अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं को नियमित छात्रावास का संचालन प्रारंभ होने तक इस योजना अन्तर्गत आवास सहायता राशि कण्डिका-4 (4) अनुसार प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(4) भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन संभागीय मुख्यालयों में रूपये 2000/-, अन्य जिला मुख्यालयों में रूपये 1250/- तथा तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय में रूपये 1000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिए आवास सहायता की राशि देय होगी।

(5) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे।

(6) एक ही स्थानीय निकाय (नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालयीन संस्था या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित न होने पर ही योजना की पात्रता होगी। अन्य दूरी का कोई बन्धन नहीं होगा। A

(7) निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि विद्यार्थियों को स्वयं वहन करना होगी। आवास सहायता के अतिरिक्त विभाग द्वारा आवास हेतु अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगी।

(8) अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा परिणाम स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र होंगे।

(9) एक ही माता/पिता की सभी संतानों को पृथक हितग्राही माना जायेगा।

PRINCIPAL
G. G. & G. R. G. College
SEHORE (M. P.)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

5. आवेदन की प्रक्रिया :-

(1) विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि पश्चात विभागीय स्कालरशिप पोर्टल 2.0 पर उपलब्ध आवास सहायता योजना के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करेंगे।

(2) ऑन-लाईन आवेदन करते समय पूर्व कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची, शपथपत्र एवं मकान मालिक का सहमति पत्र/किरायानामा अपलोड करेंगे।

(3) विद्यार्थी आवेदन पत्र को लॉक करने के पूर्व समस्त जानकारियों का परीक्षण कर लें अन्यथा त्रुटिपूर्ण/भ्रामक जानकारी होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

6. स्वीकृति की प्रक्रिया एवं अधिकार :-

(1) स्वीकृति के अधिकार शासकीय संस्थाओं के प्राचार्यो एवं अशासकीय संस्थाओं हेतु सम्बद्ध शासकीय संस्थाओं के नोडल प्राचार्य को होंगे। छात्र द्वारा ऑन-लाईन भरे गये आवेदन पत्र, समग्र आई.डी. से प्राप्त विवरण एवं अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों के सत्यापन का उत्तरदायित्व स्वीकृतकर्ता प्राचार्यो का होगा।

(2) विद्यार्थी द्वारा ऑन-लाईन किये गये आवेदन पत्र एवं अपलोड किये गये अभिलेखों को पृथक से हार्ड कॉपी में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में अध्ययनरत् बालिकाओं को आवास सहायता स्वीकृति के अधिकार उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र को होंगे।

7. भुगतान की प्रक्रिया :-

(1) आवास सहायता की स्वीकृत राशि का परीक्षण कर जिला संयोजक, आदिवासी विकास अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा विद्यार्थी के बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जायेगा तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को सूचित किया जायेगा। यह संबंधित जिला संयोजक, आदिवासी विकास अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करें कि उसके जिले में संचालित महाविद्यालयीन छात्रावासों में स्वीकृत सारी सीटें भरी हुई हों। इसके पश्चात आवास सहायता की राशि जारी की जाए।

(2) विद्यार्थियों को आवास सहायता निर्धारित पाठ्यक्रम की कालावधि के लिए एक बार ही देय होगी। किराये की गणना महाविद्यालयीन संस्था में प्रवेश लेने की तिथि/किराये से भवन लेने की तिथि (जो भी बाद में हो) से की जायेगी।

PRINCIPAL
... D. Coll...
...(M.P.)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(3) स्वीकृत राशि 6-6 माह के अन्तराल से ~~दो किस्तों~~ में देय होगी। प्रथम किश्त जुलाई माह मे 6 माह का अग्रिम तथा द्वितीय किश्त जनवरी माह में देय होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुषमा शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग,

पृ0 क्रमांक एफ 12-08/2013/25-2/1861 भोपाल दिनांक 23/12/2016

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण/उच्च शिक्षा/तकनीकि शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश को यू.ओ. टीप क्रमांक 23124 दिनांक 27/10/2016 के सन्दर्भ में प्रेषित।
5. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
6. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त संभागीय उप आयुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास म.प्र.।
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
11. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।
12. समस्त जिला संयोजक, आदिवासी जाति विकास मध्यप्रदेश।
13. कम्प्यूटर प्रभारी, कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास भोपाल की ओर उक्त आदेश आदिवासी विकास सर्वर में दर्ज करें।
14. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(PRINCIPAL)
C. S. A. G. D. C. College
SEHORE (M.P.)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग, मत्रालय
भोपाल

Scanned with CamScanner

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय,सीहोर

प्रतिवेदन अवधि 10/14 से 09/2018 तक

स.क्र.	प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक	कंडिका की नकल	प्राचार्य का उत्तर	रिमार्क
8	8	**अभिलेख प्रस्तुत नही किया जाना।** निम्नलिखित अभिलेख लेखा परीक्षा को नही प्रस्तुत किये गयेः 1. डी.पी.एफ. लेजर 2. परीक्षा रोकडत्रः बही एवं इससे संबंधित अन्य अभिलेख 3. अस्थाई अग्रिम पंजी 4. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक तथा स्टेशनरी वितरण से संबंधित अभिलेख 5. पुस्तकालय से संबंधित अभिलेख 6. फीस कलेक्शन रजिस्टर	महाविद्यालय द्वारा अभिलेखों को आगामी परीक्षा दल को प्रस्तुत कर दिये जावेगें। अतः कण्डिका निर्णितमान्य करने का कष्ट करें। Principal C. S. A. Govt. P. G. College SEHORE (M.P.)	

Scanned with CamScanner

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय,सीहोर
प्रतिवेदन अवधि 10/14 से 09/2018 तक

स.क.	प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक	कंडिका की नकल	प्राचार्य का उत्तर	रिमार्क
9	9	निरंक	महालेखाकार ग्वालियर के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/2014 से 09/2018 तक कार्यवाही करने के संबध में पत्र क्र./ओ.ए.डी-3/नि.प्रति.क. 69/2018-19/286 दिनांक 03.01.19 कि द्वारा प्रदत्त कण्डिकाओं के कमांक में कण्डिका कमांक अंकित नही है। (उक्त कार्यवाही विवरण की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।) कंण्डिका को विलोपित किया जाना मान्य हो। PRINCIPAL C. S. A. G. P. G. College SEHORE (M. P.)	

Scanned with CamScanner

भाग–2 : लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(क) गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें

—निरंक—

(ख) वित्तीय अनियमिततायें

कंडिका कमांक 1 :–जनभागीदारी मद में बजट उपलब्ध होने के उपरांत भी पी.डी खाते से स्व वित्तीय पाठ्यकमों के कार्यरत कर्मचारियों को अनियमित भुंगतान किया जाना राशि रू. 31.11 लाख।

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के भाग–एक के अध्याय तीन सेक्शन–I के नियम 536 के अनुसार " No money shall be received for deposit in the public Account, unless they are such as by virtue of any statutory provision or of ant general or special orders of the Governement are required or authorized to be held in the custody of the Governement. Further, under rule 553 it is envisaged, Unless it be otherwise provided by any law or rule or order issued by competent authority, a deposit repayment order shall remain in force for perod of three months from the date on which is was issued, after which no prepayment can be made on its authority unless it is revalidated."

लेखा परीक्षा द्वारा प्राचार्या, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर की लेखा परीक्षा अवधि में पी.डी. खातें में जमा एवं इससे किये गये गये भुगतान की नमूना जॉच किये जाने पर पाया गया कि कार्यालय द्वारा पी.डी. खाते से प्रमुख रूप से जनभागीदारी मद के स्व वित्तीय पाठ्यकमों के Faculties को अनियमित रूप से राशि रू 31.11 लाख का भुगतान किया गया जबकि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे भुगतान हेतु जन भागीदारी मद में अलग से बजट प्रदाय किया जाता है । इस अवधि में महाविद्यालय को जनभागीदारी मद से भी राशि उपलब्ध करायी गयी जिसमें से स्व वित्तीय पाठ्यकमों हेतु नियुंक्त कर्मचारियों को वेतन भी प्रदान करना था जो कि नहीं किया गया जिससे जनभागीदारी खाते में निम्नानुसार रू.1.69 करोड की राशि अव्ययित रही :

अवधि	बैंक का नाम	खाता कमांक	बैंक खाते में अंतिम शेष
31 मार्च 2015	बैंक ऑफ इंडिया	901010110009344	1567251
31 मार्च 2016	बैंक ऑफ इंडिया	901010110009344	2004529
31 मार्च 2017	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	34938153799	4035456
31 मार्च 2018	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	34938153799	10354195
अप्रैल 2018 से सितम्बर 2018 तक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	34938153799	10691276

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्याकार्यालय द्वारा पी.डी. खाते से अन्य भुगतान यथा सामग्री कय इत्यादि लेन देन भी किया। पी.डी. खाते से बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के इस प्रकार भुगतान किया जाना सर्वथा अनुचित एवं अनियमित है।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 से स्ववित्तीय मद से आमंत्रित अतिथि विद्वानों को जन भागीदारी मद से भुगतान किया जारहा है। कार्यालय प्रमुख का उत्तर अमान्य कर लेख है कि पूर्व के वित्तीय वर्षों में किये गये पीडी खाते से भुगतान के कारण जन भागीदारी मद में आवंटित राशि का उपयोग नहीं हो पाया एवं जनभागीदारी मद के बैंक खाते में राशि रू.1.07 करोड की धन राशि अवरूद्ध रहीं ।

स्थिति उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लायी जाती है।

कडिका कमांक 2 :–जन भागीदारी खाते से राशि रू. 20.85 लाख का संदिग्ध भुगतान ।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की लेखा परीक्षा अवधि 10/14 से 9/2018 की अवधि में लेखापरीक्षा के दौरान जनभागीदारी खाता के बैंक ऑफ इंडिया स्थित खाता कमांक 901010110009344 की नमूना जॉच किये जाने पर पाया कि कार्यालय द्वारा 7/2015 में चैक कमांक1313. एवं 1314 द्वारा कमशः राशि रू. 1235877/– एवं रू.849390/– का भुगतान एक व्यक्तिगत खाते "HIRDESH KUMAR" में किया गया । इस भुंगतान से संबंधित अभिलेख मांगे जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणक के रूप में एक विवरण पत्रक उपलब्ध कराया गया जिसमें इस राशि से किये गये व्यय का विवरण दर्ज था ।

उपरोक्तानुसार किये गये व्यय के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा निम्न बिंदुओं पर कार्यालय का अभिमत वांछित था :

1. कार्यालय द्वारा व्यक्तिगत खाते में उक्त राशि का भुंगतान किया गया जो कि मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के चैक से भुगतान संबंधी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है ।
2. लो.नि.वि. को प्रदाय की गयी राशि से निर्धारित अवधि में जो कार्य सम्पन्न कराये जाने थे उनके कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं निर्धारित अवधि में किये जाने संबंधी कोई अभिलेख कार्यालय द्वारा संधारित नहीं किये गये जिससे इस प्रकार किये गये भुगतान के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग से सत्यापन करा लिया जावेगा ।

स्थिति उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लायी जाती है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कंडिका कमांक 5– गॉव की बेटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 के दौरान छात्रवृति वितरण में आधिक्य अंतर की राशि रू. 5.85 लाख जबकि वित्तीय वर्ष 2017–18 में छात्रवृति वितरण में कमी की राशि रू.8.20 लाख।

गॉव की बेटी योजना के अंतर्गत गॉव की छात्राओं को पात्रतानुसार राशि रू. 5000 प्रति छात्रा के मान से छात्रवृति का भुंगतान का प्रावधान है । गॉव की बेटी योजना/प्रतिभा किरण योजना/विक्रमादित्य योजना के अंतर्गत वितरित छात्रवृति के संबंध में कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि में प्रदाय की गयी जानकारी को कोषालय अभिलेखों के मिलान किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	कार्यालय अभिलेख के अनुसार			कोषालय अभिलेख के अनुसार			
						अंतर	
	स्वीकृत छात्रवृति	छात्रवृति मान	वितरित राशि	कोषालय के द्वारा गया वास्तविक व्यय	वास्तविक स्वीकृत छात्रवृति	स्वीकृत छात्रवृति	वितरित राशि
2015–16	373	5000	1865000	2220000	444	71	355000
2016–17	485	5000	2425000	2655000	531	46	230000
योग	858		4290000	4875000	975	117	585000
2017–18	1578	5000	7890000	7070000	1414	(-)164	820000(-)

लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किये जाने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में 71 छात्रवृतियों का अतिरिक्त भुगतान किया गया जिनके लिये राशि रू. 355000/– का अधिक भुगतान कोषालय द्वारा किया गया

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2016–17 में 46 छात्रवृतियों का अतिरिक्त भुगतान किया गया जिनके लिये राशि रू. 230000/– का अधिक भुगतान कोषालय द्वारा किया गया । वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यालय द्वारा 1578 छात्रवृतियों हेतुं राशि रू. 7890000/– का भुगतान किया बताया गया है जबकि वस्तुतः कोषालय द्वारा रू.7070000/– का भुगतान किया गया है जिससे 1414 छात्रवृतियॉं स्वीकृत किये जाने की ही पुष्टि हो पाती है।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि कोषालय से अंतर की राशि का कारण अधीनस्थ एवं अशासकीय महाविद्यालयों की गॉव की बेटी योजना का भुगतान किया जाना है।

कार्यालय प्रमुख का उत्तर अमान्य कर लेख है कि प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिहोर ही इस योजना के अंतर्गत भुगतान के आहरण एवं संवितरण अधिकारी है एवं कोषालय से योजना शीर्ष 6916 के अंतर्गत भुंगतान की गयी राशि में अधीनस्थ संस्थानों की राशि भी शामिल होना चाहिये । साथ ही लेखा परीक्षा का यह भी अभिमत है कि गॉव की बेटी योजना छात्रवृति फिक्स है एवं अन्य योजना यथा प्रतिभा किरण एवं विक्रमादित्य योजना में कोषालय एवं कार्यालय के व्यय ऑकडों में कोई अन्तर नहीं है।

स्थिति उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लायी जाती है ।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कंडिका क्रमांक 5–म.प्र.लघु उद्योग निगम की आरक्षित सामग्री का क्रय निजी फर्मों से किया जाना राशि रु 5.11 लाख।

मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्र/एफ. 6–14/2012/अ–ग्यारह भोपाल दिनांक 20.07.15 के द्वारा शासन के समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों को म.प्र. भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिये निर्देशित किया गया था जिसके अनुसार शासन के प्रत्येक विभाग द्वारा कार्यालय के उपयोग हेतु कतिपय वस्तुओं का क्रय किसी विशिष्ट उपार्जनकर्ता अभिकरण के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित कर सकेगा। परिशिष्ट 'अ' एवं 'च' में वर्णित वस्तुओं का क्रय परिशिष्ट में उल्लिखित उपार्जनकर्ता अभिकरणों के माध्यम से किया जायेगा। तथा जो वस्तुयें म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित हैं। उनका क्रय म.प्र. लघु उद्योग निगम से ही किया जाना चाहिये। यदि सामग्री प्रदान करने में म.प्र. लघु उद्योग निगम असमर्थता प्रकट करे तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कुटेशन/निविदा के माध्यम से सामग्री का क्रय किया जायेगा।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर की लेखापरीक्षा अवधि में RUSA मद हेतु संधारित रोकडवही एवं व्यय के अभिलेखों तथा प्रमाणकों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि रु 511043/– की सामग्री यथा फर्नीचर, अलमारी एवं वाटर कूलर इत्यादि मध्य प्रदेष भण्डार कय नियम 26 के परिषिष्ट–अ में सम्मिलित वस्तुओं का कय मध्य प्रदेषलघु उद्योग निगम के स्थान पर अन्य फर्मो से किया गया। इस प्रकार राशि रु 5.11 लाख का अनियमित व्यय किया गया जो कि उपरोक्त नियमों के विरूद्ध है एवं अनियमितता की श्रेणी में आता है।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में वताया गया कि भविष्य में म.प्र. भंडार कय नियमों का पालन करते हुये कय किया जावेगा।

स्थिति उच्च अधिकारियों के ध्यान में लायी जाती है।

कंडिका कमांक 6–कॉशनमनी की राजसात किये जाने योग्य राशि शासकीय कोष में जमा न किया जाना राशि रु 2.31 लाख।

म0प्र0 कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 562 तथा प्राचार्य मार्गदर्शिका के पृष्ठ कमांक 609 पैरा 22 (3) के अनुसार यदि छात्र ने अन्तिम रूप से विद्यालय छोडने के तीन वर्ष वाद अपनी कॉशन मनी वापस नही ली है तो ऐसी कॉशन मनी शासकीय खाते में शासकीय नियमानुसार राजसात किया जाना चाहिये तथा कॉशन मनी लेजर में छात्रों के नाम के सामने राशियॉं राजसात की गयी लिखा जाकर टीप अंकित किया जाना चाहियें।

कार्यालय प्राचार्य चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर द्वारा संधारित कॉशन मनी पंजी तथा कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अवलोकन में पाया गया कि संलग्न विवरण पत्रक के अनुसार कॉशन मनी की राशि रू. 230700/–राजसात कर शासन के खाते में जमा किया जाना थी जो जमा नही की गयी ।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में वताया गया कि जॉच कर कॉशन मनी की राजसात किये जाने योग्य राशि राजसात कर शासन के खाते में जमा करा दी जावेगी ।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ति वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लायी जाती है।

कंडिका कमांक 6– सावधि जमा राशि एवं उससे प्राप्त ब्याज की राशियों को रोकड वही में दर्ज नही किया जाना (शासकीय लेखे से बाहर) राशि 10.10 लाख।

म0प्र0 कोषालय संहिता भाग–एक के नियम 53(1) के अनुसार एम.पी.टी.सी.–5 फॉर्म में कार्यालय में रोकड बही का संधारण किया जाना चाहिये तथा नियम 53(2) के अनुसार समस्त लेन देनों की प्रविष्टि ,जैसे ही वे घटित होते है। रोकड बही में की जानी चाहिये । कोई भी राषि रोकड बही से वाहर नही रखी जानी चाहियें । माह के अंत में दर्षाये गये शेष का वगीकरण अंकित किया जाना चाहियें जैसे प्रदाय किये गये अग्रिमों का विवरण बैंक में शेंष राषि का विवरण एवं सावधि जमा के रूप में दर्षायी गयी राषियों का विवरण जिससे एकजाई रूप में यह पता लगाया जा सकें कि कार्यालय के पास बैंक में जमा कुल राषियां या सावधि जमा के रूप में जमा राषियाँ कितनी हैं

कार्यालय प्राचार्य चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की नमूना जॉच तथा कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अवलोकन में पाया गया कि कार्यालय द्वारा निम्नानुसार एफ.डी.बनवाई गयी है:–

एफ.डी.जारी करने का दिनांक	राशि
05.08.10	130292
26.02.10	13550
30.09.09	55817
29.06.10	59674
02.07.10	61898
30.06.10	83113
30.06.10	53000
26.02.10	13550
29.06.12	49000
01.07.13	24000
22.12.09	46062
23.06.09	98442
30.06.09	84000
30.06.15	80000
29.06.11	78000
01.07.14	80000
योग	1010398

परन्तु सावधि जमा से प्राप्त ब्याज की राषि को रोकड बही में नही दर्षाया गया एवं न ही माह के अंत में अंतिम शेष वनाया जाकर सावधि जमा की राषियों को दर्षाया गया। इस प्रकार सावधि जमा की मूल तथा ब्याज की राषियों को शासकीय लेखे से बाहर रखा गया।रोकड बही शेष न बनाये जाने से सावधि जमा की राषियो व अन्य राषियों की निरन्तर निगरानी नही रखी जा सकती ।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि सावधि जमा राशि की प्रविष्टि रोकड बही में करा दी जावेगी ।

स्थिति वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लायी जाती है ।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कंडिका क्रमांक 9- आवास सहायता योजना के अंतर्गत जारी राशि की उपयोगिता सुनिश्चित न होना
राशि रू 264.51 लाख।

म0प्र0 शासन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र एफ/23-4/2013
/25-5 दिनांक 11.09.13 द्वारा म0प्र0 राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को अपने गृह निवास से
बाहर महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा निरंतर रखने के लिए आवास सहायता योजना 2013-14 से प्रारंभ की गई
है। जिसमें संभागस्तर पर 2000/-, जिला मुख्यालय स्तर पर 1250/- एवं तहसील विकास खंड स्तर पर
राशि रू 1000/- प्रति विद्यार्थी प्रति माह की दर से आवास सहायता राशि स्वीकृत करता है।
योजना के नियम - 1 विद्यार्थियों को शपथ पत्र एवं मकान मालिक के सहमति पत्र के आधार पर स्वीकृति के
अधिकार शासकीय संस्थाओं के प्राचार्य को होगा।

2 छात्र द्वारा अन्य किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ, वो आवास सहायता के पात्र होंगे।
3 अनुत्तीर्ण होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र होंगे।
4 लाभार्थी छात्र-छात्रा मकान मालिक को किराये का भुगतान एकाउंट पेयी चैक के माध्यम से करेंगे।
5 निर्धारित आय सीमा, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे।
6 योजना के परिणामों एवं प्रभावों का तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) मूल्यांकन कराने का प्रावधान है।
7 एक वर्ष बाद परिणामों के आधार पर योजना का पुनर्विलोकन किया जावेगा।
कार्यालय चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर द्वारा आवास सहायता
योजनांतर्गत निम्नानुसार वर्षों में एस.सी./एस.टी. को राशि स्वीकृत कर वितरित की गई।

क्र.	वर्ष	छात्र संख्या	वितरित राशि
1.	2014-15	175	2625000/-
2.	2015-16	593	8895000/-
3.	2016-17	405	6075000/-
4.	2017-18	669	8856250/-
	Total	1842	26451250/-

कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की नमूना जाँच तथा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अवलोकन
में पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक कुल 1842 विद्यार्थियों को राशि रू. 26451250/- वितरित
की गई। लाभार्थी छात्र-छात्राओं द्वारा मकान मालिक को किराये का भुगतान किया जाना था, लेकिन अभिलेखों
में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जिस प्रयोजन (मकान किराया) के
लिये छात्र-छात्राओं को राशि प्रदान की गई है वह उसी पर व्यय की गई क्योंकि न तो मकान मालिक द्वारा
किराये की रसीद प्राप्त हुई और न ही प्रथम किश्त के भुगतान के साथ-साथ किराये के आवासों के स्थल
सत्यापन कराया जाना पाया गया। तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) मूल्यांकन प्रतिवेदन भी अभिलेखों में नहीं पाया गया,
अतः स्पष्ट है कि लाभार्थी छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त राशि की उपयोगिता सुनिश्चित नहीं हो सकी।
लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में
नियमानुसार कार्यवाई की जावेगी ।
स्थिति वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लायी जाती है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कंडिका क्रमांक 8 :– अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना।

निम्न लिखित अभिलेख लेखा परीक्षा को नहीं प्रस्तुत किये गये :

1. डी.पी.एफ. लेजर
2. परीक्षा शोधक बही एवं इससे संबंधित अन्य अभिलेख
3. अस्थायी अग्रिम पंजी
4. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक तथा स्टेशनरी वितरण से संबंधित अभिलेख
5. पुस्तकालय से संबंधित अभिलेख
6. फीस कलेक्शन रजिस्टर

भाग– तीन

पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदनों के लंबित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही

पूर्व लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कण्डिकाओं की स्थितिः–

(i)लेखापरीक्षा प्रारंभ करते समय पूर्व लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्न प्रकार थीः–

1. प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला सीहोर

स. क्रं.	ले.प.निरी.प्रति.अवधि	लंबित कण्डिकाओं की संख्या	कण्डिका क्रमांक
1	4/10 से 9/14	04	01,02,03,04

कृपया लम्बित कंडिका की स्थिति मुख्यालय पर पी.आर. रजिस्टर से मिलान करनें का कष्ट करें।

(ii)वर्तमान लेखापरीक्षा मेंसमीक्षा के उपरान्त पूर्व लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों और लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्न प्रकार रहीं:–

1. प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला सीहोर

क्र.	ले.प.निरी.प्रति.अवधि	निर्णित कंडिका	सम्मिलित की गई कंडिकाएं		शेष लंबित कंडिकाएं
			वर्तमान निरी.प्रति.में	वर्तमान नमूना जांच टिप्पणी में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	4/10 से 9/14	03,02	–	–	4,1

लम्बित कंडिकाओं का विवरण परिशिष्ट क में दर्शाया गया है

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(iii) बार–बार होने वाली अनियमिततायें

स. क्र.	कंडिका का संक्षिप्त विवरण (यहाँ पर अद्यतन (Update) की गई कंडिकाओं को दर्शाना है)	लेखापरीक्षा अवधि (जब कंडिका प्रथम बार ली गई)
1	निरंक	

भाग–चार
सर्वोत्तम प्रथायें

------------------निरंक------------------

भाग–पॉंच
आभार अभिव्यक्ति

लेखापरीक्षा के अन्त में आयोजित समापन बैठक में लेखापरीक्षा दल की ओर से इकाई द्वारा लेखापरीक्षा में किये गये सहयोग के लिये धन्यवाद दिया गया । इकाई में कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा हेतु वांछित अभिलेख एवं हाफ मार्जिन्स के उत्तर समय में प्रस्तुत किये जाने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया।लेखापरीक्षित इकाई में नेतृत्व स्तर धारण करने वाले अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:–

स. क्रं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.		
2.		

कार्यालय प्रमुख द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रथम उत्तर निर्धारित समय अवधि में प्रेषित कर दिये जाने का आश्वासन दिया गया ।

3/1/19

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ओ.ए.डी.–3

Scanned with CamScanner

पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन की लंबित कंडिकाओं का संक्षिप्त विवरण दर्शाने वाला अनुलग्नक – क

क्र.	ले.प.नि.प्र. की अवधि	कंडिका क्र.	आपत्ति का विवरण
1	4/2010 से 9/2014	01	बैंक ब्याज पर आयकर का अनियमित भुगतान राशि रू. 7800/–
		04	महाविद्यालय द्वारा सावधि जमा के रूप में राशि रू.9.30 लाख रोकडबही से बाहर रखना तथा ब्याज की हानि

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
ले.प.द.14 OHD-3

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय,सीहोर
लेखा परीक्षा अवधि 04.2010 से 09/2014 तक की लंबित कंण्डिकाओं का विवरण

स.क.	प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक	कंडिका की नकल	प्राचार्य का उत्तर	रिमार्क
02	04 कण्डिका अवधि 04.2010 से 09/2014	**महाविद्यालय द्वारा सावधि जमा के रूप में राशि रू.9.30 लाख रोकड़ बही से बाहर रखना तथा ब्याज की हानि।** मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग 53 के अनुसार सभी लेनदेन जैसे ही हो उनकी प्रविष्टि रोकड़ बही मे की जाना चाहियें, तथा कोई भी रोकड़ बही से बाहर नही रखी जानी चाहिये। लेखा परीक्षा के दौरान कार्यालय द्वारा प्रस्तुत एफडीआर पंजी एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि महाविद्यालय द्वारा राशि 930398/- की कुल 15 एफ.डी.आर बनवाई गयी, किन्तु उनकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नही की गई है, जिससे रोकड़ बही की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नही होती। 09 एफ.डी.आर की परिपक्वता तिथि व्यतीत हो जाने की बावजूद नवीनीकरण नही कराया गया है। जिससे शासन को साधारण ब्याज की दर 4 प्रतिशत से राशि रू. 9853/- की ब्याज को हानि की संभावना से भी इंकार नही किया जा सकता है विवरण संलग्न अनुलग्नक ख में दर्शाया गया है। आपत्ति इंगित किये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा लेख किया गया एफ.डी.आर की प्रविष्टि रोकड़ बही में की जावेगी। प्रकरण विभागाध्यक्ष के ध्यान में लाया जाता है।	सावधि जमा के रूप में राशि रोकड़ बही में जोड़ ली गई है, एवं एफ.डी.आर की परिपक्वता तिथि का नवीनीकरण करा लिया गया है। यदि महाविद्यालय द्वारा नवीनीकरण का आवेदन नही दिया जाता है,तो भी बैंक द्वारा एफ.डी.आर का स्वतः नवीनीकरण कर दिया जाता है, जिससे ब्याज की हानि नही होती है। PRINCIPAL C. S. A. G. P. G. College SEHORE (M. P.)	

Scanned with CamScanner

Cash Book

Receipt जमा

MONTH & DATE माह व दिनांक	RECEIPT No. वाउचर नं.	PARTICULARS विवरण	FOLIO	AMOUNT रकम	AMOUNT रकम
		To Reci.			
		(F.D.R.)			
क्र.	FDR. No.	दि.	राशि		
(1)	5528	5.8.15	121986=00		
(2)	5526	26.2.16	20227=00		
(3)	5531	30.6.16	95344=00		
(4)	5534	29.6.16	95055=00		
(5)	5529	10.3.16	97245=00		
(6)	5530	30.6.16	132390=00		
(7)	16886454300000	30.6.16	83339=00		
(8)	5527	26.2.16	20227=00		
(9)	—	26.6.16	69158=00		
(10)	—	1.7.15	28606=00		
(11)	5536	22.12.15	69819=00		
(12)	5535	23.6.15	155734=00		
(13)	528	30.6.15	132889=00		
(14)	—	29.6.15	108411=00		
(15)	—	1.7.2016	95586=00		
(16)	—	30.6.17	94193=00		
		योग	1405357=00		
					1,05,39,400=15
					1,05,39,400=15

SEHORE (M.P.)

01	01 कण्डिका अवधि 04.2010 से 09/2014	**बैंक ब्याज पर आयकर का अनियमित भुगतान राशि रू.7800/-** आयकर अधिनियम 1961 क सेक्शन 10(23C)(iiiab) के प्रावधान के अनुसार जो शिक्षण संस्था नो प्रोफिट पर कार्य कर रही है, तथा शासन पर निर्धारित है वह आयकर से मुक्त है बशर्ते कि Commisionar of Income Tax से इस आश्य का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें कार्यालय द्वारा प्रस्तुत जनभागीदारी रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक (Bank of India Acct. No. 301010110009344) की जांच के दौरान पाया गया कि बैंक द्वारा जमा राशि पर प्राप्त ब्याज से टीडीएस का कटोत्रा किया गया है। लेखा परीक्षा अवधि में राशि रू.7800/- का कटोत्रा टीडीएस के रूप में किया गया। विवरण संलग्न अनुलग्नक "क" में दर्शाया गया है। यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा आयुक्त आयकर विभाग से आयकर मुक्त का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया होता तथा इसकी सूचना बैंक को दी गई होती, तो टीडीएस(आयकर) की राशि को बचाया जा सकता था। आपत्ति इंगित किये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा लेख किया गया कि चार्टड एकाउन्टेट से मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही की जावेगी।	बैंक द्वारा दिनांक 17.02.2014 तक रू.7800/- टी.डी.एस चार्ज काटा गया था। उक्त राशि दि.02.04.2014 को वापस कर दी गई। प्रमाण हेतु बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न है।

Scanned with CamScanner

2011-12

अनुलग्नक - क

निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र. 1 के संदर्भ में

काटे गये टी.डी.एस. चार्ज का सूचा

क.	दिनांक	राशि
1	03.09.2013	10=00
2	06.09.2013	50=00
3	16.09.2013	10=00
4	16.09.2013	20=00
5	16.09.2013	10=00
6	16.09.2013	20=00
7	16.09.2013	20=00
8	16.09.2013	10=00
9	18.09.2013	10=00
10	25.09.2013	500=00
11	25.09.2013	150=00
12	08.10.2013	20=00
13	08.10.2013	100=00
14	09.10.2013	40=00
15	09.10.2013	130=00
16	10.10.2013	50=00
17	23.10.2013	10=00
18	25.10.2013	40=00
19	28.10.2013	10=00
20	26.12.2013	40=00
21	28.12.2013	70=00
22	30.12.2013	790=00
23	31.12.2013	380=00
24	07.01.2014	350=00
25	11.01.2014	320=00
26	13.01.2014	270=00
27	13.01.2014	120=00
28	15.01.2014	40=00
29	16.01.2014	200=00
30	18.01.2014	320=00
31	20.01.2014	230=00
32	20.01.2014	440=00
33	21.01.2014	40=00
34	22.01.2014	120=00
35	25.01.2014	510=00
36	27.01.2014	240=00
37	27.01.2014	720=00
38	28.01.2014	770=00
39	05.02.2014	600=00
40	13.02.2014	10=00
41	17.02.2014	10=00
	कुल योग -	7800=00

PRINCIPAL
C.S.A. G.P.G. College
SEHORE (M.P.)

28

विवरण Particulars	चेक क्रमांक Cheque No.	निकासी राशि Amt. Withdrawn	जमा राशि Amt. Deposited	शेष Balance
B/F Bal Ac.No: 901010110009344				~~3,791.70Cr~~
Sweep Trf From: 901058110003510			22,000.00	25,791.70
Interest For 901058110003215]			372.27	26,163.97
Interest For 901058110003510]			248.18	26,412.15
SAINATH	216973	2,400.00		24,012.15
BY CASH			15,000.00	39,012.15
901058110003616 : Autosweep to		10,000.00		29,012.15
PRACHI SHARMA & ASSO	216972	1,000.00		28,012.15
BY CASH			30.00	28,042.15
TDS Refund for ^[901058110003511]^			22,720.00	50,762.15
BOI SB Plus balance as on 02-04-2014				45,03,000.00Cr
901058110003621 : Autosweep to		25,000.00		25,762.15
BY CASH			60.00	25,822.15
TO CTS CLEARING	216974	1,500.00		24,322.15

Date	Particulars	Cheque No.	Amt. Withdrawn	Amt. Deposited	Balance
-2014	Sweep Trf From: 901058110003621			1,000.00	25,322.15
-2014	BY CASH			50.00	25,372.15
-2014	REFUND OF TDS			40.00	25,412.15
-2014	TDS Refund for ^[901058110003186]^			4,340.00	29,752.15
-2014	AS PER LIST	216976	64,502.00		34,749.85Dr
-2014	REFUND OF TDS			350.00	34,399.85Dr
-2014	Sweep Trf From: 901058110003621			24,000.00	10,399.85Dr
-2014	Sweep Trf From: 901058110003616			10,000.00	399.85Dr
-2014	Sweep Trf From: 901058110003510			26,000.00	25,600.15
-2014	Interest For 901058110003510]			322.15	25,922.30
	By Bal C/F				25922.30Cr

PRINCIPAL
G. S. A & R. G. Col
SEHORE (M.P.)